खण्ड-287, अंक-2
बुधवार, 2 पौष, शक संवत् 1892
(23 दिसम्बर, 1970 ई0)

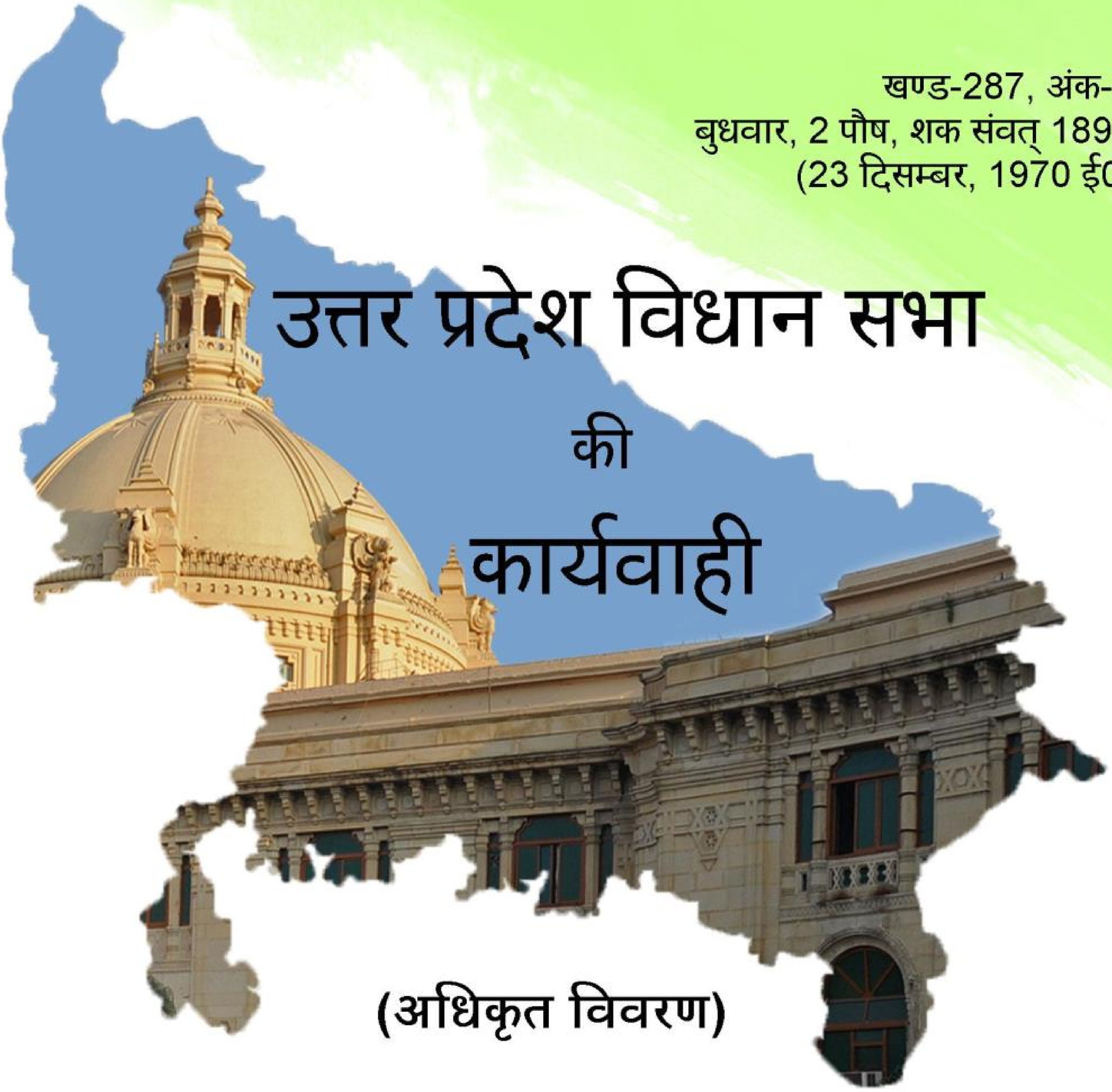

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 287 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२७–१३१
प्रश्नोत्तर	१३२–१६३
अध्यापकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१६३–१६४
प्रश्नों के उत्तर देते समय सदस्यों से 'लिखित सूचना देने' के लिए कहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१६४
विविध विषय (जारी)	१६४–१६६
इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१६७
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ३३वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) (जारी)	१६७–१६८
विधान सभा कक्षों में शौचालय खोलने तथा मार्शल की पदोन्नति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	१६८
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ३३वां प्रतिवेदन ..	१६८–१६९
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (जारी) ..	१६९–१७४
विविध विषय	१७५
प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थानान्तर्गत मानिकपुर ग्राम में श्री रामनाथ के घर नक्सलपन्थियों द्वारा डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी) ..	१७५–१७६
श्री नन्दकिशोर निवासी काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी)	१७६
श्री श्याम बिहारी, पत्रकार द्वारा जिलाधीश, आगरा के कार्यालय के सामने आमरण अनशन तथा आत्म-दाह की धमकी के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१७७
प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थानान्तर्गत मानिकपुर ग्राम में श्री रामनाथ के घर नक्सल पन्थियों द्वारा डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य	१७७–१७८
श्री नन्दकिशोर निवासी काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य	१७८
उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य	१७९–१८६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अननुमोदन का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	१८७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	१८७–२१७
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२१७–२१८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	२१८–२१९
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन), १९७० अध्यादेश के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० (विधेयक विचारोपरान्त पारित)	२१९–२४२
विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन (स्वीकृत) ..	२४२–२४३
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (विचारोपरान्त पारित)	२४३–२४८
मन्नू, पुत्र मंगल, निवासी गोरखपुर की पुलिस हिरासत में गोली मार कर हत्या के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२४८–२५३
जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव में बरती गई कथित अवैधानिकता के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	२५३–२५६
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना	२५६-२५७
नत्थियां	२५८–२६३

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री रामचन्द्र विकल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३९५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैयाजी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री

गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्रमोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद , श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीप नरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)

रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद, देशमुख, श्री
रामबचन श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्रफीक खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री

शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दरलाल गुप्त, श्री
(उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह बिष्ट, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोटः—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र तथा राजस्व मंत्री, श्री प्रभू नारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २३ दिसम्बर, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय में नियुक्ति हेतु वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–२) की परीक्षा

**१—श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्टेनोग्राफर (वैयक्तिक सहायक ग्रेड–२) की परीक्षा उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा सन् १९६३ के बाद से नहीं ली गई है और इन पदों पर कार्य करने के लिये सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग द्वारा तदर्थ (एडहाक) रूप से नियुक्तियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा को न करवाने का क्या कारण रहा है और अब निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा को करवाने का कब तक विचार है ?

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहिनी)—

यह सही नहीं है कि १९६३ के बाद वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–२) के पद पर भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गयी। वास्तव में वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–२) के पद पर भर्ती के लिये वर्ष १९६४ में भी एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी थी। उसके बाद वर्ष १९६७ तक रिक्त स्थायी पदों की संख्या केवल २ हो पायी थी और इतनी कम रिक्तियों के लिये आयोग द्वारा परीक्षा कराया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया। इसी बीच वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा संस्तुत वेतन मानों में आयी हुई अनियमितताओं पर विचार करते समय शासन की मंत्रि-मंडल उप-समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के अनुसार विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्य कर रहे आशुलिपिकों के लिये पद-आरक्षण करने के प्रश्न पर विचार होने लगा और नवम्बर, १९६८ में ही इस बात का निर्णय हो पाया कि बाहरी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों में से आधे पद विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में १६०–३२० रु० के वेतनक्रम में कार्य कर रहे आशुलिपिकों के लिये आरक्षित कर दिये जायं। इस निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग नियमावली, १९४२ में संशोधन करना आवश्यक था और तदनुसार लोक सेवा आयोग को संशोधन का आलेख्य अक्टूबर, १९६९ में भेजा गया जिस पर उनकी अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। चूंकि इस बीच स्थायी रिक्तियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गयी थीं जिसके लिये आयोग द्वारा परीक्षा कराया जाना आवश्यक था इसलिये अगस्त, १९७० में आयोग को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया गया और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे नियमों में संशोधन के आलेख्य पर अपनी सहमति दें। परन्तु आयोग ने अपने उत्तर में यह कहा है कि परीक्षा का आयोजन उस समय तक नहीं किया जा सकेगा जब तक वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं कर दिया जायगा। आयोग से पुनः निवेदन किया जा रहा है कि वे सेवा नियमावली के संशोधन के प्रस्ताव पर शीघ्र अपनी सहमति दें और परीक्षा कराने का भी प्रबन्ध करें। आयोग द्वारा परीक्षा न की जाने की दशा में वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–२) के संवर्ग में रिक्त पदों को भरना कार्य के हित में आवश्यक था और इसलिये उन रिक्त पदों पर तदर्थ (Adhoc) रूप से सचिवालय में कार्य कर रहे टंकक/अवर वर्ग सहायक और विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में कार्य कर रहे आशुलिपिकों की नियुक्तियां की गयी हैं, जिनको आयोग द्वारा ली गयी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मिलने पर अपने मौलिक पद कार्यालयों को वापस कर दिया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् ६४ में जो परीक्षा ली गयी थी उसमें केवल विभागीय कर्मचारी ही सम्मिलित किये गये थे और उसमें बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया गया था? सन् ६४ से ६७ तक दो ही स्थायी पद रिक्त बतलाये गये हैं, तो क्या इस बीच में अस्थायी भी पद थे जिन पर नियुक्तियां की गयी थीं?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सन् ६४ के आखीर में इम्तिहान हुआ था और उसके बाद सन् ६७ तक दो वैकेन्सीज रहीं।

श्री मैनेजरसिंह—

दो ही पद रिक्त थे जिनके बारे में कहा गया था या कुछ और भी अस्थायी पद थे जिनके बारे में भी कहा गया था?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी नहीं, दो ही थे।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मान्यवर, ये जो तदर्थ नियुक्तियां हुई थीं और जिसको अभी तक रेगुलराइज नहीं किया गया है और उसका परिणाम यह है कि बड़ी डिस्पैरिटी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन स्टीनोग्राफर्स में, गवर्नमेंट के स्टेनोग्राफर्स में जो तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता रहा है? क्या इस प्रकार के स्टेनोग्राफर्स के लिये सर्विस रूल्स वैसे ही करना चाहेंगे जैसा कि सचिवालय के दूसरे स्टेनोग्राफर्स के लिये है?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोक सभा के स्टेनोग्राफर्स हैं और इस सदन के स्टीनोग्राफर्स हैं उनके वेतन-क्रम में क्या अन्तर है?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

लोक सेवा आयोग से यह पूछा गया था कि परीक्षा का प्रबन्ध करवायें परन्तु उत्तर यह मिला कि जब तक नियमों में परिवर्तन नहीं हो जायगा उस समय तक वह परीक्षा नहीं लेंगे। क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई सुझाव आये हैं?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

यह पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा गया है और इसके लिये उनका रिमाइन्डर भी भेजा गया है। अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। इसी कारण देर हो रही है।

श्री छांगुर—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने जवाब दिया कि रिमान्डर भेजा गया है परन्तु उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार की तरफ से इसको सन् १९६९ में भेजा गया और उसका जवाब अभी तक नहीं आया। क्या पब्लिक सर्विस कमीशन को फिर लिखा जायगा कि जल्द से जल्द उत्तर दें ताकि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो सकें?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

उनको लिखा गया है, टेलीफोन भी किया गया है और फिर उनको लिख दिया जायगा।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

यह कब लिखा गया था और कब उनको रिमाइन्डर दिया गया ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

उनको अक्टूबर, ६९ में लिखा गया था।

श्री मैनेजरसिंह—

कितने पद हैं जिनके बारे में लिखा गया क्या कोई विशेष अधिकारी को भेज कर इसको शीघ्र करवाया जायगा ताकि शीघ्र ही परीक्षायें हो सकें ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इसमें १० परसेंट के बारे में जो रूल्स हैं उसके लिये उनको लिखा है। अब जैसा कहा गया कि किसी अधिकारी को भेज कर जल्दी करवाई जाय उसको भी करवाया जायगा।

श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अभी बताया गया कि पत्र भी लिखा गया और जवाब नहीं आया। अब आप शीघ्र ही क्या कदम उठा रहे हैं इस विषय को शीघ्र करवाने में ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

इस पर सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

पर्वतीय जिलों में राजस्व वसूली को बन्द करना

**२—श्री गोपाल दत्त (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार पर्वतीय जिलों में गरीबी व सूखाग्रस्त होने से ६ साल की राजस्व वसूली बन्द करने जा रही है ? यदि हां, तो आदेश कब तक जारी हो जायगा ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)—

जी नहीं।

श्री गोपाल दत्त—

क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जहां सूखा पड़ा है, राजस्व की वसूली में छूट प्रदान करेंगे ?

श्री दीप नारायण मणि—

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में जी नहीं पहले ही कह दिया है। अब इसका प्रश्न नहीं उठता। कोई अनुपूरक प्रश्न पूछें तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि ६ साल से सूखा पड़ रहा है ?

श्री दीप नारायण मणि—

यह बात सही नहीं है कि अगर सही होती तो हमारी रिपोर्ट के अनुसार ६ वर्ष में वसूली ९० से १०० प्रतिशत हुई है वह न हुई होती।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में आम तौर से सूखा पड़ता है, विशेष कर उन क्षेत्रों में जहां पर पर्वतीय भाग हैं, जहां खेती नहीं हो पाती, दुबारा जांच करायेंगे ?

श्री दीपनारायण मणि—

मान्यवर, प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जांच के आधार पर ही ऐसा कहा गया है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि नहीं कि पर्वतीय क्षेत्र में पिछले ६ साल से सूखा पड़ रहा है ? यदि है, तो क्या मंत्री जी के पास आंकड़े हैं कि कितने जिले में फसल की हानि हुई है ?

श्री दीपनारायण मणि—

मान्यवर, मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से देहरादून में ९९ प्रतिशत वसूली हुई है, अल्मोड़ा में ९० प्रतिशत, नैनीताल में ९२ प्रतिशत, चमोली में १०० प्रतिशत, गढ़वाल में ९९.९ प्रतिशत, टेहरी गढ़वाल १०० प्रतिशत, उत्तरकाशी १०० प्रतिशत। अगर सूखा होता तो यह वसूली न हुई होती।

राज्य सरकार द्वारा मितव्ययिता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासकीय सुधार विभाग की स्थापना

**३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रशासकीय सुधार का एक विभाग स्थापित किया है ? यदि हां, तो इस विभाग ने अब तक मितव्ययिता करने के लिये किन-किन प्रस्तावों का मसविदा तैयार किया है ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं उपमंत्री जी से पूछना चाहता हूं और यह वह महसूस करती होंगी कि सरकार बदलती हैं और फिर भी जिन्दा रहती है। भूतपूर्व सरकार के वित्त मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने ८ मई, १९७० के अपने भाषण में कहा था कि मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने प्रशासकीय सुधार का एक विभाग स्थापित करने का निश्चय किया है जहां आयुक्त, प्रशासकीय सुधार, प्रशासन को सुदृढ़ बनाने पर आवश्यक ध्यान देंगे वहां उनसे कहा जायगा कि वे सरकारी व्यय में सभी प्रकार की मितव्ययिता करने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सरकार को निश्चय किये हुए ६ महीने से अधिक हो गये और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी थी तो फिर क्या कारण है कि इस प्रकार के विभाग की स्थापना नहीं हुई ?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

एक कमिश्नर की जगह कायम की गयी थी और वह सिर्फ १ महीने १० दिन तक रहे। उसके बाद उनका तबादला हो गया और उसके बाद आगे कुछ मामला नहीं बढ़ा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जो कमिश्नर एक महीने काम कर गये उन्होंने कोई मसविदा तैयार किया होगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

कोई खास सुझाव तो नहीं दिये लेकिन जो कमिश्नर थे उन्होंने इकोनामी मेजर्स पर जिलाधीशो से उनके विचार मांगे थे।

श्री रामगोपाल संड—

जिलाधीशों ने एकोनामी के सम्बन्ध में कौन-कौन से ठोस सुझाव दिये ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

अभी वे विचाराधीन हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

उस कमीशन पर कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

उसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

पहला कमीशन बना। उसमें से कुछ हट गये। फिर उसने एक रिपोर्ट दी। फिर कमीशन ने जिलाधीशों से राय ली। ऐसा तो नहीं है कि पूरा कमीशन ही भंग कर दिया गया हो ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

कमीशन नहीं, एक आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमिश्नर की पोस्ट पर नियुक्त किये गये थे। कमीशन की कोई स्थापना नहीं हुई थी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो कमिश्नर नियुक्त हुए थे एकोनामी मेजर्स के लिये और डेढ़ महीने के बाद तबादला उनका हो गया तो क्या वह कमिश्नर की जगह खत्म कर दी गयी और इकोनामी मेजर्स का ड्राइव भी खत्म कर दिया गया, अगर नहीं तो क्या कारण है कि दुबारा उनकी जगह कोई कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

उनके जो प्रोपोजल्स हैं वे सरकार के विचाराधीन हैं फिर उसके बाद ही कुछ तय हो पायेगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह समझा जाय कि मितव्ययिता के लिये तथा सुधार के लिये कार्य जारी हैं बिना उन अधिकारी के भी ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

जिले के अधिकारियों से राय ली जा रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सचिवालय में एफिशियेंसी और इकोनामी लाने के लिये भी कोई विचार हो रहा है ? इस संबंध में मेरी अध्यक्षता में जो एस्टिमेट कमेटी ने रिपोर्ट दी थी सचिवालय के संबंध में उस पर भी क्या सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

सारे ही मामलों पर विचार होगा ।

लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर की जांच हेतु इन्वेस्टीगेशन कमेटी का गठन

**४—श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर) तथा श्री शिवलाल (जिला कानपुर)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर को कितना ऋण सरकार की ओर से दिया गया है तथा उक्त मिल की व्यवस्था में सुधार न होने पर क्या उद्योग मंत्री महोदय ने केंद्रीय सरकार से इस मिल पर अथोराइज्ड कंट्रोलर बैठाने की संस्तुति भी की है तथा केंद्रीय सरकार ने इस दिशा में क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्या उद्योग मंत्री जी पुनः केंद्रीय सरकार को उक्त व्यवस्था करने के संबंध में लिखने की कृपा करेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी)—

गत वर्ष लक्ष्मीरतन काटन मिल, कानपुर को सरकार द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया है । इस मिल को अथराइज्ड कंट्रोलर के अन्तर्गत लेने के लिए केंद्रीय सरकार को अगस्त, १९७० में पहले ही लिखा जा चुका है । केंद्रीय सरकार ने इस मिल के मामलों की पूरी तरह से जांच करने के लिये २ नवम्बर, १९७० को इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट की धारा १५ के अन्तर्गत एक इन्वेस्टीगेशन कमेटी का गठन किया है । कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही इस मिल के संबंध में आगे की कार्यवाही की जा सकेगी ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बापपेयी—

माननीय मंत्री जी ने जो सवाल का उत्तर पढ़ा है वह इतनी जल्दी-जल्दी पढ़ा है कि हम लोगों की कुछ समझ में नहीं आया है । अतः माननीय मंत्री जी उत्तर को फिर से पढ़ दें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी इसे पुनः पढ़ दें ।

(उत्तर पुनः सदन के समक्ष पढ़ा गया ।)

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि धारा १५ के अन्तर्गत जो जांच कमेटी बनी थी उसमें कितने और कौन-कौन से सदस्य हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई जानकारी आपको हो तो बता दें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस समय मेरे पास वह सूचना दिखाई नहीं देती ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल में किस प्रकार की व्यवस्था है और वह कितने दिनों से चल रही है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह मिल सन् १९६६ में बन्द हुई थी । इसमें व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी । इसमें कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड, इम्प्लाइज इन्श्योरेंस फंड बाकी था, सेल्सटैक्स बाकी था तथा इनकम टैक्स बाकी था । इसी प्रकार की अव्यवस्था वहां पर चल रही थी ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कमेटी बनी है उसको रिपोर्ट देने के संबंध में कोई अवधि निश्चित की गई है कि फलां तिथि तक वह रिपोर्ट आ जायेगी ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इसमें अवधि केंद्रीय सरकार निश्चित कर सकती है. . . .

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मिल के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का कितना कर्जा बाकी है और कितना इनकम टैक्स का बाकी है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, इस समय इस प्रश्न का संबंध नहीं था इसलिये इसके उत्तर की सूचना मेरे पास नहीं है । यदि इस प्रकार की कोई सूचना माननीय सदस्य हमें देंगे तो उसका उत्तर दे दिया जायेगा । मान्यवर, मेरी जानकारी में इसको कोई कर्ज नहीं दिया गया था । इसके साथ मेरे पास जो कागजात हैं उनसे यह सूचना उपलब्ध नहीं होती कि इससे पहले सरकार ने इस मिल को कितना कर्ज दिया था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक इस मिल की जांच इत्यादि चल रही है तब तक कर्मचारियों का जो प्राविडेंट फंड वगैरह है अथवा जो उनको देय धन है वह उनको मिल जाना चाहिये । तो क्या सरकार इसे तुरन्त कर्मचारियों को दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इस वक्त मिल की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह रुपया दे सके क्योंकि रुपया ही न होने कारण मिल में दुर्व्यवस्था चल रही है । इसी के बारे में सरकार चिन्तित है और इसके लिए रास्ता ढूंढने पर विचार कर रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मिल कानपुर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिल स्थापित हुई थी और एक लम्बे अर्से से इसमें अव्यवस्था चल रही है तो सरकार इसमें किस-किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सरकार इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है जिससे इस मिल की दुर्व्यवस्था दूर हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वह ठीक तरह से चले, इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड बाकी है, मजदूरों का बकाया है, सेल्स टैक्स और इन्कमटैक्स का बाकी है, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह कितनी-कितनी रकम है, धनराशि भी उसकी बतायेंगे ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

दिनांक ५-१०-६९ को स्थिति इस प्रकार थी:/प्रावीडेंट फंड २१.३५ लाख, ई०एस० आई०-५.२६ लाख, सेल्स टैक्स ०.२१ लाख, इनकम टैक्स ४५.७५ लाख। अब ३१-३-७० तक की स्थिति इस प्रकार है—प्रा०फंड २५.८० लाख, ई०एस०आई० ८.८० लाख।

तारांकित प्रश्न

जिला प्रतापगढ़ में उन्नाव-इलाहाबाद रोड की पटरियों पर सरयू नगर तथा कुण्डा बाजार में अवैध कब्जा

*१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव-इलाहाबाद रोड की दोनों पटरियों पर सरयू नगर तथा कुंडा बाजार, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ के लोगों ने अवैध कब्जा करके हाल ही में पक्के मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रामधारी शास्त्री)—

कुछ लोगों ने जिला प्रतापगढ़ में उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग की पटरियों पर सरयू नगर तथा कुंडा बाजार तहसील कुंडा में अवैध कब्जा करके एक पक्का मकान तथा लकड़ी की गुमटियां बना ली थीं। गुमटियों को हटा दिया गया है तथा पक्के मकान को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में और पक्के मकान बना कर अतिक्रमण करने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जयराम यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस आदमी ने पक्का मकान बना लिया है उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया गया है या नहीं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

१९७० के अधिनियम बनने से पूर्व उसके खिलाफ दीवानी में मुकदमा दायर होने जा रहा था। लेकिन अब नये ऐक्ट के बन जाने से उसके खिलाफ केवल सरसरी कार्यवाही होगी, वह की जा रही है।

श्री सजीवन लाल—

जब यह पक्का मकान बन रहा था तो किसी ओवरसियर या इंजीनियर ने उसको जाकर रोका या नहीं, अथवा उसको कोई नोटिस दिया गया था ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इसकी तो सूचना नहीं है लेकिन पत्रावली मांग ली गयी है कि उस वक्त कौन अधिकारी थे और वह मकान किस प्रकार बन गया।

श्री जयराम यादव—

जो लकड़ी की गुमटियां हटाई गयी हैं उनकी संख्या कितनी है ? वास्तविक रूप से कब हटाई गई और उनके बारे में कोई मुकदमा दायर किया गया या नहीं ?

श्री रामधारी शास्त्री—

जो गुमटियां हटायी गयीं उनकी संख्या कुंडा बाजार में १८ है । २७ नवम्बर को उनको नोटिस दिया गया था । कुछ लोगों ने अपने आप उनको हटा लिया और बाकी जो बचीं उनको हटा दिया गया ।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी जांच के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन लोगों ने नाजायज तरीके से मकान बनाने की इजाजत दे दी अथवा उनको रोकने का प्रबन्ध नहीं किया ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इस बात की जांच करायी जा रही है ।

पूर्वी यमुना शहर, मुजफ्फरनगर के प्रथम सब-डिवीजन के ओवरसियर के विरुद्ध आरोप

*२ —श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बतायेगी कि पूर्वी यमुना नहर, मुजफ्फरनगर के प्रथम सब-डिवीजन में मार्च, १९६९ में लगभग १३,००० रु० का गबन हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ सिंह)—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मार्च ६९ तक १३ हजार रुपया गबन होने के क्या कोई आरोप लगाये गये थे, क्या उसके बारे में आपके पास कोई शिकायती पत्र आया था ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

गबन का मामला तो नहीं था लेकिन यह बात ठीक है कि अप्रैल में अधिशासी अभियंता ने एक जांच की थी, उस सिलसिले में कुछ आपत्तियां की गयी थीं ।

श्री सजीवनलाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि गबन के संबंध में किन किन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह गबन का मामला नहीं है । आरोप एक ओवरसियर के खिलाफ हैं ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

जो आरोप पत्र आया है, उसमें क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

उन्होंने एक काम की अधिक पैमाइश की और निम्न कोटि का काम कराया, यह आरोप है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस ओवरसियर के खिलाफ यह चार्ज है और जिसके खिलाफ जांच हो रही है, उसका नाम क्या है और क्या उसमें असिस्टेंट इंजीनियर और एक्जी० इंजी० भी शामिल हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ओवरसियर का नाम रनधीर सिंह है और ऐसी कोई सूचना नहीं है कि असिस्टेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इसमें हाथ है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रख कर कि आरोप गम्भीर हैं इसकी जांच सी०आई०डी० द्वारा करायेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें सी०आई०डी० से जांच करायी जाय । टैक्निकल आडिट सेल ने इस मामले के ऊपर आपत्ति की है । अगर माननीय सदस्य को इसमें संतोष न हो तो मैं यह घोषणा करने के लिये तैयार हूं कि इस मामले को रिओपिन कर दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधीक्षण अभियंता ने यह अनियमिततायें पायीं । तो अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट के ऊपर इस ओवरसियर के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

उसके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी कि ११,३९२ रुपये की रिकवरी की जाय और एक इंक्रीमेंट रोक दिया जाय ।

रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत किशोरा रजबहा के निर्माण हेतु सर्वे

*३—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतावेंगे कि रामगंगा परियोजना के अन्तर्गत नहर गंग साख, इटावा के मील नं० ९१ व ९२ के बीच बाईपटरी से जो १२ मील २ फरलांग किशोरा रजबहा प्रस्तावित है वह किन-किन गांवों से होकर कहां तक जायगी और उससे कुल कितने रकबे की सिंचाई सम्भव है ? इसका सर्वे कब से किया जायगा और रजबहों के निर्माण का कार्य कब से शुरू होगा और सिंचाई के वास्ते पानी कब तक उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

किशोरा राजबहा का सर्वे अभी नहीं किया गया है । वर्ष १९७१–७२ में इसका सर्वे किये जाने के उपरान्त ही यह ठीक प्रकार से बताया जा सकेगा कि यह रजबहा किन-किन गांवों से होकर जावेगा । सर्वे के पश्चात् यदि इस राजबहा का निर्माण उचित पाया गया तो भूमि अध्याप्ति का कार्य समाप्त हो जाने के उपरान्त ही इसका निर्माण कार्य १९७२–७३ में प्रारम्भ किया जावेगा । इसमें सिंचाई के लिए पानी रामगंगा बांध के निर्माण हो जाने पर ही दिया जावेगा । इससे करीब ७,००० एकड़ रकबे की सिंचाई होने की संभावना है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किशोरा रजबहा का सर्वे करने में विलम्ब का क्या कारण है और अब सर्वे कब तक पूरा हो जायेगा और निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें विलम्ब का सवाल तो नहीं है । जिस तरह की योजना है उसके अनुसार इस पर कार्य किया जा रहा है और जो सर्वे का काम है वह भी नियमानुकूल करने का प्राविधान है। इसलिये विलम्ब तो नहीं हो रहा है ।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील—

क्या किशौरा रजबहा के अतिरिक्त इस प्रोजेक्ट में और भी नये रजबहे बनने की स्कीम है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से नये रजबहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह देखते हुए कि इस इलाके में सिंचाई के कोई साधन नहीं है क्या माननीय मंत्री जी किशौरा रजबहा का निर्माण जल्दी कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह सही है कि वहां पानी का साधन नहीं है । अगर पानी का साधन होता तो यह बात ही क्यों आती ? लेकिन मजबूरी यह है कि १९७३–७४ के पहले रामगंगा रिजरवायर में पानी नहीं आ सकेगा और उसके पहले यहां पानी देना संभव नहीं हो सकता ।

शारदा नहर, खण्ड, सीतापुर में फसली कुलाबों को लगाने हेतु प्रार्थना-पत्र

*४—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर खंड, सीतापुर में मार्च सन् १९६९ से मार्च सन् १९७० तक रबी व खरीफ एवं जायद की फसलों की सिंचाई हेतु फसली कुलाबों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

फसली कुलाबों के लिए कुल १८ प्रार्थना-पत्र प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुये थे । उनमें से ९ प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिये गये थे तथा ९ प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये गये थे ।

श्री रामलाल राही—

क्या यह सही है कि सीतापुर जिले के ग्राम मन्द्रासन, उपनापुर, फजिलपुर, सरैया, हरबंसपुर छौछिया के प्रार्थना-पत्र जैसा मैंने प्रश्न में लिखा है उसके अन्दर आ गये थे ? यदि हां, तो इनमें से कौन से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन गांवों की सूचना तो मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि इस डिवीजन में सन् १९६९–७० तक एक साल के बीच रबी और खरीफ में कितने कुलाबों की एप्लीकेशन दी, वह तादाद मैंने बता दी ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके यहां फसली कुलाबों को असली करने के लिये क्या नियम हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस प्रश्न में कुलाबों को असली करने का प्रश्न नहीं है । इसमें यह है कि फसली कुलाबों के लिये कितनी दरख्वास्तें आई और कितनी अस्वीकृत हुईं ।

श्री रामलाल राही—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये १८ प्रार्थना-पत्र किन-किन गांवों के हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इसमें माननीय सदस्य ने गांवों के नाम नहीं पूछे थे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

जिन प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किया गया उनको अस्वीकृत करने का आधार क्या था ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

अस्वीकृत करने का आधार यही था कि ६ महीने के लिये वे फसली कुलाबे मांगे गये थे और उस एरिया के लिये पर्याप्त भूमि सिंचित करने के लिये उपलब्ध नहीं थी दूसरे यह भी हो सकता है कि पानी न रहा हो ।

*५-६—श्री मंजूर अहमद—

[४थे गुरुवार के प्र० सं० ६०-६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कर्नेलगंज से अयोध्या—गोरखपुर तक निर्मित बांध

*७—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला गोंडा के कस्बा कर्नेलगंज से अयोध्या होता हुआ एक बांध गोरखपुर की ओर गया है जिसे कई वर्ष पहले सरयू नदी के पानी से खेती व आबादी को भरने से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनावाया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत करा कर सड़क का रूप देने की कृपा करेगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

इस बांध को सड़क का रूप देने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री भगेलू सिंह—

क्या सरकार इस सड़क को भविष्य में बनाने की कृपा करेगी ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उससे यह मालूम होता है कि वहां एक पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क उस बन्धे के पीछे की तरफ मौजूद है । इसलिये सिंचाई विभाग उस सड़क को बन्धे की शक्ल में बनवा कर उसकी फिजूलखर्ची को रोकना चाहता है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बन्धे के उस पार लोगों की सुविधा के हेतु यह बन्धा बनाने की कृपा करेंगे ? इसके पहले जब मुख्य मन्त्री गुप्ता जी वहां गये थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इस बन्धे को बनवा दिया जायगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसे किसी आश्वासन की सूचना मेरे पास नहीं है।

*८—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जिला फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद–ताजपुर –छिबरामऊ सड़क का निर्माण

*९—श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में मोहम्मदबाद से छिबरामऊ तक के लिये जो सड़क बनाना सरकार ने स्वीकार किया है क्या उसे मोहम्मदाबाद, मौघा, ताजपुर, बन्थलशाहपुर आदि ग्रामों के पास से होती हुई बहोरिकपुर के पास उस सड़क में मिलाने पर विचार करेंगे जो फर्रुखाबाद-छिबरामऊ के नाम से बनाई जा रही है और उसी पर पक्का पुल काली नदी में निर्मित किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कितनी जल्दी कार्यवाही शुरू करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

जिला फर्रुखाबाद में मोहम्मदाबाद-ताजपुर-छिबरामऊ सड़क (१२ मील) का निर्माण १०,४६,००० रु० की अनुमानित लागत पर शासन द्वारा सितम्बर, १९६९ में स्वीकृत किया गया था। वैकल्पिक सर्वेक्षण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री महरम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि १० लाख ६ हजार रुपया अनुमानित लागत उस १२ मील लम्बी सड़क के लिये सितम्बर, १९६९ में स्वीकार किया गया था। मैंने इसके लिये पूछा था कि मुहम्मदाबाद से छिबरामऊ तक के लिये जो सड़क बनाना सरकार ने स्वीकार किया है क्या उसे मुहम्मदाबाद, मौघा, ताजपुर, बन्थलशाहपुर आदि गांवों के पास से होती हुई बहोरिकपुर के पास उस सड़क में मिलाने पर विचार करेंगे। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी अब इस प्रश्न पर क्या विचार कर रहे हैं और जो पिछले साल उन्होंने १२ मील सड़क स्वीकार की थी उसके संबंध में और इन दोनों सड़कों के संबंध में उनकी विभागीय रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

मेरे उत्तर की अन्तिम पंक्ति में स्पष्ट कहा गया है कि वैकल्पिक सर्वेक्षण का विचार सरकार के विचाराधीन है।

श्री महरम सिंह—

अभी तक सरकार के विचाराधीन है और जितना समय लगता है उतने दिनों में बजट भी बढ़ जाता है तो मंत्री जी इस संबंध में कितनी जल्दी निर्णय लेने के लिये तैयार है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इस संबंध में दोनों इस्टीमेट आ गये हैं और जल्दी ही इस पर निर्णय हो जायगा।

*१०—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*११—श्री दलसिंगार—

[४थे मंगलवार के प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रयाग विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को दिया गया मंहगाई भत्ता

*१२—श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री ने प्रयाग विश्वविद्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते जिसे १९६९ की अगस्त से दिया गया था उसे वापस लेने के लिये कोई पत्रक हाल में जारी किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (राजा विजय कुमार त्रिपाठी)—

जी नहीं ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि इन विश्वविद्यालयों को एक पत्रक गया है कि उनको कुछ ज्यादा मंहगाई की रकम, सिटी एलाउन्स और हाउस एलाउन्स की दी गई है उसे वापस करें और गोरखपुर व लखनऊ के विश्वविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने हाउस एलाउन्स और सिटी एलाउन्स की मांग की है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि उसे वापस न लिया जायगा ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

माननीय सदस्य लिखित रूप से पूरी जानकारी देंगे तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रयाग विश्वविद्यालय के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते के संबंध में कोई पत्रक भेजा गया है सरकार के द्वारा ? यदि हां, तो वह क्या है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

शासन के शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई पत्रक नहीं भेजा गया है, यदि माननीय सदस्य को ऐसी सूचना है तो वह लिखित दें, मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है 'जी नहीं' । मेरा कहना यह है कि मंत्री जी को गलत सूचना विभाग से दी गई है । इलाहाबाद की मुझे निश्चित जानकारी है कि वहां से इस तरह का पत्रक जुलाई में जारी हुआ है । क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने उन्हें गलत सूचना दी है ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

मैंने तो पहले भी कहा कि यदि ऐसी कोई सूचना माननीय सदस्य की है और वह यदि लिखित देंगे तो मैं गलत होने पर अवश्य कार्यवाही करूंगा ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी जुलाई, अगस्त में थे तो उनको प्रयाग विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने एक पत्रक दिया था ? तो मंत्री जी उनकी और मेरी सूचना को सही मानकर ऐसे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पग उठायेंगे ? पत्रक निश्चित गया है, जिन अधिकारियों ने पत्रक भेजा है वापसी के बारे में उनके खिलाफ वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

क्या मंत्री जी हमारी सूचना को सही मानकर विभाग से फिर से उत्तर मंगायेंगे और इस पत्रक की वजह से कर्मचारियों में जो असन्तोष और भय है उसके निवारण के लिये कोई दूसरा आदेश वह देने की कृपा करेंगे ?

राजा विजय कुमार त्रिपाठी—

माननीय सदस्य यदि प्रकाश डाल सकें कि पत्रक क्या था और क्या भेजा गया था तो मैं आगे बताऊं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

सवालों के समय आप यह न उठायें क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान होता है । सवालों के बाद आप उठायेंगे तो मैं सुनूंगा ।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मी रमण आचार्य)—

आप बड़ी कृपा करें, सवालों के समय आप बैठ जाया करें ।

*१३—श्री नरेन्द्र सिंह—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ८२ के अन्तर्गत उत्तरित]

*१४—श्री रामगोपाल संड—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१५—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*१६—श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री राम करन (गोरखपुर) तथा श्री मैनेजर सिंह—

[५ वें गुरुवार के प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद्, अलीगढ़ की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लेने सम्बन्धी प्रस्ताव

*१७—श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९६९–७० में जिला परिषद्, अलीगढ़ का कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई है कि जिला परिषद अलीगढ़ की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग मे ले लिया जाय ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—

जिला परिषद्, अलीगढ़ का कोई ऐसा प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ।

जिला गढ़वाल में पौड़ी–देवप्रयाग तथा थैलीसेण–बैजरा सड़क का निर्माण

*१८—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिला गढ़वाल में पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग का निर्माण-कार्य कब से आरम्भ हो जायगा और कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—

पौड़ी-देवप्रयाग मार्ग के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक २३ नवम्बर, १९७० द्वारा दी गई है। सर्वेक्षण के उपरान्त विस्तृत आगणन बनाया जायगा। उसके पश्चात् विस्तृत आगणन की जांच की जायगी तथा प्राविधिक स्वीकृति दी जायगी। तत्पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा।

*१९—श्री शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि जिला गढ़वाल में बैजरों, थैलीसेण-पौड़ी मोटर मार्ग पर जो कार्य मोटर यातायात के लिये होना है वह कब आरम्भ हो जायगा और पौड़ी, थैलीसेण बैजरों मार्ग कब पूरा होगा ?

श्री गिरधारी लाल—

जिला गढ़वाल में पौड़ी से मूसागली तक मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है। मूसागली से थैलीसैण भाग पर कार्य चल रहा है। इस भाग पर पहाड़ कटाई तथा दीवालों का कार्य दिसम्बर, १९७१ तक पूर्ण हो जाने की आशा है और उसके पश्चात् यह भाग यातायात के लिये खोल दिया जायगा। थैलीसैण से बैजरों भाग के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक २२–९–७० द्वारा दी गई है। इसके बाद विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त विस्तृत आगणन बनाया जायगा उसके पश्चात् विस्तृत आगणन की जांच की जायगी तथा प्राविधिक स्वीकृति दी जायगी। तत्पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जायगा।

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—

[५वें गुरुवार के प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला मिर्जापुर में महेवा माइनर को ग्राम चपउर तक बढ़ाने की योजना

*२१—श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत सलोरा जल योजना के महेवा माइनर को ग्राम चपउर तक बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

पहला भाग—

जी नहीं।

दूसरा भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की बैठक तथा इसकी वैधानिकता

*२२—श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की मान्यता समिति की बैठक दिनांक २३ जुलाई, सन् १९७० ई० को इलाहाबाद में हुई उसमें गैर-सरकारी कौन सदस्य उपस्थित थे ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

केवल २३ जुलाई, १९७० को पृथक से मान्यता समिति की कोई बैठक नहीं हुई। प्रत्युत बैठक दिनांक २० जुलाई से २३ जुलाई, १९७० तक हुई थी। दिनांक २३ जुलाई, १९७० को गैर-सरकारी कोई सदस्य उपस्थित नहीं थे।

*२३—श्री हरिनाथ तिवारी (अनुपस्थित) तथा श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या उपरोक्त दिनांक २३ जुलाई की हुई बैठक वैधानिक थी या अवैधानिक ? यदि बैठक अवैध हुई तो उस बैठक के निर्णय का प्रभाव क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

दिनांक २३-७-७० की बैठक की वैधानिकता पर विधिक राय प्राप्त की जा रही है।

आर० आर० बी० एन० इन्टर कालेज, भगवन्त नगर (उन्नाव) में भ्रष्टाचार निवारण हेतु नियंत्रक की संस्तुति

*२४—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले सत्र वर्ष १९६९-७० में जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव तथा उप शिक्षा निदेशक षष्टम मण्डल, लखनऊ ने आर० आर० बी० एन० इन्टर कालेज, भगवन्तनगर (उन्नाव) में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं अनियमितताओं के निवारण हेतु अधिकृत नियन्त्रक (अथराइज्ड कन्ट्रोलर) की नियुक्ति के संबंध में अपनी संस्तुतियां शासन को भेजी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। शासन को कोई संस्तुति वर्ष १९६९-७० में अधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने की नहीं प्राप्त हुई। विभाग द्वारा अब इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने की सूचना प्राप्त हुई है।

आजमगढ़ जिले में कप्तानगंज-महाराजगंज सड़क के रखरखाव पर व्यय

*२५—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष कप्तानगंज से महराजगंज की सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो सड़क बनी है उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री रामधारी शास्त्री—

इस मार्ग पर इस वर्ष अप्रैल, १९७० से सितम्बर, १९७० तक १६,५२४ रु० ९२ पैसे व्यय हुये है।

श्री दर्लासिंगार---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६,५०० रु० खर्च होना बताया गया है यह सड़क पर नहीं खर्च हुआ है। आज भी सड़क उसी तरह से है। वहां पर एक पसा खर्च नहीं किया गया है। झूठी रिपोर्ट भेजी गई है ?

श्री रामधारी शास्त्री---

यदि माननीय सदस्य लिखकर दें तो इसकी जांच निश्चित करा ली जायेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि १६,५०० रुपये के लगभग जो रुपया खर्च हुआ है वह किस मद में खर्च हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री---

यह सड़क के रख-रखाव पर खर्च हुआ है।

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह रख-रखाव क्या है और यह सड़क कितने मील लम्बी है?

श्री रामधारी शास्त्री---

यह सड़क ४ मील ५ फर्लांग और ११० फीट लम्बी है। रख-रखाव में सड़क की टूट-फूट पर खर्च हुआ है और जो गैंग रक्खा जाता है उस पर खर्च, हुआ है।

श्री सजीवन लाल---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस सड़क के पुनः बनाने के लिये कोई प्रयत्न सरकार कर रही है ?

श्री रामधारी शास्त्री---

तत्काल इसे बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री दर्लासिंगार---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वे उस सड़क पर किसी उच्च अधिकारी को भेजकर जांच करेंगे कि इस पर पसा खर्च किया गया है या नहीं क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के इन्जीनियर ने गलत रिपोर्ट भेजी है ?

श्री रामधारी शास्त्री---

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूंगा यदि वे लिखित शिकायत देंगे।

जिला एटा में घुमरी से पटियाली तक पक्की सड़क बनाने की कथित कार्यवाही

*२६---श्री सियाराम (जिला एटा), श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा) (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला एटा में घुमरी से पटियाली तक कच्ची सड़क को पक्का बनाने की कार्यवाही हो रही है ? यदि हां, तो कब तक पक्की हो जायेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जिला परिषद्, सीतापुर की प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का बकाया वेतन

*२७—श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, सीतापुर द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्य करने वाले किन-किन अध्यापकों को माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रल, मई, १९६८ तथा मई, जून १९६९ का वेतन अभी तक किन कारणों से अदा नहीं किया गया है तथा उपरोक्त महीनों का वेतन सम्बन्धित अध्यापकों को कब तक प्रदान कर दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला परिषद्, सीतापुर द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, १९६८ तथा मई, जून, १९६९ का कोई बकाया वेतन बिल भुगतान हेतु शेष नहीं है।

*२८—श्री कृष्णस्वरूप—

[मंत्रि-परिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

विज्ञान अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन मान तथा वेतन निर्धारण के मामल

*२९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि विज्ञान अध्यापकों का इन्टर कालेजों तक पुनरीक्षित वेतन-मान अभी तक लागू नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

*३०—क्या शिक्षा मंत्री विज्ञान अध्यापकों के अग्रिम वेतन-वृद्धि को, जो केन्द्र से प्राप्त है पुनरीक्षित वेतन मान में ही जोड़ने की कृपा करेंगे ? यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

पुनरीक्षित वेतन-मान तो लागू कर दिये गये हैं किन्तु अग्रिम वेतन वृद्धि पर वेतन निर्धारण का मामला शासन के विचाराधीन होने के कारण अभी विज्ञान अध्यापकों के वेतन का निर्धारण नहीं किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग में निलम्बित अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं पर आरोप

*३१—श्री राम गोपाल संड—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जन, १९७० से १५ सितम्बर, १९७० तक प्रदेश में सिंचाई विभाग के कितने अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया तथा उन पर क्या-क्या आरोप हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग—तीन अधिशासी अभियन्ता तथा नौ सहायक अभियन्ता निलम्बित किये गये।

प्रश्न का द्वितीय भाग : वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५८ पर)

श्री रामगोपाल संड---

वे कौन-कौन से अभियोग थे जिनके कारण निलम्बित किये गये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

विभिन्न प्रकार के अभियोग हैं---वित्तीय अनियमितता, अधिक भुगतान, फर्जी भुगतान, मस्टर रोल की गड़बड़ी आदि थी ।

श्री उमानाथसिंह (जिला जौनपुर)---

कितने अधिशासी अभियन्ता निलम्बित किये गये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अधिशासी अभियन्ता तो एक ही निलम्बित किये गये जिनका नाम था हरेन्द्र अरोड़ा।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)---

गोरखपुर के संडक योजना के जो अधिशासी अभियन्ता श्री गोयल निलम्बित किये गये और २२ वें दिन फिर बहाल कर दिये गये, तो वे किन आरोपों में निलम्बित किये गये, और फिर कसे बहाल हुये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

दो निलम्बत किये गये जिनके नाम हैं हरेन्द्र अरोड़ा और महावीर प्रसाद ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह---

एक श्री गोयल भी सस्पेंड हुये हैं और फिर उनको २१ दिन बाद सर्विस में ले लिया गया ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरे पास उसकी सूचना नहीं है, लिख कर देंगे तो पता लगा लेंगे ।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री गोयल किस आधार पर सस्पेंड किये गये और कैसे निर्दोष साबित हुये ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

उसकी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे इन लोगों को किन-किन आरोपों में निलम्बित किया गया और क्या उनके केस पुलिस में भी रजिस्टर किये गये ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

जिस तरह के आरोप थे उनको तो मैंने पहले बता दिया है । पुलिस में यह केस नहीं दिये गये प्रशासनिक अधिकरण के सामने मामले गये थे ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह गोयल इन्जीनियर जो हैं इनको सस्पेंड किया गया था, यह सही है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो प्रश्न किया गया था वह १ जून, १९७० से १५ सितम्बर, १९७० के बीच का पूछा गया था। हो सकता है श्री गोयल इस बीच निलम्बित न हुये हों। इसलिये इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

सिंचाई कार्य मंडल, वाराणसी के स्थायी तथा अस्थायी प्रखंड

*३२-श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्य मण्डल, वाराणसी क्षेत्र के अन्तर्गत कितने सिंचाई के प्रखण्ड है और उनमें से कौन-कौन से स्थायी किये गये हैं और जो प्रखण्ड स्थायी नहीं किये गये हैं उनका कारण क्या है?

श्री कल्पनाथ सिंह--

सिंचाई कार्य मंडल, वाराणसी के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रखण्ड हैं:

(१) चन्द्र प्रभा खण्ड, वाराणसी।
(२) मूसा खण्ड बांध खण्ड, वाराणसी।
(३) मिर्जापुर नहर खण्ड, मिर्जापुर।
(४) सिंचाई खण्ड, बलिया।
(५) बन्धी खण्ड, राबर्ट्सगंज।

इनमें से चन्द्र प्रभा खण्ड, मूसाखण्ड तथा मिर्जापुर नहर खण्ड स्थायी है। सिंचाई खण्ड, बलिया तथा बन्धी खण्ड, राबर्टसगंज अभी अस्थायी हैं। चूंकि बन्धी खण्ड का सर्जन १-६-७० से हुआ है अतएव इस खण्ड को अभी स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। सिंचाई खण्ड, बलिया को स्थायी करने का मामला शासन के विचाराधीन है।

बलिया सिंचाई प्रखण्ड के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी न करना

*३३-श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि बलिया सिंचाई प्रखण्ड के अन्तर्गत कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं और इन कर्मचारियों में से ऐसे कितने हैं जिनकी सेवायें ५ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उन्हें स्थाई नहीं किया गया है?

श्री कल्पनाथ सिंह--

सिंचाई, प्रखण्ड, बलिया में चतुर्थ श्रेणी के १३३ कर्मचारी कार्यरत हैं। यह सभी कर्मचारी ऐसे हैं जो ५ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी स्थायी नहीं हो पाए हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर से सम्बन्धित, क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मूसाखण्ड बांध खण्ड से पहले बलिया सिंचाई प्रखण्ड की स्थापना हो गई थी ? यदि हां, तो क्या कारण है बाद में जो खण्ड खोला गया वह स्थायी कर दिया गया और बलिया प्रखण्ड जो पहले का है, उसको स्थायी नहीं किया गया? क्या इसका कारण यह है कि भूतपूर्व सिंचाई मंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी के जिले वाराणसी में वह मूसाखण्ड बांध खण्ड स्थित था?

श्री अधिष्ठाता--

(मंत्री जी से) आप पहले दो प्रश्नों का उत्तर दे दें, और बाद वाला तो आक्षेप है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन खण्डों में से किस किस तारीख को कौन कौन सा खण्ड सृजित किया गया, इसकी सूचना नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के के लिये कोई सेवा नियम है या नहीं है ? यदि नहीं, तो क्या जल्दी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन, सेवा नियमों के सिलसिले में तो कोई प्रश्न पूछा नहीं गया था। इसमें केवल इतना था कि इसमें कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कार्यरत हैं और अभी स्थायी नहीं हो पाए हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया। जहां तक सेवा नियमों का प्रश्न है, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरे प्रश्न में साफ था कि स्थायी न करने का क्या कारण है? उसका उत्तर नहीं आया, तो क्या वह बतायेंगे कि बलिया खण्ड को स्थायी न करने के क्या कारण हैं? और उसे स्थायी करने का विचार सरकार में कब से प्रारम्भ हुआ है और कब तक चलेगा ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

बलिया खण्ड को स्थायी करने पर विचार हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कोई ऐसा नियम है कि ५ साल से जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है, उन्हें स्थायी किया जाय ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस ५ साल वाले नियम को मैं नहीं जानता, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कर्मचारियों को, नियम विरुद्ध अब तक स्थायी नहीं बनाया गया है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई नियम विरुद्ध कार्य हुआ है।

प्राइमरी पाठशाला, फरसहन, जिला बस्ती के भंडारी का बकाया वेतन

*३४—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), तथा श्री राम करन (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला, फेरसहन विकास क्षेत्र, कप्तानगंज, जिला बस्ती के भण्डारी का वेतन अक्तूबर, १९६९ से अगस्त सन् १९७० तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राइमरी पाठशाला करसहन विकास क्षेत्र कप्तानगंज जिला बस्ती के भंडारी का वेतन अक्तूबर, १९६९ से अगस्त के बीच तीन महीनों अर्थात मई, जुलाई, अगस्त, १९७० का दिया जा चुका है। शेष महीनों का नहीं, शेष महीनों में भंडारी से कोई कार्य नहीं लिया गया वरन् स्वावलम्बन के आधार पर विद्यार्थियों से ही कार्य कराया गया।

जिला उन्नाव के कुरसठ–सफीपुर सड़क के निर्माण की कथित योजना

*३५—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के कस्बा कुरसठ को उसकी तहसील सफीपुर से सड़क बना कर जोड़ने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, प्रश्नगत सड़क के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

३६–३७—श्री रामलाल राही—

[७वें गुरुवार के प्र० सं० १८–१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा अनुदानित धनराशि को निकालना

*३८—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने सन १९६९–७० में ३२० अध्यापकों की नियुक्ति न करके उनके नाम पर अनुदानित धनराशि लगभग ५ लाख रुपया निकाल लिया? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पीपुल्स कालेज (जन विद्यापीठ), हल्द्वानी का संचालन

*३९—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पीपुल्स कालेज (जन विद्यापीठ) हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कितनी कक्षायें हैं, कितने शिक्षक है और कहां से उक्त संस्था को धन मिलता है? उनके पास जीप आदि कहां से आई और वहां कौन-सी कक्षायें चलती है?

श्री श्रीपति मिश्र—

पीपल्स कालेज (जन विद्यापीठ) हल्दवानी, जिला नैनीताल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। इसमें कोई शैक्षिक कक्षायें नहीं चलती हैं। सम्प्रति प्रधानाचार्य सहित छः शिक्षक हैं। इस कालेज को जीप यूनीसेफ से पौष्टिक आहार के योजनान्तर्गत मिली है।

एच० एन० बी० विद्यालय, हल्द्वानी का निर्मित भवन

*४०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एच० एन० बी० विद्यालय रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पास जो भवन है उसके लिये धन कहां से मिला है और वह भवन किस प्रकार वहां बनाया गया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

पीपुल्स कालेज (जन विद्यापीठ) हल्द्वानी, जिला नैनीताल को अमेरिका की एशिया फाउन्डेशन स्कीम के अन्तर्गत धन मिला था जिससे भवन का निर्माण किया गया और बाद में एच० एन० विद्यालय, हल्द्वानी को दे दिया गया ।

*४१—श्री श्यामसुन्दर लाल गुप्त—

[पुनरावत्ति के कारण निरस्त]

*४२–४३—श्री रामधारी शास्त्री—

[मंत्रिपरिषद् में समावेश के कारण अपास्त]

*४४—श्री रामनिहोर राय—

[३रे मंगलवार के प्र० सं० ३० के अन्तर्गत उत्तरित ।]

हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण-पत्र मिलने में विलम्ब

*४५—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनका मूल प्रमाण-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा या ३ वर्ष बाद प्रदान किया जाता है ? यदि हां, तो बालकों के भविष्य को देखते हुये शिक्षा मंत्री जी क्या कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे उक्त छात्रों को उनका मूल प्रमाण-पत्र परिषद् द्वारा ६ माह के भीतर प्राप्त हो सके ?

श्री श्रीपति मिश्र—

परिषद् की परीक्षाओं के प्रमाण पत्र प्रेस की कतिपय कठिनाइयों एवं विशिष्ट प्रकार के कागज की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब से निर्गत हो सके थे । अब इस विलम्ब को समाप्त करने तथा एक वर्ष के प्रमाण-पत्र दूसरे वर्ष दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

अध्यापक आश्रित छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा

*४६—श्री मोहनलाल कपूर—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि अध्यापक-आश्रित छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा की सीमा २०० रु० मासिक वेतन पाने वाले अध्यापकों तक ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सीमा को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां । किन्तु सीमा को बढ़ाने का कोई निर्णय शासन द्वारा नहीं लिया गया है ।

राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु

*४७—श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु अन्य शिक्षा संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के समान करने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

कोई ऐसा प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। राजकीय शिक्षा संस्थाओं में जो अध्यापक कार्य करते हैं उनकी सेवा निवृत्ति आयु ५८ साल की रक्खी गई है और वह आयु वही है जो और राजकीय कर्मचारियों के लिए है।

प्राइमरी पाठशाला, हरपुर, जिला गोरखपुर को भवन निर्माण हेतु मिली धनराशि

*४८—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा, हरपुर के प्राइमरी पाठशाला भवन हेतु कितना रुपया किस सन् में मिला? क्या यह सही है कि प्राइमरी पाठशाला अबतक भवन न बनाने की वजह से झोपड़ी में चलाई जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

गोरखपुर जिले के फरेंदा ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम सभा हरपुर के प्राइमरी भवन हेतु १२ अक्तूबर, १९६५ को रु० १,००० और ३० जुलाई, १९६६ को रु० १,५०० ग्राम सभा हरपुर के पास बुक में ट्रान्सफर किया गया।

जी हां। पर बरसात में छप्पर गिर जाने के कारण कक्षायें मैदान में लगती हैं।

बी० टी० सी० सेन्टर, राजकीय दीक्षा बालिका विद्यालय, आजमगढ़

*४९—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार इसका स्पष्ट कारण बताने की कृपा करेगी कि बी० टी० सी० ट्रेनिंग सेंटर राजकीय दीक्षा बालिका विद्यालय, आजमगढ़ में बी० टी० सी० अभ्यर्थियों को अभी तक (मार्च से मई, १९७० तक) तीन माह की छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? यदि हां, तो इसका भुगतान अभी कब तक कर दिया जायगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

बी० टी० सी० ट्रेनिंग सेंटर राजकीय दीक्षा बालिका विद्यालय, आजमगढ़ नामक कोई संस्था आजमगढ़ में नहीं है। अतएव छात्रवृत्ति भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला आजमगढ़ में जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र

*५०—श्री लालसा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण लड़कों एवं लड़कियों की सनदें सन् १९६५ से लेकर अभी आज तक नहीं बनी हैं? यदि हां, तो अभी कब तक सनदें प्राप्त हो जायगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। केवल वर्ष १९६६ से १९६९ तक की सनदें नहीं बनी हैं।

उनके तैयार होने तथा उप विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जांच करने के उपरान्त वितरित कर दी जायेंगी।

प्राइमरी शिक्षा के प्रदेशीकरण की योजना

*५१—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला चमोली)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्राइमरी शिक्षा के प्रदेशीकरण की कोई योजना शासन के सामने है?

श्री श्रीपति मिश्र---

ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

हाईस्कूल तक की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य करने की योजना

*५२---श्री नरेन्द्र सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि क्या हाई स्कूल तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करने की भी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जी नहीं।

जिला परिषद्, देवरिया के अन्तर्गत स्कूल तथा अध्यापकों का बकाया वेतन

*५३---श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला परिषद् देवरिया के ढाई हजार अध्यापकों को गत पांच मास से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि देवरिया जिला परिषद् के अन्तर्गत मई, १९७० में कितने जूनियर हाई स्कूल थे और ३१ अक्तूबर, १९७० को उक्त परिषद् के अन्तर्गत चल रहे जूनियर हाई स्कूलों की संख्या कितनी है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*५४---श्री श्यामलाल तथा चौधरी राम पाल सिंह यादव---

[निरस्त]

मेरठ तथा बुलन्दशहर जिलों में कांक्रीट तथा डामर की सड़कें

*५५---श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मेरठ तथा बुलन्दशहर में कितने किलोमीटर कांक्रीट की तथा डामर (पीच) द्वारा बनी सड़कें हैं तथा उनकी लम्बाई कितनी-कितनी है ?

श्री गिरधारी लाल---

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २५९ पर)

जिला फर्रुखाबाद के इंटर कालेजों तथा हाई स्कूलों के अनुदान

*५६---श्री महरम सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि सन् १९६९-७० में फर्रुखाबाद जिले के इण्टर कालेजों के लिये ग्रांट (अनुदान) बढ़ाने तथा हाई स्कूलों के लिये ग्रांट प्राप्त करने के अनेक प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन के प्रार्थना पत्र तथा किस आधार पर खारिज किये गये थे और १९६९-७० में किस-किस कालेज तथा हाई स्कूल को अनुदान की धनराशि फर्रुखाबाद जिले में दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अभीष्ट सूचना संलग्न सूची 'क', 'ख' तथा 'ग' में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २६०–२६२ पर)

जिला परिषद्, जौनपुर द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तथा अन्ट्रेन्ड ग्रेड का देना

*५७—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जौनपुर जिला परिषद् में अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं किन्तु प्रशिक्षित अध्यापक प्रतीक्षा सूची में रखे गये हैं? यदि हां, तो कार्य कर रहे अप्रशिक्षित एवं प्रतीक्षा सूची के प्रशिक्षित अध्यापकों की अलग-अलग संख्या क्या है और ऐसा क्यों किया गया?

*५८—क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जिला परिषद् में कितने ऐसे ट्रेंड अध्यापक हैं जिन्हें अन्ट्रेंड ग्रेड दिया जा रहा है? ट्रेंड ग्रेड देने का आधार क्या रखा गया है?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

आगरा मंडल में अध्यापकों का वेतन–निर्धारण

*५९—श्री सिया राम तथा श्री कल्यान सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या क–१७८२/पन्द्रह—३०४९/१९६८, दिनांक १५ मार्च, १९६९ का उसी के तारतम्य में उप सचिव शिक्षा (क), विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या क-६८०८ (१)/पन्द्रह—३०५९–१९६८, लखनऊ दिनांक ३१ अक्टूबर, १९६९ के अन्तर्गत आगरा मंडल में दिनांक ३१ मई, १९७० तक कहां-कहां के किस-किस अध्यापक का विकल्प के रूप में पुनरीक्षित वेतन मान निर्धारित नहीं किया गया है और उपरोक्त पुनरीक्षित वेतन मानों का निर्धारण कब तक पूर्ण कर दिया जायगा?

श्री श्रीपति मिश्र—

३१–५–१९७० तक किसी का वेतन निधारित नहीं हो सका था। वेतन निर्धारण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिये समस्त प्रयास किये जा रहे हैं। ३१–५–१९७० के पश्चात् ९६ विद्यालयों के अध्यापकों (विज्ञान अध्यापक तथा आपत्तिगत प्रकरणों को छोड़कर) का वेतन निधारण किया जा चुका है।

विकास खंड, रसूलाबाद, जिला कानपुर के प्राइमरी अध्यापकों का स्थानान्तरण

*६०—श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़) तथा चौधरी रामपालसिंह यादव—

क्या पंचायत राज मन्त्री बतायेंगे कि इस वर्ष कानपुर जिले के विकास खंड रसूलाबाद के अन्तर्गत प्राइमरी अध्यापकों के खंड के भीतर स्थानान्तरण करके क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् नियमावली, सन् १९६५ की धारा ५२–४ और २६७ का स्पष्ट उल्लंघन करके प्रस्ताव क्षेत्र प्रमुख को नहीं दिये गये और स्थानान्तरण के आदेश बिना क्षेत्र प्रमुख के हस्ताक्षर के जारी किये गये हैं? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य के लिये जिला परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उपरोक्त अवैधानिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेशों को क्या रद्द किया जायगा और पुनः नियमानुसार क्षेत्र प्रमुख को प्रस्ताव दिये जायेंगे और स्थानान्तरण आदेश प्रमुख के आदेश से जारी किये जायेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र---

जिला परिषद् अधिनियम की धारा २६७ का सम्बन्ध प्राइमरी अध्यापकों के स्थानान्तरण के नियम का आदेश से नहीं है धारा ४८ के अनुसार प्राइमरी अध्यापकों के क्षेत्रीय समिति के कर्मचारी विधिवत घोषित न किये जाने के कारण धारा ५२ (४) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रभावी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला अल्मोड़ा के राजकीय आदर्श विद्यालयों के अध्यापकों का स्थायीकरण

*६१---श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के राजकीय दीक्षा विद्यालय के संलग्न राजकीय आदर्श विद्यालय के कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने स्थायी हैं, और कितने अस्थाई हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

अल्मोड़ा जनपद के राजकीय दीक्षा विद्यालयों से संलग्न राजकीय आदर्श विद्यालयों में कुल २७ अध्यापक कार्य कर रहे हैं । उनमें से कोई भी अध्यापक स्थायी नहीं है । अभी ६ अध्यापकों को परीक्षणकाल पर रखा गया है । शेष २१ अध्यापक अस्थायी हैं ।

*६२---श्री हरी सिंह बिष्ट---

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उक्त स्कूलों में १५ या १६ वर्ष से सेवारत अध्यापक अभी तक अस्थायी हैं तथा स्थायी स्थान रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी अस्थायी अध्यापकों को शीघ्रातिशीघ्र स्थायी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

अल्मोड़ा जनपद के राजकीय दीक्षा विद्यालयों से संलग्न राजकीय आदर्श विद्यालयों के तीन अध्यापक ऐसे हैं जो १६ वर्ष से सेवारत हैं । इन तीन अध्यापकों को स्थायी करने के लिये परीक्षणकाल पर रख दिया गया है । इस समय अल्मोड़ा जनपद में कुल १४ अस्थायी रिक्त पद हैं । इन पदों पर अल्मोड़ा जनपद के राजकीय दीक्षा विद्यालय से संलग्न राजकीय आदर्श विद्यालयों के ६ अध्यापकों को जिनमें उक्त तीन अध्यापक भी सम्मिलित हैं परीक्षाकाल पर रखा गया है । शेष ५ पदों पर मंडलीय ज्येष्ठतानुसार मंडल के अन्य विद्यालयों के अध्यापकों को परीक्षणकाल पर रख दिया गया है । शेष ३ पदों पर स्थायीकरण तभी सम्भव हो सकेगा जब विलीनीकृत टेहरी राज्य के अध्यापकों की ज्येष्ठता निर्धारित हो जायेगी ।

*६३---श्री राम गोपाल संड---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की रूपरेखा तथा कार्यक्षेत्र

*६४---श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़) तथा श्री हरीसिंह बिष्ट---

क्या सरकार प्रस्तावित उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की रूपरेखा बताने की कृपा करेगी कि अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

*६५---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस यूनिवर्सिटी का कार्य क्षेत्र श्रीनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा में किस तरह से विभाजित किया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र---

विषय विचाराधीन है ।

*६६-६७---श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)---

[५ वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला बलिया में फेफना गड़नार नगरा सड़क का पेन्टिग

*६८---श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)---

क्या सार्वजननिक निर्माण मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जिला बलिया अन्तर्गत फेफना गड़वार नगरा जाने वाली सड़क सार्वजनिक विभाग के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो सरकार को उस सड़क की डामर की पुताई कब तक कराने की योजना है ? क्या सरकार इस सड़क के अन्तर्गत फेफना ग्राम के उस खतरनाक संकरे टेढ़े भाग का भी सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल---

प्रश्नगत मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन है । इसको पेन्टिग करने तथा फेंफना ग्राम के टेढ़े भाग के सुधार करने की कोई योजना अभी नहीं स्वीकृत हुई है । क्योंकि संसाधनों की कमी है ।

*६९---श्री रामलगन दुबे---

[४थे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नौतनवां क्षेत्र की नदियों तथा नालों से जल निकासी के सम्बन्ध में कार्यवाही

*७०---श्री रामलगन दुबे---

क्या सिंचाई मन्त्री उत्तर प्रदेश विधान सभा के ३ जून, १९७० के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतानें की कृपा करेंगे कि नदी महाव, नदी रोहिन, बसमनिया, प्यास और बघेला, श्रीनगर, ताल, पवहकट तथा जल निकासी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का शासन का विचार है ?

श्री बलबीर सिंह---

इन विषयों पर कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*७१---श्री इन्द्रमणी---

[५वें बुधवार के लिये स्थगित]

*७२---श्री केशोराम (जिला बरेली)---

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*७३-७४---श्री निर्भय नारायण सिंह---

[७वे गुरुवार के प्रश्न संख्या २०---२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*७५---श्री राम किशोर शुक्ल---

[५वें बुधवार के लिये स्थगित]

जिला वाराणसी में नलकूपों की बोरिंग

*७६---श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---

वाराणसी रिंग डिवीजन ने सन् १९६९-७० में कितने ट्यूबवेल वाराणसी जनपद में बोर किये हैं तथा इस वर्ष कितने ट्यूबवेलों के लगाने का लक्ष्य था ?

श्री बलबीर सिंह---

वर्ष १९६९-७०में वाराणसी जनपद से रिंग डिवीजन, वाराणसी ने ७० नलकूपों की बोरिंग की थी तथा वर्ष १९७०-७१ में ६८ नलकूपों के बोर करने का लक्ष्य है ।

*७७---श्री गोविन्द सिंह---

[३रे गुरुवार के प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला टिहरी-गढ़वाल में मोटर मार्गों के निर्माण में प्रगति

*७८---श्री गोविन्द सिंह---

[क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल में इस १९७०-७१ में किन-किन मोटर मार्गों का निर्माण प्रारम्भ होना था ? उनके निर्माण-कार्य की प्रगति क्या है और प्रगति में यदि शिथिलता है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल---

जिला टिहरी गढ़वाल में १९७०-७१ में निम्नलिखित मोटर मार्गों का निर्माण प्रारम्भ होना था । निर्माण कार्य अभी किसी भी मार्ग पर प्रारम्भ नहीं किया गया है :---

(१) धनसाली छुत्तू मार्ग
(२) जाजला गजा मार्ग
(३) स्यूड़ सुआखोली मार्ग

उमरन ताल तथा चंदवा ताल से जल निकासी

*७९---श्री रामदेव---

क्या सरकार उमरन, पिथौनी बिरौनी, कर्मा तथा चेनवा झीलों के एकमात्र जल निकास के नाले को तत्काल ही चौड़ा कराने तथा उसकी बन्धी ऊंची कराने एवं पक्की कराने की व्यवस्था करेगी,जिससे कि सैकड़ों ग्राम बाढ़ के संकट से मुक्त हो सकें? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलबीर सिंह---

उमरन ताल तथा चंदवा ताल से क्रमशः उमरन तालड्रेन तथा सुल्तानपुर ड्रेन, उमरन, पिथौनी, विरौनी, करमा, तथा चंदवा झीलों के जल निकासी हेतु बनी हुई है । इन नालों को दुगनी क्षमता से चौड़ा करने का प्राक्कलन शासन के विचाराधीन है ।

जिला गोरखपुर के दोआबे में यातायात संबंधी सुविधा

*८०---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत तहसील बांसगांव में स्थित बेलघाट, कुआनों एवं सरयू के दोआबे की यातायात संबंधी सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार कोई सक्रिय कदम अविलम्ब उठाने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारी लाल---

जी नहीं ।

नगरपालिका, कोसी द्वारा बिना विज्ञापन के अध्यापकों की नियुक्ति

*८१—श्री तेजपाल (जिला मथुरा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका कोसी ने प्रधानाचार्य, तीन प्रवक्ताओं, चार सहायक अध्यापकों एवं तीन लैब ब्वायज की नियुक्ति बिना समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये अथवा रोजगार दफ्तर से नाम लिये जुलाई, १९७० में की है ? यदि हां, तो किस कारण ऐसा किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रधानाचार्य और एक अध्यापक की नियुक्ति विज्ञापन करके की गई थी। एक प्रवक्ता और दो अध्यापक पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये थे। एक अध्यापक पहले से ही अस्थायी रूप में नियुक्त थे। दो प्रवक्ता और दो लब ब्वाएज बिना विज्ञापन के नियुक्त किये गये थे। दोनों लैब ब्वाएज के पदों पर सितम्बर, १९७० में विज्ञापन करके नई नियुक्तियां की गई हैं। नियुक्तियां विद्यार्थियों की शिक्षा के हित में की गई थीं।

*८२-८३—श्री नेतराम सिंह—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित]

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध शिकायत

*८४—श्री सजीवन लाल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें २६ जुलाई, १९६९ व १७ अप्रैल, १९७० को नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध आर० बी० ओ० ऐक्ट के कार्यान्वयन में विभेद बरतने की सम्बन्ध में बेलदारी लेन, लखनऊ के किसी निवासी की शिकायत प्राप्त हुई थी जिनके बारे में अन्तिम बार स्मरण पत्र निवास विभाग को क्रमशः २९ अगस्त, १९७० तथा २२ सितम्बर, १९७० को भेजे गये थे ? यदि हां, तो क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त शिकायतों के मुख्य आरोप क्या थे व उनके सम्बन्ध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री गिरधारी लाल—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही ?

अतारांकित प्रश्न

जिला गोंडा में लकड़मंडी मखौड़ा मार्ग का निर्माण

१—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लकड़मंडी मखौड़ा मार्ग जिला गोंडा में कितना कि मोटर सड़क सरकार द्वारा स्वीकृत है और ३१ मार्च, १९७० तक कितना रुपया उक्त सड़क पर व्यय किया गया और अब उक्त सड़क के निर्माण की क्या प्रगति हुई है ?

श्री गिरधारी लाल—

जिला गोंडा में लकड़मंडी मखौड़ा मार्ग का निर्माण ५ किलोमीटरर की लम्बाई में स्वीकृत किया गया है। इस मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, सन् १९७० तक ५,००० रु० व्यय किया गया। इस कार्य का विस्तृत आगणन बनाया जा रहा है। विस्तृत आगणन के बन जाने पर प्राविधिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् कार्य किया जायेगा।

जिला इटावा में कंचौसी बाजार—ककोड़ सड़क के निर्माण की प्रगति

२—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इटावा जिले की कंचौसी बाजार से ककोड़ तक स्वीकृत सड़क का एस्टीमेट तैयार हो गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को बनाने का कार्य कब से शुरू होगा और क्या यह सही है कि उक्त सड़क को कंचौसी बाजार से आगे बढ़ा कर लहरापुर तक सप्लीमेंटरी बजट में बनाने के लिये स्वीकृत कर लिया गया है उसका निर्माण कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री गिरधारी लाल—

जी हां। इस सड़क का प्रारम्भिक आगणन तैयार हो गया है जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति तथा कार्य की वित्तीय स्वीकृत प्रदान करने के बाद कार्य के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जायेगी, उसके पश्चात सड़क पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा। कंचौसी बाजार से लहरापुर तक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम अनुपूरक मांगों में सम्मिलित नहीं है।

स्वामी नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छपिया, जिला गोंडा को दिया गया अनुदान

३—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन (गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी नारायण छपिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिला गोंडा को १ जनवरी, १९६५ से नवम्बर, १९७० तक कितना-कितना अनुदान किस-किस वर्ष में किन-किन मदों में प्राप्त हुआ है और कितना धन गन्ना सहकारी संघ बभनान के अनुदान के रूप में उक्त संस्था को प्राप्त हुआ है ? इसका पूर्ण विवरण देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २६३ पर)

४—श्री सियाराम तथा श्री नेतराम सिंह—

[५वें बुधवार के अता० प्र० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अध्यापकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल से इस सरकार ने करीब ३०० अध्यापकों को जेल में बन्द किया हुआ है। यह बहुत घृणित काम है, इस सरकार से ऐसे जघन्य काम की हमें आशा नहीं थी। बहुत शोर सुनते थे हम हाथी के दुम का, देखा तो दुम में रस्सी बंधी है। लेकिन मायूस गरीब मास्टर २९० जेल में बन्द हैं जो अपनी फरियाद एम० एल० ए० लोगों के पास, मिनिस्टरों के पास, परिषद् के मेम्बरों के पास लेकर आये थे, कि हम लोगों को

[श्री राजित राय पांडेय]

खाना नहीं मिल रहा है, उनको मंहगाई दीजिये। लेकिन इस सरकार ने उनको जेल में बन्द कर दिया, जिनमें महिलाओं को भी बन्द कर दिया। मैं इस लिए सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजितराम पांडेय सदन त्यागकर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता—

जब नम्बर १० आये तब शिक्षकों के बारे में कहें। तब तक दूसरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

प्रश्नों के उत्तर देते समय सदस्यों से 'लिखित सूचना' देने के लिए कहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

एक प्रश्न तो यह था कि सरकार की ओर से प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में बार-बार कहा गया कि लिखित सूचना दें। प्रश्नों के सम्बन्ध में पहले से यह व्यवस्था है कि अगर माननीय सदस्य सदन में मौखिक सूचना देते हैं तो भी मान ली जाती है। आज बार बार कहा गया कि लिखित सूचना दें। जब कभी माननीय सदस्यों ने कहा प्रश्नों के सम्बन्ध में कि उनकी मौखिक सूचना को नोटिस मान कर सरकार कार्यवाही करे तो उस पर लिखित नोटिस की बात कही गयी है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो पूर्व व्यवस्था है कि अगर माननीय सदस्य मौखिक सूचना दे दें, तो उस पर सरकार कार्यवाही करे।

श्री अधिष्ठाता—

दोनों तरफ से ठीक है। सरकार दे दे तो अच्छा है। वरना माननीय सदस्य लिखित दें।

विविध विषय

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, कल हाउस के अन्दर जो विश्वविद्यालय विधेयक आया था उसके अन्दर जो वोटिंग हुई उसमें विपक्ष के वोट १५४ थे और सरकारी पक्ष के २२५ थे। लेकिन नवजीवन अखबार ने विपक्ष के वोट १५६ छापे हैं। मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज का नोटिस आपके सामने रखना चाहता हूं। हर दूसरे रोज 'नवजीवन' अखबार गलत खबरें छापता रहता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप लिखित भेज दें।

श्री जगननाथ खन्ना—

मैं लिखित भेज देता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप अपनी व्यवस्था दें। हालांकि मेरी बात कुछ मजाक सी भी है, माननीय सदस्य मजाक न समझें।

श्री अधिष्ठाता—

आप मजाक की बात ही न कहें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

सदन में मजाक नहीं होना चाहिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मजाकिया बात नहीं है । उस पर मजाक हो सकता है । कल १२ दिन से जो सदन की व्यवस्था चल रही है आम तौर पर विपक्ष और पक्ष दोनों तरफ के जितने एम० एल० ए० हैं उनको लाबीज के अन्दर बन्द रखने की कोशिश की जाती है । इस सिलसिले में बड़ी परेशानी होती है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपको अगर किसी ने बन्द किया है तो कहिए । दूसरों के बारे में नहीं कह सकते । आपके साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बारे में आप कह सकते हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैं इसको वापस लेता हूं । मुझे कहना है कि यहां पर वोटिंग की वजह से ज्यादा से ज्यादा आग्रह किया जाता है कि हाउस में रहें, बाहर न जायं । इस सिलसिले में एक दिक्कत पेश होती है और वह यह है कि यहां पर कोई शौचालय और पेशाबघर का इंतजाम नहीं है, इसलिये उधर के लोगों को और इधर के लोगों को परेशानी होती है । कल एक माननीय मंत्री जी एक सदस्य से कह रहे थे और वह उठकर जा रहा था क्यों कि उसको परेशानी थी । इसलिये अगले सेशन से पहले लाबीज में इसका इंतजाम कर दिया जाय ।

श्री कृष्ण चन्द्र—

यह सरकार लोगों का पेशाब और पाखाना बन्द कर देना चाहती है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा है और जिसके बारे में शिकायत की है उसने भी कुछ नहीं कहा है, इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मुझे समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

कपूर साहब को मैंने समय दिया है ।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, कल यहां पर ५, ६ हजार अध्यापकों ने प्रदर्शन किया ।

श्री अधिष्ठाता—

यह सवाल १० नम्बर पर है, तब मैं आपको समय दूंगा ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

इनकी सरकार अध्यापकों को बन्द करती है और इनके सदस्य दिखावटी आंसू गिरा रहे हैं, यह बात नहीं सुनी जायगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र--

मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई नियमित रूप से सरकार नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है। इसका कारण यह है कि मान्यवर कल जब विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर विवाद चल रहा था तो इस मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य, प्रभू नारायण सिंह जी के लड़के ने ऊपर से दीर्घा गैलरी से पर्चे डाले थे और नारे लगाये थे।

(व्यवधान)

मेरी बात सुन ली जाय।

मैं जो बात कह रहा हूं उसमें तर्क है। इसको सभी ने स्वीकार किया है कि सरकार की कलेक्टिव रिसपान्सिबिलिटी होती है। राजस्व मंत्री जी का लड़का उनके यहां रहता है। मान्यवर, हाउस आफ कामन्स में भी इसके ऊपर व्यवस्था हुई है। इस प्रकार के प्रश्न वहां भी आये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं व्यवस्था दे दूं। आप कहते है कि नियमित सरकार नहीं है, मैं कहता हूं कि नियमित सरकार है और उसी से सुबह से सवाल कर रहे ह।

(व्यवधान)

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)--

कल शाम को शिक्षकों ने जिसमें ५, ६ हजार आदमी थे प्रदर्शन किया।

श्री अधिष्ठाता--

यह १० नम्बर पर आयेगा, तब आप कहें।

श्री रामदेव--

मुझे बड़ा क्षोभ है कि इन अध्यापकों को अब तक छोड़ा नहीं गया है, इसलिये मैं उन की सहानुभूति में सदन त्याग करता हूं।

(श्री रामदेव सदन त्याग कर चले गये।)

विद्युत मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

छोड़ दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड--

श्रीमन्, आपने मुझे सुना नहीं और माननीय मंत्री को खड़ा होने के लिये बुला लिया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अभी वक्तव्य आ रहा है, वक्तव्य के समय आप बोल लेंगे।

श्री राम गोपाल संड--

आप पहले इस पर व्यवस्था दें और फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी वक्तव्य दें।

व्यवधान)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १० दिसम्बर, १९७० को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २२ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ३३वां प्रतिवेदन

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति का ३३वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

२--इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों की वर्तमान स्थिति अंकित की गयी है, जो विधान सभा में सन् १९६६ में दिये गये थे।

३--सदन में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति साधारणतया ३ मास में हो जानी चाहिये परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। समिति को दुख के साथ सदन को यह सूचना देनी पड़ रही है कि यथासंभव प्रयास करने पर भी ८९ आश्वासन अभी अपूर्ण है। इनमें से ७ ऐसे मामले है, जिनकी पूर्ति के बारे में सम्बन्धित विभागों ने समिति को कोई सूचना देना उचित नहीं समझा। इस प्रकार के आश्वासन जन स्वास्थ्य, नगरपालिका, राज्य सम्पत्ति, वित्त, शिक्षा तथा स्वायत्त शासन विभागों से संबंधित है। समिति इसे अत्यधिक आपत्तिजनक समझती है।

४--इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य भी आये हैं जिनसे यह आभास होता है कि शासन द्वारा आश्वासनों को समुचित महत्व नहीं दिया जाता। जैसा कि पहिले ही कहा गया है कि आश्वासन की पूर्ति ३ मास में हो जानी चाहिये और जब तक वह आश्वासन पूर्ण न हों सम्बन्धित विभाग उसके बारे में त्रमासिक रिपोर्ट भेजें। समिति ने कई मामलों में यह देखा है कि ३ वर्षों तक उसे कोई अग्रेतर सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आश्वासन संख्या ८५/६६ की पूर्ति के बारे में पशुपालन विभाग ने ११ अगस्त, १९६६ के बाद समिति को कोई सूचना प्रेषित नहीं की यद्यपि यह आश्वासन अभी अपूर्ण है। इस प्रकार के बिलम्ब से आश्वासन का महत्व समाप्त हो जाता है।

५--एक अन्य प्रश्न की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह है कि आश्वासन की पूर्ति तो कर दी जाती है, परन्तु उसकी सूचना समिति को नहीं दी जाती है। इस प्रकार के कई मामले समिति के समक्ष आये हैं। जब समिति ने विभागीय उच्च अधिकारी से आश्वासन के पूर्ण न हो सकने के कारण को जानने का निश्चय किया उस समय समिति को यह सूचना दी गई कि आश्वासन की पहले ही पूर्ति की जा चुकी है। विभागों के इस प्रकार के रवैये पर समिति अपना क्षोभ प्रकट करती है और शासन से यह सिफारिश करती है कि वह सदन में दिये गये आश्वासनों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए ऐसे आदेश जारी करे जिससे समिति को आश्वासन के बारे में यथासमय सूचनायें प्राप्त होती रहें।

६--समिति ने यह भी अवलोकन किया है कि जिन महत्वपूर्ण आश्वासनों की अविलम्ब पूर्ति की जानी चाहिये थी, वह भी नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में मैं आश्वासन संख्या ६८ का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं जिसक अन्तर्गत यक्ष्मा के रोगियों को राजकीय यातायात के किराय म छूट देने का आश्वासन १५ फरवरी, १९६६ को सदन म दिया गया।

[श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—]

लगभग ५ वर्ष बीत जाने पर भी यह विषय अभी भी शासन के विचाराधीन है। समिति शासन से अपेक्षा करती है कि इस प्रकार के मामलों पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जाय।

७—अन्त में मैं राज्य प्रशासन के उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं जिन्होंने समय समय पर समिति के समक्ष उपस्थित होकर उसे आश्वासनों के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

मैं समिति से सम्बन्धित उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम, सहयोग तथा सहायता से समिति इस प्रतिवेदन को समय पर सदन में प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, हमें इसकी कोई कापी नहीं दी गयी। यह कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है जिसे हम सुनते रहें। इस प्रतिवेदन की कापी वितरित होनी चाहिये।

विधान सभा कक्षों में शौचालय खोलने तथा मार्शल की पदोन्नति के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस सदन से सम्बन्धित एक व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मौजूदा राजनीतिक स्थिति में सारे सदस्यों को दोनों लाबियों में एक घंटे, डेढ़ घंटे बैठना पड़ता है। हाउसिंग कमेटी की सिफारिश हो चुकी है कि दोनों लाबीज में ऐसा प्रबन्ध यूरीनल वगैरह का किया जाय जिससे ओनरेबिल मेम्बर को वहां बैठने में कोई परेशानी नहो। कल के बाद हम लोग उठ रहे हैं और फिर एक डेढ़ महीने बाद मिलेंगे। जैसी राजनीतिक स्थिति है उसमें पता नहीं कितने ऐसे मौके आयेंगे कि हमें घंटे दो घंटे लाबीज में बठना पड़े। वहां खाने का इंतजाम तो कर देते हैं लेकिन जैसा ओनरेबिल मेम्बर ने अभी बतलाया वह भी इंतजाम होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि इस सदन में जो आश्वासन सरकारी पक्ष ने वक्तन फवक्तन दिये हैं वे पूरे नहीं किये जाते। यहां गड़बड़ी रोकने के लिये जो कमेटी बनी थी उसने सिफारिश की थी कि कौंसिल गार्ड बढ़े और मार्शल की पदोन्नति हो। लेकिन बावजूद पार्लियामेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर के आश्वासन के जिस तरह से सिफारिश की गयी थी वह पूरी नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि उस पर जल्दी कार्यवाही हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का ३३वां प्रतिवेदन (क्रमागत)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो आश्वासन समिति की रिपोर्ट रखी गयी है तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि इस पर बहस करने के लिए कोई दिन नियत किया जाय क्योंकि यह सरकार अपने आश्वासन से बहुत जल्द हट जाती है और मंत्रिगण सदन में आश्वासन देने से घबड़ाने लगे हैं। इसलिए हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिये आपसे निवेदन करते हैं कि कोई दिन इस प्रतिवेदन पर बहस के लिये निश्चित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

आश्वासन समिति की रिपोर्ट करीब एक महीने में पेश हो जायगी, ऐसी उम्मीद है, और उस पर इस सदन में विवाद हो इससे मैं माननीया सदस्या के विचारों से सहमत हूं जिससे कि सभी को इस पर विचार करने का मौका मिले।

माननीय रियासत हुसैन से कहना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को खाने खिलाने या वहां वोट डालने की परम्परा नहीं है। टट्टी पेशाब का इन्तजाम लाबी में हो सके तो यह माननीय अध्यक्ष और सभी दलों के नेताओं से सलाह करके हो सकेगा। लेकिन माननीय सदस्यों को मजबूर किया जाता है तो यह उचित नहीं है। मेरा मतलब पक्ष विपक्ष दोनों से है।

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि बुधवार दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० को (१) उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर सामान्य चर्चा ३—३० बजे और खन्डशः विचार तथा पारण ४ बजे अपरान्ह तक होगा। (२) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव ४ बजे से ४.४५ बजे अपरान्ह तक लिये जायेंगे। (३) विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रमण तथा अर्जन) विधेयक, १९७० जैसा कि विधान सभा द्वारा पारित हुआ था, में विधान परिषद द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार एवं उसकी स्वीकृति तथा रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार तथा पारण के प्रस्ताव ४.४५ बजे से ५.१५ बजे अपरान्ह तक लिये जायेंगे।

गुरुवार, दिनांक २४ दिसम्बर, १९७०

(४) उत्तर प्रदेश प्रतिकूल कार्य कलापों का निवारण विधेयक, १९७० तथा उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण विधेयक, १९७० पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव १ बजे से ३ बजे अपरान्ह तक लिये जायेंगे। (५).बिना कार्य किये मंत्री बने रहने और तदर्थ वेतन कटौती करने के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त तिवारी के खेद, प्रकाशन के प्रस्ताव पर ३ बजे से ५ बजे अपरान्ह तक चर्चा होगी।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने कार्यक्रम के विषय में जो सिफारिशें की हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति ने कार्यक्रम के विषय में जो सिफारिशें की हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

श्री बसंत लाल शर्मा के प्रस्ताव पर मैं श्रीमान जी को यह सूचित करना चाहता हूं कि गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन (संशोधन) विधेयक, १९७० पर केवल ४५ मिनट का समय दिया गया है जो बहुत ही कम है। कृपया इसको बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में पुनः विचार करने के लिये भेज दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि इतनी जल्दी में इसको पारित करने की क्या जरूरत है क्योंकि इस पर सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे और उनके विचारों को सुनने का हमको अवसर मिलना चाहिये। कम से कम इस पर दो घन्टे का समय अवश्य रखा जाना चाहिये। इस कारण इसको कार्यमंत्रणा समिति को भेज दिया जाय।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिये कम से कम दो घन्टे का समय दे दिया जाय तो मैं समझता हूं यह समय कम है और इस पर कम से कम ३ घन्टे का समय दिया जाना चाहिये । अभी तक जिन लोगों का गन्ने के क्षेत्रों से अधिक सम्बन्ध नहीं था उन लोगों को ही बोलने का मौका मिला है और अब जिन लोगों से इसका सम्बन्ध है वे अपने विचार इस पर प्रकट करना चाहेंगे । उनको ऐसा अवसर मिलना चाहिये ।

श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)---

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय बसंत लाल शर्मा ने रखा था उसकी स्वीकृति मिल गई थी अब फिर उस पर फिर चर्चा हो रही है यह तो उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

अभी तक प्रश्न तय नहीं हुआ था ।

(व्यवधान)

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक है यह कोई एक छोटी समस्या नहीं है.....

(व्यवधान)

(श्री जगननाथ खन्ना के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता---

खन्ना साहब, आप बैठिये । मैं व्यवस्था दे चुका हूं कि इस पर हां और न में पूर्ण निर्णय नहीं हो सका और न हीं पूरी वोटिंग हो सकी । जसे ही मैंने वोटिंग के लिये रखा, माननीय गेंदासिंह को अपना संशोधन रखने के लिये हक है । मैं सरकारी पक्ष से पूछ लूंगा अगर उसके निर्णय में परिवर्तन हो सकता है, तब मैं सदन के समक्ष रखूंगा ।

[श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही माननीय बसंत लाल शर्मा ने संशोधन रखा उसी वक्त माननीय गेंदासिंह जी उठकर खड़े हो गये । मैं भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था लेकिन आपकी निगाह मेरे ऊपर नहीं पड़ी इसलिये शायद आपने मुझे अवसर नहीं दिया । मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं.....

श्री सुख पाल पांडेय---

मान्यवर १९ करोड़ रुपया बकाया है.....

श्री अधिष्ठाता---

पांडेय जी आप बैठ जायं । मैंने श्री भानु प्रताप जी को बुलाया है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)---

यह एक ऐसी समस्या है जिस पर सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहेंगे । मान्यवर, वस्तुस्थिति यह है कि अगर हम सरकारी पक्ष में बैठे हैं तो इसके यह माने नहीं कि जो गम्भीर समस्या है उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते । सरकार सदस्यों के ऊपर चढ़ जाती है अगर वह इधर से उधर पहुंच जाते हैं । हम लोग तो इसलिये मैकमोहन लाइन पर बैठे हैं

जहां अगर जरूरत पड़े तो कृषकों के हित में यदि कोई बात हो उसे कहने में न हिचकें और न ही सरकार से कहने से हिचकें। मान्यवर, आप तो बापू के चरणों में बैठे हैं आप तो न्याय करें। यह एक गम्भीर समस्या है हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, हमें अवसर दें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

मान्यवर, आपको भली भांति ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर पूर्वी अंचल में २०-२५ ऐसी मिले हैं, और केवल बस्ती में ही ४ मिलें हैं, जिन पर ६० लाख रुपया किसानों का अब तक बकाया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समय के ऊपर ही बोलें कि ज्यादा हो या नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री—

हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और ४५ मिनट में कुछ भी नहीं होने का। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार किया जाय और कुछ समय अधिक हो जाय तो कृषकों की परेशानी को दूर किया जा सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर·····

श्री अधिष्ठाता—

आप तो कार्य मंत्रणा समिति में हैं, आपको नहीं बोलना चाहिये। सरकार की सुन लें।

सहकारिता उप मंत्री (श्री मही लाल)—

माननीय अधिष्ठाना महोदय, इस सदन की यह परम्परा रही है कि कार्य मंत्रणा समिति जो निश्चय करती है उसको माननीय सदस्य हमेशा स्वीकार कर लिया करते हैं। यह बात सही है कि गन्ना इस प्रदेश की ऐसी फसल है जिससे प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों का सम्बन्ध है। इसी विषय पर माननीय गेंदासिंह कई दिन पूर्व अपने विचार एक संकल्प के द्वारा रख चुके हैं। इसके अलावा मिलों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में इसी अधिवेशन में उस पर चर्चा हो चुकी है और जो संशोधित विधेयक आ रहा है उसका तात्पर्य केवल इतना है कि पिछले वर्ष जो गन्ने की फसल ज्यादा थी जिसकी वजह से फैक्टरीज को चलाने के लिये समय बढ़ाने के अधिकार इस विधेयक के जरिये से लिया जा रहा है। इसके अलावा इस विधेयक में और कुछ नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य जो इस सदन की स्वच्छ तथा स्वस्थ परम्परा रही है कि कार्य मंत्रणा समिति के निश्चय में कोई संशोधन नहीं आता है उसे कायम रखें और कृपया वे अपने संशोधनों एवं आपत्तियों को वापस लें और कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह सही है कि कार्य मंत्रणा समिति ने जो अभी अपनी सूचना दी है इसे स्वीकार किया लेकिन कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में कोई संशोधन नहीं आ सकता इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसी सदन में कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्तावों में संशोधन आये हैं, उन पर विचार हुआ है और वोटिंग भी हुआ है। इस समय प्रश्न यह नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें न मानी जांयं बल्कि प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य देवरिया ने यह प्रस्ताव किया है कि केवल गन्ने वाले विधेयक पर दोबारा विचार करने के लिये एवं समय बढ़ाने के लिये दोबारा उसे रेफर किया जाय, रिजेक्ट करने की बात नहीं की है। इस बात को देखते हुए कि हमारे सम्मानित सदस्य बरेली तथा बस्ती जिन्होंने कहा कि वह मेकमोहन लाइन पर बैठे

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हुए हैं और वे अपनी सदस्यता के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं उसको दृष्टि में रखते हुए मेरा निवेदन है कि कार्यमंत्रणा समिति इस पर १५ मिनट में दोबारा विचार कर ले कि समय बढ़ सकता है या नहीं। यह विचार दो तीन बजे के बीच हो ताकि एक मत भी बना रहे और कार्य मंत्रणा समिति में विचार भी हो जाय।

श्री महीलाल---

अभी आप सुझाव दे दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कार्य मंत्रणा समिति में हम और आप बातचीत कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता---

यह ठीक है कि कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव में कोई सदस्य संशोधन रख सकता है। नियम २२६ में साफ लिखा है "परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में समिति को पुनर्निर्दिष्ट कर दिया जाय। किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायगा और कोई सदस्य एसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे।" तो माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह आ सकता है।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

माननीय तिवारी जी ने जो सुझाव रखा है कि कार्य मंत्रणा समिति में दुबारा इस पर विचार कर लिया जाय तो इसमें क्या एतराज हो सकता है?

श्री अधिष्ठाता---

सारा सदन कहे तो रखेंगे।

श्री महीलाल---

सवा ५ बजे तक बैठने का निश्चय हुआ है। साढ़े ५ बजे तक बैठ लें या ६ बजे तक बैठ लें। कार्य मंत्रणा समिति म अब इसे भेजने का कोई प्रश्न नहीं है अगर माननीय तिवारी जी रजामन्द हो जायं तो।

श्री अधिष्ठाता---

आप कितना समय देना चाहते हैं?

श्री महीलाल---

१५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

उपमंत्री कुछ कहते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री कुछ कहते हैं। किसकी बात को सही माना जाय? माननीय मंत्री जी ने हमारी बात को मान लिया है कि यह कार्य मंत्रणा समिति में जा सकता है.....

(व्यवधान)

श्री महीलाल---

माननीय सदस्या भुलावे में पड़ रही हैं। मैंने यह नहीं कहा।

श्री अधिष्ठाता---

(श्री गेंदा सिंह जी की ओर संकेत करते हुये) आप माननीय महीलाल जी के सुझाव से सहमत हैं कि आधा घन्टा इस पर समय बढ़ा दिया जाय ?

*श्री गेंदा सिंह---

मान्यवर, यहां पर ऐसे-ऐसे विधेयक निर्दयतापूर्वक पास हुये हैं किन्तु किसी भी विधेयक के साथ इतनी निर्दयता नहीं बरती गई जितनी कि इस विधेयक साथ बरती जा रही है । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । जैसा कि माननीय मही लाल जी ने कहा नेशनलाइजेशन आफ शुगर पर ढाई घंटे तक बहस हुई और उसमें इतना डिटेल नहीं था जितना कि इसमें है । मान्यवर, आप जानते हैं कि ६०-७० फैक्टरियां ऐसी हैं और सबकी अलग-अलग समस्यायें हैं । माननीय सदस्य इस समय सदन में बैठे हैं और न मालूम कि अगला सेशन कब हो और जो कठिन समस्यायें किसानों की गन्ने के सम्बन्ध में हैं उनको हम सरकार की जानकारी में लाना चाहते हैं । इस पर चर्चा के लिये मैंने तो सिर्फ २ घंटे का समय मांगा था किन्तु यहां पर कुछ माननीय सदस्योंने ३ घंटे के समय की मांग की है । इसमें पांच-पांच, सात-सात मिनट सभी माननीय सदस्य जो इस पर बोलना चाहें उन्हें आप बोलने की आज्ञा अवश्य दें । मान्यवर, १६ करोड़ रुपया किसानों के गन्ने का मिल मालिकों के ऊपर बकाया है । इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है और आप केवल ४५ मिनट के समय के अन्दर इस विधेयक को पास करना चाहते हैं । अतः दो घन्टा तो समय आप इसमें हमें अवश्य दें किन्तु जिस माननीय सदस्य ने ३ घन्टे के समय की मांग की है मैं उसका भी समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि सदन का समय सवा पांच बजे के बजाय सवा छः बजे तक दिया जाय । और इस प्रकार एक घन्टे का समय और बढ़ा देने से इस विधेयक को पौने दो घन्टे का समय मिल जायेगा । जहां तक माननीय सदस्या राजेन्द्र कुमारी जी का यह सवाल कि सरकार के पक्ष से दो-तीन बातें एक साथ होती हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भी तो कार्य मंत्रणा समिति में बैठती हैं । और यह बातें वहीं पर बैठकर वह भी तय करती हैं फिर यहां पर आकर ऐसी बात करती हैं..... (व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

यह सदन कार्य मंत्रणा समिति से ऊपर है । इस सदन को उससे ऊंचे अधिकार हैं ....

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर, माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी तो मंत्री रह चुकी हैं वे बोलने से पहले कम से कम आपका आदेश तो ले लें । तो मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि आप आज सदन का समय बढ़ा दें और जितनी देर माननीय सदस्य बहस करना चाहें करें । रात के १२ बजे तक बैठे मुझे कोई ऐतराज नहीं है.....

श्री अधिष्ठाता---

तो दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, यह हमें मंजूर है । सदन इसमें जितनी बहस करना चाहे करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी हमारी बात को मान गये हैं। अतः मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे सदन का दो घंटे का समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव भी ले आयें.....

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि गन्ना पूर्ति विनयमन के लिये जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है, समय बढ़ाने के लिये इसे फिर से कार्य मंत्रणा समिति को पुनः भेज दिया जाय।
(व्यवधान) (एक आवाज में)---सदन ही इस पर निर्णय ले।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं सदन से निवेदन करूंगी कि समय के संशोधित प्रस्ताव को यहीं पर लिया जाय और जहां पर यह लिखा है कि ४५मिनट का समय इस विधेयक पर दिया जाय, वहां पर ४५ मिनट के बजाय २ घन्टा कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

नियम यह है कि यह प्रश्न कार्य मंत्रणा समिति को पुनः निर्दिष्ट किया जाय। इसके अलावा नियमों में और कोई प्राविधान नहीं है।

(आवाजें---ठीक है)

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, आपने मुझे बुलाया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप दोनों आदमी तो देहरादून इलाके के हैं, क्यों लड़ रहे हैं। मैंने नेगी जी को बुलाया है।

श्री गोविन्द सिंह---

मान्यवर, आज माननीय सदस्यों को अपना कर्तव्य निभाना बहुत कठिन हो गया है। मान्यवर, नियमों में परिसर के बारे में उल्लेख किया हुआ है। इस सदन में आने के लिये जो मार्ग है वह भी इस सदन के परिसर में आ जाता है। श्रीमन्, इस कौंसिल हाउस का जो गेट है वह भी इस सदन का परिसर है.....

श्री अधिष्ठाता---

पहले यह प्रश्न तय हो जाय। उसके बाद बोलिये।

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० को पुनः समय निर्धारण के लिये कार्यमंत्रणा समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि शेष कार्य के लिये कार्यमंत्रणा समिति द्वारा नियत समय स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विविध विषय (क्रमागत्)

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रदेश की जनता के प्रति माननीय सदस्यों को अपने कर्तव्य निबाहने में यह सरकार रोड़ा अटका रही है। आप से मैं उसका संरक्षण चाहता हूं। कल हमारे प्रदेश के अध्यापक यहां आये हुए थे और माननीय सदस्यों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। विधान परिषद् के कुछ सदस्य उनसे मिलने के लिये बाहर गये। सरकार ने उन अध्यापकों और विधान परिषद् के ८ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आपने अध्यापकों के संबंध में मुझे बोलने से रोक दिया था।

श्री गोविन्द सिंह--

मैं अध्यापकों के संबंध में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं मैं तो माननीय सदस्यों के बारे में कह रहा हूं। माननीय सदस्यों को आपका संरक्षण मिलना चाहिये। जिससे वे अपने कर्तव्य का पालन कर सकें।

श्री अधिष्ठाता--

आप लिख कर भेज दीजिये, उस पर व्यवस्था हो जायगी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अध्यापकों और शिक्षकों के बारे में एक कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया गया था.....

श्री अधिष्ठाता--

ऐजेन्डा के नम्बर १० पर इस बारे में आपको बोलने का मौका दिया जायगा।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

उसमें वक्त लगेगा। आप देख रहे हैं कि इस विषय में इधर और उधर के सभी सदस्य बहुत उत्सुक हैं। इसलिये उस संबंध में वक्तव्य आप पहले दिला दें। हाउस उस बारे में बहुत एक्साइटेड है।

श्री अधिष्ठाता--

२-४ मिनट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस पर वक्तव्य आज ही होगा। अध्यापकों के मसले पर म बहुत शांतिपूर्वक माननीय सदस्यों को सुनना चाहता हूं। उस व्यवस्था में आप व्यवधान कर रही हैं और सदन का अमूल्य समय भी खराब हो रहा है।

प्रतापगढ़ जिले के कुन्डा थानान्तर्गत मानिकपुर ग्राम में श्री रामनाथ के घर नक्सलपंथियों द्वारा डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)--

श्री राम नाथ निवासी मानिकपुर, थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक ११-१२-९० को थाना कुंडा में एक रिपोर्ट लिखायी कि दिनांक १०-११ दिसम्बर की रात्रि में लगभग २५-३० सशस्त्र व्यक्तियों ने उनके मकान को घेर लिया। डकैतों में से एक व्यक्ति लल्लू जो उसी गांव का था, ने उनके लड़के प्रेम को पुकारा और दरवाजा खोलने के लिये कहा। प्रेम ने दुकान का दरवाजा खोल दिया। इस पर लल्लू अपने कुछ साथियों के साथ अन्दर घुस गया और वे सब

[श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह]

प्रेम को मारने लगे और बाहर खींच कर लाने लगे। एक कान्सटेबिल, जो वहीं सो रहा था ने प्रेम का हाथ पकड़ लिया और डाकुओं को खींचने नहीं दिया। इस पर डकैतों ने कान्सटेबिल को पीट कर एक चारपाई में बांध दिया। डकैत उनके पुत्र प्रेम को साथ में लिये "नक्सलपंथी जिन्दाबाद, पूंजीपति नहीं रहेंगे, यह सरकार निकम्म है" आदि नारे लगाते हुए उनके घर में घुस गये। वे अपने मकान से नीचे उतरे और शोर मचाते हुये साइकिल से थाने में सूचना देने के लिये भागे। उसी समय डकैतों ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया।

२—इस सूचना पर एक मुकदमा अपराध संख्या ३२० धारा ३९५/३९७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज हुआ और जांच आरम्भ की गई जो अभी जारी है।

३—छः नामांकित अभियुक्तों में से चार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनमें से एक के पास से झण्डा, जिस पर नक्सलपंथी नारा लिखा था, व एक साइकिल बरामद हुई और दूसरे के पास से कुछ माल भी बरामद हुआ।

४—तीन व्यक्तियों को चोटें आई और कोई मारा नहीं गया। लगभग साढ़े पांच हजार की संपत्ति डाकुओं द्वारा लूटी गई।

५—शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये पी० ए० सी० और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। जनता के दिल से आतंक दूर करने के लिये अधिकारियों द्वारा जगह-जगह मीटिंग की गई।

श्री नन्दकिशोर, निवासी काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह)—

दिनांक ११-१२-७० को ५ बजे शाम पुलिस चौकी बांस फोड़ान, थाना काशीपुर, पर श्री रामचन्द्र सिंह मुंशी चुंगी नगर पालिका, काशीपुर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति चुंगी के सामने शराब के नशे में मदहोश गिरता पड़ता फिर रहा है जिससे वहां तमाशाई इकट्ठे हो गये और आमद रफ्त बन्द हो गई है। इस सूचना पर एक कान्सटेबिल मौके पर गये और नन्द किशोर पुत्र नारायण दत्त, निवासी काशीपुर को नशे की हालत में देखा और उसे धारा ३४ पुलिस एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार करके थाने पर लाये जहां से उसे ५-४५ बजे शाम डाक्टरी निरीक्षण के लिये सिविल अस्पताल भेजा गया। डाक्टरी निरीक्षण से नन्द किशोर शराब पिये हुए पाया गया। अस्पताल से वापसी पर उसे ६-२० शाम थाने की हवालात में बन्द कर दिया गया। उसी दिन ८-१० शाम सन्तरी ड्यूटी घूमता हुआ हवालात की ओर गया और मुलजिम का पाजामा अलग चमकता देखकर उसने मुल्जिम को आवाज दी। उत्तर न मिलने पर हवालात के नजदीक जाकर देखा कि अपराधी हवालात के दरवाजे के ऊपरी सिकचे में बंधी हुई डोरी का फन्दा गले में लगाये हुए दरवाजे के सहारे टिका है। यह डोरी अपराधी के पाजामे की थी। सन्तरी ड्यूटी द्वारा इसकी सूचना मिलने पर थाना स्टाफ तुरन्त उस तरफ दौड़ा और डोरी को काटा गया। अपराधी के शरीर में कुछ गर्मी महसूस हो रही थी अतः तुरन्त एक प्राइवेट डाक्टर को बुलाया गया जिसने अपराधी को मृत घोषित किया।

२—उपरोक्त घटना की सूचना सर्किल आफिसर काशीपुर को टेलीफोन से दी गई। सर्किल आफिसर तुरन्त थाने पर पहुंचे और उन्होंने जूडिशिएल अफसर को सूचित किया और वह भी तत्काल थाने पर पहुंचे। जुडिशिएल अफसरने थाने पर अपराधीमृत पाकर सम्मानित नागरिकों को थाने पर बुलाया और पंचायतनामा तैयार किया। पंचो ने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि नन्दकिशोर की मृत्यु शराब के नशे में आत्म हत्या के कारण हुई। इसके उपरान्त लाश पोस्टमार्टम के लिये भेजी गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार भी नन्द किशोर की मृत्यु का कारण गले में फन्दा लगाकर लटकना ही पाया गया। मृतक के शरीर पर मृत्यु से पहले की कोई चोट नहीं पाई गई केवल गले पर डोरी का निशान पाया गया। मामले के मैजिस्टीरियल जांच एस० डी० एम० काशीपुर को सुपुर्द की गई है। स्थिति सामान्य है।

श्री श्याम बिहारी पत्रकार द्वारा जिलाधीश, आगरा के कार्यालय के सामने आमरण अनशन तथा आत्म-दाह की धमकी के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री श्याम बिहारी लाल तथा उनके कुटुम्ब के अन्य सदस्य आगरा में एक मकान के मालिक हैं जिसमें डा० राम स्वरूप सिंह एक स्थानीय होम्योपैथ किरायेदार है। मकान के स्वामित्व के बारेमें श्री श्याम बिहारी लाल तथा उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्यों में झगड़ा चल रहा है तथा मामला न्यायालय में है। श्री श्याम बिहारी लाल मकान का किराया डाक्टर से चाहते थे पर अदालत में चल रहे विवाद के कारण डाक्टर ने उन्हें किराया नहीं दिया। इस पर श्री श्याम बिहारी लाल ने १६-४-१९७० को धारा ४५२/३२३ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक लिखित रिपोर्ट थाना रकाबगंज में सरदार सिंह, उनके पुत्र और डाक्टर राम स्वरूप सिंह के दो पुत्रों के विरुद्ध प्रस्तुत की। मामले की तफतीश थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा की गई और बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। इस पर श्री श्याम बिहारी लाल ने दिनांक १५-१२-७० से जिलाधीश महोदय की अदालत के सामने कचहरी के अहाते में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे २५-१२-७० को आत्मदाह कर लेंगे यदि उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके संबंध में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है कोई कार्यवाही नहीं की गई। २१-१२-७० को उनकी दशा चिन्ताजनक बतायी गई जिस पर उनका मुआयना सिविल सर्जन से करवाने को कहा गया। डाक्टरी रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ की उनकी दशा गंभीर है। इस पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु पुलिस को निदेश दिये गये और वे २१-१२-७० को धारा ३०९/१०९/११४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिये गये। २१-१२-७० को एक दूसरे व्यक्ति श्री श्रीराम बाबू शर्मा ने श्री श्याम बिहारी लाल की सहानुभूति में भूख हड़ताल प्रारम्भ की। इन्हें भी श्री श्याम बिहारी लाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है तथा उनकी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। यह सही नहीं है कि श्री श्याम बिहारी लाल की आत्मदाह की घोषणा से नगर की जनता में कोई बेचैनी है परन्तु कुछ संवाददाताओं ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनसे अनुरोध किया कि वे आत्मदाह न करें जिसे उन्होंने मान लिया है और आत्म दाह करने की अपनी धमकी को वापस ले लिया है।

प्रतापगढ़ जिले के कुण्डा थानान्तर्गत मानिकपुर ग्राम में श्री रामनाथ के घर नक्सलपंथियों द्वारा डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

मानिकपुर में जुलाई से अब तक ४ डकैतियां पड़ी। तीन की तो रपट ही पुलिस ने नहीं लिखी। यह ऐसी डकैती है जिसके बारे में रपट लिखी गयी है। इसमें यह सम्भावना अधिक है कि पेशेवर डाकुओं ने डाका डाला और नक्सलवादी का उन्होंने झूठा नारा लगाया वहां पर कुछ ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिनके यहां डाकू पनाह पाते हैं। उनके यहां बन्दूक के लाइसेन्स हैं। रिपोर्ट से जाहिर है कि फायरिंग उन्होंने डाके के समय नहीं की। वहां पर जो सूचना आयी है कि मीटिंग हो रही है शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये तो मैं वहां स्वयं गया था, कोई मीटिंग नहीं की गयी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या इस डकैती की जांच माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह)—

इस सम्बन्ध में अभी तो कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है सी० आई० डी० से जांच कराने की ।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अच्छन और मुच्छन, दो कुख्यात डाकू गंगा उस पार इलाहाबाद के हैं जिनका गैंग गंगा पार करके मानिकपुर और मानिकपुर के पास पड़ोस के इलाकों को लूट लिया करता है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

सरकार के पास भेजी ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री नन्दकिशोर निवासी काशीपुर, जिला नैनीताल की पुलिस हिरासत में मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आइटम ८ से संबंधित । जब नन्द किशोर की मृत्यु हो गयी पुलिस कस्टडी में तो जुडिशियल आफिसर भी वहां पहुंच गये, सर्किल इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गये और उन्होंने पास-पड़ोस की जनता को भी इकट्ठा कर लिया तो ऐसी दशा में सर्किल इंस्पेक्टर और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने नन्दकिशोर के परिवार के किसी आदमी को क्यों नहीं बुलाया और जब नहीं बुलाया तो उनके लड़के रामकिशोर ने एस० डी० एम० नैनीताल को १२ तारीख को दरख्वास्त दी कि उसके पिता की लाश का पोस्टमार्टम सिविल सर्जन से कराया जाय तो सिविल सर्जन क्यों नहीं बुलाया गया ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह)—

घटना के लिये कौन से लोग उपस्थित थे और उनमें उनके परिवार के लोग थे या नहीं यह सूचना नहीं है । उनके लड़के ने दरख्वास्त दी या नहीं इसकी भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन आधार पर वह यह कहते हैं कि इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री राजेन्द्रप्रताप सिंह—

यह जो केस है और जो इसकी जांच हुई वह बिलकुल स्पष्ट है । उसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जिसके लिये सी० आई० डी० की जांच कराई जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

इस बात को देखते हुये कि माननीय मंत्री जी के पास और बाकी सूचना नहीं है तो जो उन्होंने अपने अंतिम पैराग्राफ में लिखा है कि मामले की जुडिशियल जांच एस० डी० एम० काशीपुर के सिपुर्द कर दी गई है । तो जब यह जुडिशियल जांच उपलब्ध हो जायगी तो वक्तव्य के पूरक क रूप म उसको सदन की मज पर रखा जायगा ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

यदि आवश्यक हुआ तो रख दिया जायगा ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वक्तव्य

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के सम्बन्ध में जो वक्तव्य होना है उसकी कापी हमको नहीं मिली हैं।

(वक्तव्य की प्रतियां उपलब्ध की गईं।)

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

अधिष्ठाता महोदय, माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से २२-१२-७० को नगर के अन्तर्गत अमीनाबाद से प्रारम्भ करके विधान भवन तक जलूस निकालने एवं प्रदर्शन करने की आज्ञा मांगी गई थी। नगर में शान्ति एवं व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की पृष्ठभूमि में स्थानीय अधिकारियों ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा निकाले जाने वाले जलूस में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना की सूचना प्राप्त होने पर इस जलूस एवं प्रदर्शन की आज्ञा देना शान्ति एवं व्यवस्था के हित में संभव नहीं था।

२—अनुमति न मिलने पर भी उक्त तिथि को अमीनाबाद से जलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों को सूचित कर दिया गया था कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पश्चात् विधान सभा के सामने कुछ लोग एकत्रित हुये और उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया। अतः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह सही नहीं है कि उनको डंडों से पीटा गया या उनके कपड़े फाड़े गये या उन्हें घसीटा गया।

३—२२-१२-७० को कुल मिला कर २५९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिसमें ९ सदस्य विधान परिषद् के भी सम्मिलित थे। इन सब व्यक्तियों को आज मुक्त किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों का सरकार के साथ जनवरी, ६९ में कोई समझौता हुआ था? यदि हां, तो वह क्या था?

श्री अधिष्ठाता—

आप कल की गिरफ्तारियों तक ही सीमित रहें।

श्री गोविन्द सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि उन को इस बात की सूचना मिली कि असामाजिक तत्व उनमें घुस रहे हैं तो मंत्री जी यह बतायें कि कल जितनी भी यहां गिरफ्तारी हुई है क्या वह सब अध्यापकों की ही हुई हैं या कोई असामाजिक तत्व भी उनके बीच में थे जो गिरफ्तार किये गये?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने बताया कि २५९ गिरफतारियां हुई है, उनमें से ९ कौंसिल के सदस्य भी हैं और बाकी अध्यापक या दूसरे लोग हैं। जहांतक असामाजिक तत्वों के आने का प्रश्न है वह क्योंकि अधिकारियों को यह सूचना थी कि असामाजिक तत्व उनमें शामिल होकर जलूस को हिंसात्मक बनायेंगें इस आधार पर ही आज्ञा रोकी गई थी।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य से बहुत तकलीफ हुई क्योंकि यहां पर शान्तिमय जूलूस के साथ असामाजिक तत्वों का जिक्र किया गया है और इससे अध्यापकों के उच्च स्तर को एक बड़ा धक्का लगने की बात आ जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी ने स्वयं कहा कि कोई असामाजिक तत्व नहीं पकड़े गये क्योंकि जो अध्यापक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आये थे, यह विधान सभा इसके लिये सक्षम है कि वह लोगों की बात को सुनें, वह केवल अपनी बातें बताने आये थे। कल मंत्री जी स्वयं जहां मास्टर बन्द थे उनको वहां देखने के लिये गये थे। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं वे भी गलत हैं क्योंकि २०४ तो हजरतगंज थाने में ही थे और ८४ के करीब अध्यापक केसरबाग के थाने में थे.....

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न करें।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मैं यह जानना चाहती हूं कि अध्यापकों ने जो प्रदर्शन यहां किया और उनकी जो मांगें हैं उन पर सरकार कब तक विचार कर लेगी और क्या इस की घोषणा मंत्री जी सदन में करेंगे?

श्री श्रीपति मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इन दोनों बातों को आपके माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सदन उनको ध्यान से सुन ले। कुछ असामाजिक तत्व यदि जूलूस की आज्ञा दी जाती तो उसमें भाग लेते और पकड़े भी जाते लेकिन चूंकि आज्ञा जुलूस की नहीं दी गई और अध्यापक वर्ग और उन तत्वों से कोई संबंध नहीं है, वे तो अपनी मांगों को लेकर यहां आये और गिरफ्तार हुए, असामाजिक तत्व तो रोके जाने से, पहले ही गायब हो गये।

जहां तक माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मैं आप से निवेदन करूंगा कि अभी इस में थोड़ा सा समय लगेगा। उनकी मांगें बहुत है, बहुत दिन से उनकी मांगें चल रही हैं। उनकी मुख्य मांगें जो सरकार के सामने हैं उन में से एक तो यह है कि उनका वेतन समय से दिया जाय और दूसरी जो उनकी मांग थी, बहुत पहले से ही वह स्वीकार हो चुकी है कि उनका वेतन समय से मिलेगा.....

श्री अधिष्ठाता--

उनकी यह भी मांग थी कि सरकारी खजाने से उनका वेतन मिलेगा।

श्री श्रीपति मिश्र--

सरकारी खजाने से दिया जाय और समय से दिया जाय, उनके वेतन को सुचारु रूप से वितरण का प्रबन्ध किया जाय, यह उनकी मांगें थीं। इस सम्बन्ध में सरकार ने कौंसिल में एक बिल इस सम्बन्ध में इन्ट्रोड्यूस किया था और जो बिल वहां पर आया था, उसमें यह प्राविधान किया गया था कि ८० प्रतिशत फीस की रकम बैंक में शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्धक जमा करेंगे और इसके बाद ग्रान्ट का रुपया सरकार की ओर से जमा होगा और अध्यापकों को चेक द्वारा पेमेंट होगा। जब यह बिल वहां पर आया तो अध्यापकों की ओर से ३ बातों पर जोर दिया गया। एक बात तो यह है कि "अध्यापक" की परिभाषा जो दी गयी थी उसमें वे ही अध्यापक कवर होते थे, जिन संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड भी मिलती थी और रेकगनिशन के कारण जिनको बढ़ाना पड़ता था और एप्रूव्ड अध्यापक माने जाते थे और ग्रान्ट इन एड नहीं दी जाती थी तो उनका आब्जेक्शन यह था कि इन अध्यापकों को भी लें। दूसरा औब्जेक्शन यह था कि वे इन्सटीट्यूट्स जो सिक हैं, जिनमें इस तरह का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको भी लिया जाय। इनका कहना था कि सब जो इन्सटीट्यूशन्स हैं, उन सबको सरकार अपने कब्जे में लेकर वेतन के

वितरण का भार वहन करे। तीसरी बात यह थी कि सरकार तन्ख्वाह देने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले ले। उत्तरदायित्व लेने की बात पहले बिल में नहीं थी और अध्यापक जो रेकगनाइज्ड संस्थाओं में थे मगर जिन्हें ग्रान्ट इन एड नहीं थी, उनका भी उसमें समावेश नहीं था। कुछ इन्स्टीट्यूशन्स जो सिक हैं, उनको लेने की बात थी। जब वह बिल आया तो अध्यापकों के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका विचार क्या है और संशोधन दिया और बातचीत भी हुयी और उसके दौरान में सारे मसले आये और जो तय हुआ और अब जो विचार विनिमय और हुआ इस तरह की बातचीत हुयी कि सभी अध्यापकों को जिन स्कूलों को ग्रान्ट इन एड मिल रही है और उन सभी को जो रेकगनाइज्ड हैं और एप्रूव्ड हैं, शामिल करके किया जाय। तो इस तरह से उनकी यह मांग भी पूरी कर ली गयी है।

एक बात उसमें यह भी कही गयी कि उत्तरदायित्व का जो हिस्सा हमने तय किया सरकार उत्तरदायित्व ले। अगर प्रबन्धक ८० फीसदी जो उन्हें जमा करना है, वह जमा करें तो एक और संकट हो जाय तो हम उत्तरदायित्व लेते हैं जमा करने का उस दिन से जिस दिन से अथौराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर हो जाय। वह ७ दिन का नोटिस देकर १५ दिन में कर लेंगे। इस तरह से यह बात अध्यापकगण के सामने रखी गयी लेकिन उनका कहना यह है कि यह आपकी जिम्मेदारी है चाहे वे ८० प्रतिशत फीस जमा करें या न करें। अगर सरकार जिम्मेदारी ले लेती है तो वे जमा नहीं करेंगे तब बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो जायगा। हमने कहा कि हम तैयार तो हैं लेकिन बहुत से ऐसा न कर दें कि वे गैरजिम्मेदार बातें करें। जो संस्थायें सिक हैं, उनको हम ले लें। प्रदेश में ३ हजार शिक्षण संस्थायें हैं पहले तो हम कह दें कि बेईमान हैं और उसके बाद बेईमान कहने के बाद हम बतायें कि आप ईमानदार हैं। यह घोषणा करना मुनासिब नहीं होता कि एक बार सबका जिक्र कर दें कि सब चोर हैं और बाद में कहें कि ईमानदार कौन है। हम चाहते हैं कि जो सिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनको लें। हालांकि हम आपसे अर्ज कर दें कि हमारे ऊपर कोई वित्तीय बात नहीं आती है। इसलिये कि हम जो ग्रांट दे रहे हैं हम उन स्कूलों को भी दे रहे हैं जिनको नहीं ले रहे हैं। जो अच्छी तरह पेमेंट करते हैं उनको दंड नहीं देना चाहते और जो पेमेंट करते हैं उनको लाभ नहीं देना चाहते। उन स्कूलों में भी हम ग्रांट बढ़ाकर देंगे जहां हम नहीं लेंगे। मेरी कल भी उनके प्रतिनिधियों से बात हुई थी, माननीय मंत्री प्रभुनारायण सिंह भी थे, उनके लोग भी थे। वे सन्तुष्ट हुए उस बात से और उसके बाद इस बात पर तय रहा कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन्स ले लिये जायं। हमने कहा कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि कोई वित्तीय अड़चन नहीं आ रही है। और आप मुनासिब समझेंगे और सलाह देंगे तो हम प्रयत्न करेंगे लेने का। इसके बाद भी मैं समझ नहीं पाता कि वे क्या चाहते हैं, वह पाउन्ड आफ फ्लैश चाहते हैं ? मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट सब कुछ करने को तैयार है परन्तु शिक्षक भी यह समझें कि इस प्राविंस की गवर्नमेंट है और उसको रहना है। अगर वे यह चाहते हैं कि हमारा ही काम हो, गवर्नमेंट चाहे रहे या न रहे, तो इस पर हम तैयार नहीं हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने इतनी सारी बातें बताईं, हमको विवाद का मौका भी नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए कि शिक्षकों की मांगों पर उनको सहानुभूति है और सरकार को भी सहानुभूति है, वे विधेयक जल्द से जल्द कब ले आयेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र —

हमारा विधेयक तैयार है। आपके माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग आज कह दें कि जो हमने घोषणा की है, उनसे कहलवा दीजिये कि वे उनको स्वीकार हैं तो हम आज ही उसको पेश करने को तयार हैं।

श्री गोविन्द सिंह ---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहेंगे कि क्या जनवरी, १९६९ से माध्यमिक शिक्षक संघ को सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि तमाम विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन सरकारी खजाने से मिलेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र ---

जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया गया था कि तमाम विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन सरकारी खजाने से मिलेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून) ---

माननीय मंत्री जी इन विचारों को जो आपने अभी सदन में रक्खे उसके अनुसार शिक्षकों को बुलाकर आज शाम तक बातचीत करके कल सदन में इस विधेयक को ले आयेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र ---

मैंने उनसे बात की थी और मैं स्वामी जी का आभारी हूंगा यदि व सहयोग दें और जो शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं उनसे मिला दें, जहां कहेंगे जिस वक्त चाहेंगे, जिस क्षण चाहेंगे, मैं शिक्षकों के घर जाकर भी मिलने को तैयार हूं । यह मेरे पर उनका आभार होगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) ---

जो सदन की राय है और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी निश्चित आश्वासन देंगे कि पहली जनवरी से जो शिक्षकों को तनख्वाह मिलने वाली है वह सरकारी खजाने से मिलेगी, इसका प्रबन्ध करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र ---

मैंने जितनी बात थी सदन के सामने रख दी। हो सकता है कि ऐसी बात भी रख दी हो जो नहीं रखनी चाहिये थी । मैंने सदन को सर्वसत्ता सम्पन्न समझकर सारी बातें रख दीं । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य खुद नतीजा निकालें कि क्या हो सकता है ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा-फतेहाबाद) ---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं शिक्षकों से उनके घर पर भी बात करने के लिये तैयार हूं । क्या मंत्री जी ऐसा वातावरण बनायेंगे जिससे उन शिक्षकों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके लिये क्या वे सदन में माफी मांगेंगे ? क्या मंत्री जी को इसके लिये खेद है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री लालसा (जिला आजमगढ़) ---

क्या यह सही है कि कल लगभग ७०० अध्यापकों को गिरफ्तार करके लखनऊ शहर से काफी दूर ले जाकर छोड़ा गया जिसके कारण बड़ी कठिनाई से वे लोग वापस आये और पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया ? क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री श्रीपति मिश्र ---

मुझे तो सूचना यह है कि २५९ गिरफ्तार किये गये और आज उनको छोड़ दिया जायेगा ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़) ---

इस बात को देखते हुये कि अध्यापकों की मांगों के साथ उनकी सहानुभूति है, और वे उनसे बात करके इसी सदन में बिल लाने को तैयार हैं, अध्यापकों के मुकदमों को वापस लेने तथा आज ही उनको छोड़ देने के आदेश देंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र --

मैंने तो कहा कि आज छोड़ दिये जायेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) --

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि कल ९ माननीय सदस्य, विधान परिषद्, के भी गिरफ्तार हुये थे और उनका एक संयुक्त वक्तव्य निकला है कि उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की, डंडों से पीटा, घसीटा और उनके कपड़े फाड़ डाले गये ? यदि हां, तो क्या यह वक्तव्य उन्होंने इसकी जांच करने के बाद दिया ?

श्री श्रीपति मिश्र --

यह वक्तव्य, इससे संबंधित जितनी बातें हैं उन सबकी जानकारी करने के बाद ही दिया गया है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद) --

मान्यवर मैं एक सूचना दे दूं ।

श्री अधिष्ठाता --

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री रामगोपाल संड --

श्रीमन्, कल ९ बजे हम लोग थानों में गये । माननीय शिक्षा मंत्री जी की यह सूचना गलत है कि २५९ शिक्षक गिरफ्तार किये गये । २०९ शिक्षक तो सिर्फ हजरतगंज थाने के अन्तर्गत गिरफ्तार हुये ८४ दूसरे पुलिस थाने में हुये । इस प्रकार यह संख्या २९३ हो गयी । इन अध्यापकों को १० बजे रात तक न तो भोजन दिया गया और न कम्बल ही दिये गये, न रहने की कोई व्यवस्था की गयी । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे उनके प्रतिनिधियों से बात करने को आज ही तैयार हैं । तो क्या वे शीघ्र सर्वश्री महेश्वर पांडेय, हरिहर पांडेय और मदसूदन लाल श्रीवास्तव यानी जो भी इनके नेता लोग हैं उनको शीघ्र छोड़ने के आदेश देंगे ताकि हम उन्हें उनके कमरे में ला सकें और वार्ता करा सकें ? श्रीमन, इस बिल में मंत्री जी केवल ४०० स्कूलों को ही लेना चाहते हैं जब कि शिक्षकों की मांग है कि २४०० जितने स्कूल हैं उन सभी को इसमें लाया जाय ताकि सभी को समय से वेतन मिल सके अध्यापक इसी पर जोर दे रहे हैं ? तो क्या वे उनसे बात करके कल सदन में बिल लायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र --

जहां तक छोड़ने का प्रश्न है, वह तो मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया है कि उनको हम छोड़ रहे हैं । जहां तक उनसे बात करने का सवाल है, बात करने को उनसे तैयार हूं, लेकिन एक सूचना साथ-साथ दे दूं, कल दो बजे तक बात की है यह बात भी सब जगह पहुंच गई है । मैं समझता था कि वार्ता में बड़ी सफलता मिली है और ९० प्रतिशत सफलता मिल गई है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वे गिरफ्तार होकर चले गये हैं । तो आज २३ है और कल २४ तारीख है, हमारे सामने बहुत से विधायी कार्य हैं, उसको देखते हुए हम उसमें कितनी जल्दी कर सकेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) --

शिक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है कि अध्यापकों को पीटा नहीं गया, उनके कपड़े नहीं फाड़े गए, किन्तु मैंने असेम्बली गेट के सामने देखा है कि उनको गेट के सामने घसीट-घसीट कर गाड़ी पर बिठाया गया है और उनको पीटा गया है और अधिकांश लोगों को २०-२० और २५-२५ मील की दूरी पर जाकर छोड़ा गया है, तो क्या इसकी वह जानकारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र--

अधिष्ठाता महोदय, जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार वक्तव्य दिया गया है । जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं यदि लिखित दे दें, तो उसकी जांच कराई जायेगी ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि असामाजिक तत्व उपद्रव करना चाहते थे उनके साथ मिलकर, और जब यहां पूछा गया कि क्या कोई असामाजिक तत्व गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने कहा जब दफा १४४ लगा दी गई तो वह तत्व अलग हो गये, यह परस्पर विरोधी बातें हैं. . . .

श्री श्रीपति मिश्र--

मैं इसे समझा दूं आप यह कह रहे हैं कि १४४ लगा दी गई इसलिये असामाजिक तत्व नहीं आये । मैंने कहा था कि १४४ लगी थी, अगर १४४ न लगा दी गई होती और प्रदर्शन की इजाजत दी जाती तो वे तत्व आकर असामाजिक कार्य करते और गड़बड़ी पैदा करते । किन्तु उसके लागू होने के कारण उन्हें उसमें घुस-पैठ करने का मौका नहीं मिला और सिर्फ वही लोग आये जिनको वास्तव में आवश्यकता थी और जिनकी अपनी मांगें थीं ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

मंत्री जी ने कहा है अभी कि अध्यापकों के मंहगाई भत्ते का प्रश्न हल हो चुका है, किन्तु अगस्त, १९६८ का सरकारी कर्मचारियों के समान उन्हें महंगाई भत्ता दिया, फिर जब जनवरी, ६९ में कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया गया, उस वक्त वह अध्यापकों के ऊपर लागू नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों हुआ ? अध्यापकों की एक मांग यह भी है और अध्यापक बराबर इस बात की मांग करते रहे हैं । तो ऐसी परिस्थिति में क्या सरकार स्पष्ट घोषणा करेगी कि जब समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़े और जो बढ़ चुका है वह अध्यापकों को भी दिया जायेगा और भविष्य में भी दिया जायेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा कि जब जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब तब दिया जायगा पहले यह फैसला हुआ था कि जिस दर से सरकारी नौकरों को भत्ता दिया जाता है उस दर से दिया जायगा । वह दिया गया । आपका प्रश्न साफ है कि सरकारी नौकरों का और कभी बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा या नहीं ।

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी--

पिछली जनवरी में बढ़ा था, वह नहीं दिया गया । उसके बारे में खाली जानना चाहती हूं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

१९६९ में निर्णय हुआ था कि सरकारी कर्मचारियों को जिस दर से दिया जा रहा है उस दर पर दिया जायगा । जिस तरह से बढ़ता जायगा उस तरह से उनको दिया जायगा यह बात न उस समय तय हुई थी और न इस समय तय हुई है ।

श्री छांगुर--

माननीय मंत्री ने बताया कि बिल तैयार है । लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आप लोग घोषणा करें तो बिल कल आ जायगा । मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी घोषणा मंत्री जी चाहते हैं जिसकी वजह से सदन में बिल नहीं ले आ रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र---

जो लोग मांग करते हैं कि उनसे वार्ता होती है। उनसे वार्ता होते-होते यह बात निश्चित हो जाय कि जितना कुछ किया जा रहा है उससे वे संतुष्ट हो रहे हैं तो आगे कदम उठाया जा सकता है। कुछ वह राजी हो चुके हैं, थोड़ी बहुत बात बाकी है। उनसे बात हो जाय उस रूप-रेखा को देख कर पेश कर दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

अननुमोदन का प्रस्ताव। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) इस पर काफी विवाद हो चुका है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

अधिष्ठाता जी, आप को स्मरण होगा कि जिस समय यह प्रश्न यहां पर उपस्थित किया गया था एक प्रश्न था कार्य स्थगन के रूप में। उसमें माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों के साथ साथ, गैर शिक्षक कर्मचारियों के सम्बन्ध में और नियम ५१ का प्राथमिक शिक्षकों का प्रश्न भी सम्बद्ध किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा प्रदान की थी कि सारे प्रश्नों पर एक साथ वक्तव्य पूरा दिया जायगा। इस समय जो वक्तव्य प्रस्तुत है सिर्फ एक घटना से सम्बन्धित है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसके बाद कोई दूसरा वक्तव्य शिक्षा मंत्री देने वाले हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कोई अन्यत्र व्यवस्था कर रखी है ? जितने अभी तक प्रश्न हुए हैं उनमें गैर शिक्षक कर्मचारियों और प्राथमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में कोई अवसर नहीं दिया, मैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करने वाला था मुझे कोई अवसर नहीं दिया। क्या दूसरा वक्तव्य मंत्री जी देने वाले हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

इस वक्त जो माननीय शिक्षा मंत्री का वक्तव्य हुआ है वह कल माध्यमिक शिक्षकों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में हुआ। आपका कोई प्रश्न नियम ५१ या ५२ में आयेगा तो अध्यक्ष जी व्यवस्था देंगे।

शिक्षा मंत्री जी ने कल गिरफ्तारियां जो हुई थीं, उस सम्बवध में वक्तव्य दिया है।

श्री भगवती सिंह विशारद---

कल यह व्यवस्था हुई थी कि मंत्री जी जो वक्तव्य देंगे उसमें तीन चार दिन में जैसे-जैसे आंदोलन चले हैं उन सबको एक साथ रखकर आदरणीय सदन को सूचित करेंग, तो वह आये नहीं हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला पिथौरागढ़)---

कल इस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अधिष्ठाता---

अगर कोई व्यवस्था दी गई है तो उसको देखकर मैं कुछ कह सकूंगा।

श्री गोविन्द सिंह---

मंत्री जी से आप पूछ लें अगर वह इस पर कुछ कहना चाहें।

श्री अधिष्ठाता---

कल ४ बजे आपके प्रश्न पर विचार हो जावेगा। कल वाली व्यवस्था पर अपना वक्तव्य सुनें और प्रश्न भी करें।

श्री भगवतीसिंह विशारद---

क ल यह तय हो गया था।

श्री अधिष्ठाता--

अगर आप इस वक्तव्य को उपयोगी नहीं समझते थे तो उसी समय कह देते, अब तो सारे सवाल हो गये हैं। अध्यक्ष जी की कल की व्यवस्था के बारे में कुछ न कह सकूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र--

आपने कृपा करके सभी को प्रश्न पूछने की आज्ञा दी लेकिन कुछ लोग नहीं पूछ सके।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको भी समय दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र--

मान्यवर, मामला गंभीर है। यह सिर्फ अध्यापकों से ही सम्बन्ध नहीं रखता है क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनमें ९ विधान परिषद् के सदस्य भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन सारे प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है, वह लाया जावे। इसके पहले भी एम० एल०ए ज०, एम० एल० सी ज० प्रदर्शनकारियों के सामने जाते रहे हैं लेकिन कल तो प्रदर्शनकारियों के साथ एम० एल० सीज० को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो डिस्चार्ज आफ रिस्पान्सिबिलिटी विधायकों की है उससे यह प्रश्न ताल्लुक रखता है। तो मान्यवर मैं चाहता हूं कि कल कोई ऐसा समय नियत कर दें कि विधायकों के अधिकारों का हनन न हो।

श्री अधिष्ठाता--

यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि विवाद हो तो नियम ५२ में लिखित भेज दें। उसमें समय निश्चित हो जावेगा। आप नियम ५२ या ५६ में भी इसको भेज सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मुझे खेद है कि यह शांति और व्यवस्था के संबंध में जो वक्तव्य दिया गया वह गृह मंत्री जी को देना चाहिये था या मुख्य मंत्री जी को देना चाहिये था। शिक्षा मंत्री जी के पास तथ्य नहीं थे लेकिन उनसे वक्तव्य दिलाया गया। जहां तक मांगों का संबंध है शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य दें लेकिन शांति और व्यवस्था के संबंध में गृह मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी वक्तव्य न दें यह ठीक नहीं।

श्री श्रीपति मिश्र--

यह वक्तव्य मैंने इसलिये दिया है कि अध्यक्ष महोदय ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था।

श्री अधिष्ठाता--

यह आपने शुरू में आपत्ति नहीं की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इसमें ९ सदस्य विधान परिषद् के भी हैं उसकी जांच नहीं हुई है। साथ ही साथ जो तथ्य हैं वह प्रकाश में नहीं आये हैं क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनको हवालात में कम्बल भी नहीं दिया गया है।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर पीठासीन हुए।)

इसलिये हम ५ मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं।

(विपक्षी दलोंक सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७०† के अननुमोदन का प्रस्ताव

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

मैंने "यह सदन उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है", संकल्प प्रस्तुत किया है ।

मैं इसको वापस ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७०†

*वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय ।

एक सदस्य--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

१ से २ बजे तक कोरम का कोई सवाल नहीं है । आप बोलें ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मान्यवर, यह विधेयक जो माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि बिक्री-कर के विषय में एक अध्यादेश भी जारी किया गया था । कई बार सदन में चर्चा हो चुकी है कि बिक्री-कर का बकाया बहुत बाकी रह जाता है और माननीय सदस्य इस बात की अपेक्षा करते रहते हैं कि बिक्री कर की जो बकाया है उसको जल्द वसूल किया जाय । श्रीमन्, अध्यादेश का आशय एक तो इस बात से था । एक दूसरा आशय यह था कि २ लाख रुपये से बिक्री जिनकी ज्यादा हो, उन पर २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया जाय । इससे कुछ संसाधन प्राप्त होने की अपेक्षा है ।

श्रीमन्, जहां तक इस बात का संबंध है, कि संसाधन की आवश्यता है, इससे तो माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं क्योंकि वे स्वयं सदन में इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि अमुक वर्ग के लिये सुविधायें उपलब्ध हों । इस विधेयक का दूसरा भाग बकाये की वसूली को सुगम करने का है । अनुभव के आधार पर जो कुछ चीजें ऐसी महसूस होती थीं जिससे वसूली में देरी लगती थी, उनमें सुधार किया गया है । पहली बात तो यह की गयी है अध्यादेश के द्वारा कि अपील की सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि २० प्रतिशत जो डिस्प्यूटेड टैक्स हैं जो विवादास्पद कर है, वह जमा न किया जाय । इस धारा में अब थोड़ा सा संशोधन कर दिया गया है, इस बात को देखते हुए कि कई जगहों से इस बात की प्रार्थना आयी, मांग आयी कि इस व्यवस्था से अपील देने में कठिनाई पड़ती है और कभी-कभी कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गलत कर लग जाता है और उसकी धनराशि ऐसी होती है कि अपीलकर्त्ता को अपनी आर्थिक स्थिति में २० प्रतिशत जमा करना मुश्किल होता है । अब इस बात को देखते हुए कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां निर्धारित कर भी अत्यधिक हो जाय, और उस व्यक्ति

† १८ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कैलाश प्रकाश]

को यह सुविधा देने के लिए कि वह अपनी अपील की सुनवाई करवा सके यह व्यवस्था की गयी है। यदि अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी इस बात को महसूस करे और उसके सामने यह बात रखी जाय कि वास्तव में विवादास्पद कर की २० प्रतिशत वह नहीं दे सकेगा और उसके लिए पर्याप्त कर है तो अधिकारी इस बात से अगर संतुष्ट हो जाय तो वह उसके प्रतिशत को जिस हद तक चाहे कम कर सकता है ।

(इस समय १ बजकर ४५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नित्यानन्द स्वामी पीठासीन हुए)

श्रीमन्, अक्सर इस बात की चेष्टा की जाती है कि निर्धारित कर की वसूली को रोक दिया जाय। यद्यपि वसूली के लिए एक शास्ति धारा पुराने अधिनियम में बढाई गयी थी कि कर की बकाया पर १८ प्रतिशत का सूद लिया जायगा किन्तु अनुभव में यह आया कि उससे भी अपेक्षित प्रगति वसूली में नहीं हुई । इसलिये अध्यादेश के द्वारा यह व्यवस्था की गयी थी कि अगर रिवाइजिंग अधिकारी के पास कर को रोकने की कोई प्रार्थना की जायगी तो वह उस प्रार्थना को नहीं सुनेंगे जब तक कि ५० प्रतिशत विवादास्पद कर का जमा न कर दिया जाय और उस अधिकारी को भी इस बात का अधिकार नहीं था कि यदि वह समझें और उसके सामने स्थिति रक्खी जाय कि यह अंश कर का देना उसकी आर्थिक परिस्थिति के अनुकूल नहीं है और उस पर बड़ी ज्यादती होगी अगर कर रोका नहीं जायगा तो वहां भी यह व्यवस्था की गयी है कि रिवाइजिंग अधिकारी को भी यह अधिकार दिया गया है कि अगर उनके सामने स्थिति रखी जाय और उस स्थिति का अध्ययन करके और सुनकर अधिकारी यह समझे कि इनकी प्रार्थना मानने योग्य है तो यह जो ५० प्रतिशत की पाबन्दी उसके ऊपर रखी गयी है उसको भी वह जिस हद तक चाहे कम कर सकता है । श्रीमन्, इन दो व्यवस्थाओं के रखने से दोनों के बीच की स्थिति में संतुलन हो जाता है । वे लोग जो कर दे सकते हैं, जिनको कर देना चाहिये, उन लोगों को कर भुगतान करने के लिए कुछ रूप में बाधित किया जाताहै । लेकिन जिनकी वास्तव में परेशानी है, जिनकी वास्तव में दशा ऐसी है अथवा कुछ और कारण हैं और उन पर कर अत्यधिक लग गया है तो जब वह संबंधित अधिकारी के पास अपनी बात को रखेंगे और उनका तर्क अधिकारी को सार्थक प्रतीत होगा तो वह छूट दे सकता है । इससे उन लोगों की परेशानी दूर हो जाती है जो वास्तव में परेशानी से दूर रहना चाहते हैं ।

श्रीमन्, इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी के निवास स्थान की सर्च न की जाय जब तक कि क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में जो प्रणाली दी गई है, उसकी पूर्ति न हो जाय। इससे जो आशंका बनी रहती है या बनी रहती थी, वह आशंका भी दूर होगी। श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक जो सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है अध्यादेश में जिन चीजों की व्यवस्था की गई थी मुख्यतः उनके लिये है। माननीय सदन जानता है कि अध्यादेश को इस सदन की बैठक हो जाने के ६ हफ्ते के पश्चात् अधिनियम के रूप में आ जाना चाहिये अन्यथा वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है इसलिये इसमें शीघ्रता करने की आवश्यकता थी। और भी बहुत सी बातें हैं। व्यापारियों और व्यवसाइयों की कठिनाइयां हैं जिनका अध्ययन हो रहा है। कुछ संस्तुतियां की थीं उस कमेटी ने जो बिक्री-कर के सम्बन्ध में बैठी थी उनका भी अध्ययन हो रहा है और विचार हो रहा है कि सबका अध्ययन करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार एक ऐसा विधेयक सदन के सामने लाया जाय जिससे प्रासंगिक कठिनाइयां तथा करदाताओं की अनावश्यक कठिनाइयां दूर हो जायं इन सभी बातों का समावेश इस विधेयक में नहीं हो पाया है। और कारण यही रहा है कि जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सरकार के बदल जाने के पश्चात् इतना समय नहीं मिल सका कि उन सभी चीजों पर पूर्ण रूप से निर्णय लिया जा सके। इसलिये यह भी विचार है कि करदाताओं से भी उनके जो संगठन बने हैं जगह-जगह और भिन्न-भिन्न व्यवसायों के उन संगठनों के परामर्श का भी लाभ शासन को मिल जाय। इस बात की चाहना का होना भी स्वाभाविक

बात है। यदि इतना अध्ययन करके कोई विधेयक लाना चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि कुछ अधिक समय की आवश्यकता पड़े किन्तु इतना मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जरूरत है उन सब बातों के अध्ययन की। अब तक का जो अनुभव हुआ है कि करदाताओं को जो अनावश्यक कठिनाइयां होती हैं, जो पाबन्दियां हैं उनमें उनको कुछ सुविधायें दी जायं। बात बिलकुल स्पष्ट है अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि शासन की यह हरगिज मंशा नहीं हो सकती है कि करदाताओं के ऊपर इतना दबाव डाला जाय कि करदाता सुविधानुसार अपना व्यवसाय या व्यापार कर ही न सके। यह न तो सिद्धान्त की दृष्टि से अच्छी बात है और न व्यावहारिक रूप से अच्छी बात हो सकती है। अत्यधिक दबाव को क्षणिक रूप में बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन अत्यधिक दबाव अधिक समय के लिये पड़ता रहे तो चीज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। मैं इस बात को पूर्णतया स्वीकार करता हूं कि जिस वर्ग से या जिन व्यक्तियों से कर लिया जाता है वह नागरिक हैं, वह कोई दोषी नहीं हैं, वह कोई अभियुक्त नहीं हैं। अतः उनके प्रति व्यवहार भी सद्व्यवहार होना चाहिये और मैंने अधिकारियों से भी इस बात का निवेदन किया है कि करदाताओं के प्रति हमारा व्यवहार उस तरीके का नहीं होना चाहिये जैसा कि अभियुक्त और दोषी के साथ होता है। वह नागरिक जो व्यापार करते हैं या कोई उद्योग करते हैं और शासन को सार्वजनिक कार्य के लिये, जो धंधा करते हैं उस धंधे से जो आमदनी होती है, संसाधन जुटाने के लिये कर देते हैं, वह सम्मान के अधिकारी हैं और इसी व्यवहार के लिये वह अधिकारी हैं। श्रीमन्, हम इस बात की भी चेष्टा करेंगे कि हमारे प्रदेश के व्यापार और व्यवसाय पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर अपने प्रदेश के उन हिस्सों और जिलों पर जो देहली के निकट हैं, क्योंकि देहली की जो क्रय-विक्रय की दरें हैं यदि वह बहुत कम होती हैं और हमारे प्रदेश की दरें अधिक होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि जो क्षेत्र देहली से लगे हुये हैं उन क्षेत्रों को कम्पटीशन में कठिनाई पड़ती है। इस तरीके की कुछ चीजें मेरे सामने इस बार भी आई हैं और इससे पूर्व भी आई थीं। यह कठिनाई केवल हमारे ही प्रदेश के जिलों को नहीं महसूस हुई, बल्कि मुझे याद है आज से ४ साल पूर्व यह कठिनाई दूसरे प्रदेश के जिलों को भी हुई जो देहली के निकट हैं या जिनका फासला अधिक नहीं है। हमने केन्द्रीय सरकार की सहायता से, योजना आयोग की सहायता से देहली के बीच और इस प्रदेश के बीच एक समझौता हुआ था कि बिक्री-कर की दर जो देहली में हैं और हमारे प्रदेश में हैं, उनमें अधिक फर्क नहीं रहना चाहिये जिससे कि देहली से लगे जो इस प्रदेश के जिले हैं उनमें व्यवसाय और उद्योग अच्छे तरीके से चल सकें। इन ४ सालों के दौरान स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है और हम इस बात की भी चेष्टा करेंगे कि जो स्थिति में परिवर्तन आया है और जिससे हमारे इस प्रदेश के भूभाग के व्यापारियों, व्यवसायियों, उद्योग-पतियों, उद्योगकर्त्ताओं और उपभोक्ताओं को जो नुकसान पहुंचा है उसका किसी तरह से उपचार हो सके। इन चीजों को देखते हुये मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव को कि इस विधेयक पर विचार किया जाय, पारित करने में सहयोग देंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से, यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को इस सदन के प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रति-वेदन ३ माह के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। समिति को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन को प्रस्तुत करने के हक में माननीय मंत्री जी की तकरीर से बल मिल गया इसलिये कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह कहा कि वह जल्दी ही कोई कांप्रिहेंसिव बिल इस सेल्स टैक्स के बारे में इस सदन के सम्मुख रखना चाहते हैं। यदि उनका यह इरादा है तो यह ज्यादा उचित होगा अगर वह इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करें। परिधि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

बढ़ाने का इसमें अधिकार है। इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख जो बातें माननीय मंत्री जी ने कही हैं वह समिति के सम्मुख होंगी और उन सारी चीजों पर गौर करके वह समिति एक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उस प्रतिवेदन के आधार पर माननीय मंत्री जी एक काम्प्रिहेंसिव बिल सदन के सम्मुख रखें। श्रीमन्, मैं इसे अच्छी तरह से समझता हूं कि प्रजातंत्र में बिना टैक्सेशन के कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। यह अलग बात है कि अलग-अलग वर्ग से किस तरह से टैक्स वसूल किया जाय। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा शासन के खर्चों को चलाने के लिये उसका क्या आधार हो, यह एक गंभीर प्रश्न है लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इस स्टेट तथा देश को सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट बनाने की बात जब की जाती है तो यह सोचना पड़ेगा कि टैक्स की जो पालिसी है और जिस आधार पर हम सेल्स टैक्स वसूल करते हैं और जिस तरह से वसूल करते हैं उसका फायदा किस मद को कितना पहुंचता है, यह हमको जरूर देखना पड़ेगा।

एक बड़ा प्रश्न है जो इस सदन में बार-बार आता है और सभी उससे चिन्तित भी हैं कि लगभग २० करोड़ रुपया आज भी इस प्रदेश का सेल्स टैक्स की शक्ल में बकाया है और वह एक छोटे से आदमी से लेकर करोड़पति तक पर बकाया है। यह जो आज विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें यह बात है कि कौन से वर्ग में कितने-कितने डिफाल्टर्स हैं और उन पर जो बकाया रकम है उसको वसूल करने में कुछ ऐसे तरीके रखे गये हैं जिनके आधार पर हम उस बकाया रकम को जल्दी वसूल कर सकेंगे। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन सारी चीजों के बावजूद मैं ८, ९ नामों को पढ़ कर सुनाऊंगा जिनके मुताल्लिक इस बात का सन्देह है कि हम कितना उन को बाध्य कर पायेंगे वसूली के सिलसिले में और जो मध्यम श्रेणी के तथा गरीब तबके हैं जिन पर आपका सेल्स टैक्स बकाया है, उनको इससे कितनी परेशानी होगी उसको मैं सदन के सम्मुख रख देना चाहता हूं। आपके डिफाल्टर्स में बड़े-बड़े डिफाल्टर्स कौन हैं जिनके नाम इस सदन में भी लिये गये हैं और जिनके नाम अखबारों में भी छपते रहते हैं। उनमें से कानपुर रोलिंग मिल्स है जिन पर ७ लाख ३६ हजार रुपया बाकी है, म्योर मिल्स पर ६ लाख ११ हजार रुपया बकाया है, जे० के० रेयोन मिल्स है—इसमें ६ लाख ५४ हजार बकाया है, महेश्वरी देवी जूट मिल्स है—इसमें २ लाख ९९ हजार रुपया बकाया है, नन्हूमल ज्योति प्रसाद मिल्स है—इसमें २ लाख ९० हजार बकाया है, कानपुर बनस्पति मिल्स है—इसमें २ लाख ५२ हजार रुपया बकाया है, एच० जी० मिश्रा एण्ड कम्पनी है जिसमें २ लाख १५ हजार रुपया बकाया है, यू० पी० रोलिंग मिल्स है इसमें २ लाख ६ हजार रुपया बकाया है और लक्ष्मी रतन काटन मिल्स है जिसमें १ लाख ७१ हजार रुपया बकाया है। इसमें लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के बारे में यह सरकार न मालूम किस नतीजे पर पहुंची है और उसे इसमें कहां तक कामयाबी हुई है, यह वही जान सकती है। इसके अतिरिक्त दूसरी जो इन्डस्ट्रीज सूबे के अन्दर हैं उन लोगों के ऊपर कितना बकाया है? आपके उत्तर प्रदेश की मिलों के ऊपर १४.१८ करोड़ रुपया तो किसान का बकाया है और कुल मिला कर यह बकाया १९.२० करोड़ रुपया के करीब पहुंचता है।

इस विधेयक के पास करने पर यह जो डिफाल्टर्स की लिस्ट मैंने ऊपर बताई है, उनसे आप कितनी वसूली कर पायेंगे यह सोचने की बात है। श्रीमन्, यदि आप वसूल नहीं कह पाते तो मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अन्दर सेल्स टैक्स के एरियर की वसूलियाबी का सबसे बड़ा असर काटेज इन्डस्ट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। इस प्रदेश के लगभग हर जिले और हर शहर में कोई न कोई काटेज इन्डस्ट्री है। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद में बर्तनों की, सीतापुर में दरियों की, अलीगढ़ में तालों की, बनारस में साड़ियों की और फिरोजाबाद में चूड़ियों की, सम्भल में सींग वगैरह बनाने की। जो मध्यम श्रेणी के व्यवसायी हैं जो कि गली कूचों में बैठकर लेबर करते हैं। उन्होंने अपना पहले का व्यवसाय छोड़ दिया है और २० साल हो गये हैं दूसरा व्यवसाय छोटा-मोटा गलियों में बैठ कर करने लगे हैं उनसे भी अभी तक आप उनके पुराने

व्यवसाय का टैक्स लेते हैं। मुरादाबाद में बर्तनों का उद्योग है उसका मसला सरकार के सामने जब कि सैयद अली जहीर १९५९ में फाइनेन्स मिनिस्टर थे, उनके सामने आया था उन्होंने आदेश दिया था कि इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। उसके लोग अब गली-कूचों में बैठकर वर्तन बनाने लगे हैं, उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ। उसके बाद श्रीमती सुचेता कृपलानी मुख्य मंत्री हुईं उन्होंने भी यह आदेश दिया कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसे स्टे कर दिया गया। उसके बाद श्री बलबीर सिंह वित्त मंत्री हुये उन्होंने कहा कि यह अब फाइनल स्टेज में मामला है और तब तक इस मामले को स्टे में रहने दिया जाय। उसके बाद हमारे श्री राम किंकरजी हुये वे स्वयं मुरादाबाद गये और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग जल्दी ही इस मामले को निपटा रहे हैं और अभी तक वह मामला स्टे में पड़ा हुआ है। और श्रीमन, जो सेल्सटैक्स कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष, श्री जयराम वर्मा जी थे, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके मेम्बर माननीय श्रीपति मिश्र, वर्तमान शिक्षा मंत्री थे, तथा उसके और मेम्बरों में माननीय गेंदा सिंह जी और माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी थे। उन्होंने मुरादाबाद जाकर इंक्वायरी की कि मुरादाबाद की इन्डस्ट्री में जो बीच का आदमी है, जो नामुकम्मिल सामान बना कर बेचता है, उस पर से टैक्स छोड़ दिया जाय।

इसी प्रकार का मसला फिरोजाबाद की चूड़ियों और अलीगढ़ के तालों के बारे में भी है। इसी प्रकार से कोई चीज अलग-अलग बनायी जाती है तो अलग-अलग उस पर टैक्स चार्ज हो जाता है। इसके बाद जब एक जगह इकट्ठा की जाती है तो फिर उस पर से टैक्स ले लिया जाता है। खेद की बात यह है कि अगर कोई पैकेट भी बनाता है तो उस पर से भी टैक्स चार्ज कर लिया जाता है। अगर किसी बरतन का एक हिस्सा मुरादाबद का कोई बरतन वाला बनाता है जो बाजार में २ पैसे का बिकता है और जब सब पुर्जे इकट्ठा होकर फाइनल शेप उसको दी जाती है, उस पर कलई होती है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, तब भी टैक्स लिया जाता है। मुकम्मिल होकर जब वह बाजार में बिकता है वहां भी उस पर टैक्स लिया जाता है। इस प्रकार की काटेज इन्डस्ट्रीज हमारे प्रदेश में तमाम जगहों में फैली हुई हैं जिससे हजारों आदमियों की जीविका चलती है, उनके ऊपर अलग-अलग टैक्स लगने से बहुत बुरा असर बड़ता है। इसलिये और भी कि वह हिसाब किताब रखना तो जानता नहीं है। वे पढ़ा-लिखा है। वह, उसकी बीबी और उसके बच्चे उसमें लगे हुए हैं। वे कोई हिसाब रख नहीं सकते कि कितना सामान आया और कितना गया। जब आपका असेसिंग इन्सपेक्टर आता है और जब वह उसको हिसाब नहीं दिखाता तो वह अपना मेहनताना मांगता है। अगर मेहनताना उसको नहीं दिया जाता है तो उसके नाम असेसमेन्ट का नोटिस आ जाता है। असेसिंग आफिसर नोटिस भेजता है। वह वकील के पास जाता है, इधर-उधर दौड़ता है और परेशान होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर इस वेलफेयर स्टेट में हमारी टैक्सेशन पालिसी क्या हो। आखिरकार आप जो टैक्सेज लगायेंगे वह कंज्यूमर पर ही तो पड़ते हैं। इसकी कुछ पालिसी बनायी जाय कि किस स्टेज पर एक प्वाइंट, दो प्वाइंट और कितने प्वाइंट पर टैक्स लेना चाहते हैं। बावजूद इसके कि वित्त मंत्री बदलते चले गये, सरकारें लोट-पोट हो गई लेकिन अभी तक हमने अपनी कोई नीति निर्धारित नहीं की कि हमारी टैक्शेसन पालिसी क्या हो। इसको निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसी लिये मैं कहता हूं कि जब आपकी नियत है और टैक्सेज के बारे में आप कोई काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहते हैं। फिर यही ज्यादा उचित होगा कि इसी बिल को प्रवर समिति में भेजा जाय और वहां माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि किस तरह की हमारी टैक्शेसन पालिसी बनाई जाय। इसके लिये सदन की स्वीकृति लेना चाहिये यही ज्यादा उचित और अच्छा होगा।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान मुरादाबाद की इंडस्ट्री की ओर ले जाना चाहता हूं। आप का १६–१७ लाख रुपया बकाया है। दो ढाई लाख रुपया सालाना का है। आप अपने अधिकारियों से पूछिये कि क्या कोई सर्वे है कि जिनके नाम आपने असेसिंग नोटिसेज जारी

[श्री रियासत हुसैन]

किये हैं बकाया में उनके कारखाने हैं भी या नहीं और वह आदमी जिन्दा भी है या नहीं। सकड़ों केसेज ऐसे हैं कि दादा कारखाना खोले था, वह भट्टी चलाता था, वह मर गया तो उसका पुत्र कारखाना चलाने लगा। लेकिन हालत खराब होने से वह रिक्शा चला कर अपनी गुजर बसर करने लगा। लेकिन आपके वसूल करने वाले उसी दादा के नाम का नोटिस उस रिक्शे चलाने वाले के ऊपर सर्व करते हैं।

आखिरकार मुरादाबाद के लोग क्या चाहते हैं? आप को स्टेंडिंग कमेटी थी, वहां के लोग चाहते हैं कि जो लोग वहां पर काले रंग का बदनुमा बर्तन भट्ठी में डालकर देता है जिसको उसकी लेबर मिलती है। उसने मान लीजिये १०० लोटे भट्ठी में ढाले और वह उस दुकानदार को देता है जो एक्सपोर्ट भी करता है मारकेट म भी बेचता है या दूसरे सूबों में भी माल भेजता है तो जो माल लेकर जाता है उसको क्या मिलता है? उसको केवल मजदूरी मिलती है। जो वर्तन का वजन होता है उसके बराबर उसको दुकानदार माल दे देता है और अगर उसकी मजदूरी चार आने होती है तो उसको २५ रुपये दे देता है। आप यदि उस पर टैक्स लगाते हैं तो इसके माने हैं कि उसकी मजदूरी पर टैक्स लगाते हैं और उन कैपिटेलिस्ट्स के ऊपर नहीं लगाते हैं जो सारा मुनाफा कमाता है। आप इस स्टेज पर भी सेल्स टैक्स लेना चाहते हैं जिसको १०० चवन्नी मिले उससे भी सेल्स टैक्स लेना चाहते हैं। इसी तरह से आगरे के जूते की बात है, इसी तरह से संभल में सींगों की बात है, फिरोजाबाद में चूड़ियों की बात है। यह सारी चीजें जो लेबर क्लास बनाती हैं, आखिर में बेचने वाल वे लोग नहीं हैं, जिसको देने के लिये वे मजबूर हैं, वे लोग बेचते हैं। अगर उनको वे लोग नही देंगे तो वे दाल चावल कहां से लायंगे? उसके पास रेकार्ड नहीं। आपने जगह-जगह कहा कि कोआपरेटिव सोसायटीज बना कर उनको रा-मैटीरियल दिया जाय। लेकिन उनको तो रा-मैटीरियल मिला नहीं बल्कि मिला उसको जिसने उन लोगों से अनफिनिश्ड माल लेकर अपने यहां फिनिश किया, फारेन मार्केट के मुताबिक, शहर के मार्केट के मुताबिक मीनाकारी कराई, पालिश कराई, निकिल कराई, जैसी भी डिमांड हो, और उसको एक्सपोर्ट किया। अगर उसने १ लाख रुपय का माल एक्सपोर्ट किया तो ७० हजार रुपये का उसको रा-मैटीरियल गवर्नमेंट ने दे दिया और उसका नाम रखा इन्सेंटिव। उसके यहां कोई कारखाना है नहीं। वह जानता भी नहीं ह कि यह तमाम चीजें डेकोरेशन की कैसे बनती है। वह फिर यही करता है, चाहे तोड़ की भट्टी हो, दर्ज की भट्ठी हो या खुली भट्ठी हो, उसके हाथ ब्लैक में बेचता है। अगर ८ रुपये किलो का भाव है तो उसने २० रुपये किलो के भाव उसके हाथ बेचा और उस बेचारे ने अनफिनिश्ड माल की शक्ल में फिर उसी को दे दिया। तो यह जो आपका सेल्स टैक्स का तरीका है कि हर जगह लिया, कोई भी ट्रान्जेक्शन हो, चाहे वह काइन्ड टु काइन्ड हो, चाहे वह कोई और ट्रान्जेक्शन हो, हर तरह के ट्रान्जेक्शन के ऊपर आपने कहा कि सेल्स टैक्स वाजिब हो गया। नतीजा यह है कि आज मुरादाबाद में ७० हजार की आबादी, जिनका जरिया माश सिर्फ यही है, और इसी तरह से आगरा, अलीगढ़, फीरोजाबाद, इन सारे शहरों में जहां गरीब लोगों का गुजर का जरिया यही है, वह परेशान हाल हैं। वसूली होती है, समन्स निकलते हैं, कुर्कियां होती हैं, सारी परेशानियां उनके सामने आती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सेल्स टैक्स का २० करोड़ रुपये का बकाया और उन दुकानदारों में ऐसे-ऐसे लोग जिनसे कभी तो इलेक्शन फंड के नाम पर रुपया लेते हैं, और अब तो एक और बात चल पड़ी है कि जन्म दिन मनाये जाने लगे, कभी गुप्ता जी का जन्म दिन मनाया जाता है, कभी बनारसीदास जी का जन्म दिन मनाया जाता है और आज तो मैंने सुना कि चौधरी चरण सिंह का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। मालूम नहीं ये जन्मदिन सर्टिफिकेट एज से मनाये जाते हैं या ऐक्चुअल एज से मनाये जाते हैं या किस हिसाब से मनाये जाते हैं लेकिन इनका टार्गेट लाखों से कम का नहीं होता है। तो लाखों का टार्गेट पूरा करने के लिये कोई गरीब आदमी तो देगा नहीं। वह तो यही सब लोग देंगे जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया। वह कहते हैं कि दो लाख का बकाया है, १०-५ हजार इलेक्शन फंड में दे दो फिर कुछ दिन की मोहलत मिल जायेगी। तो मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है जिसस सारा प्रदेश पीड़ित है क्योंकि यहां बकाया का सवाल उठता रहता है .....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक वक्ता के लिये कितना समय निर्धारित किया है ?

श्री अधिष्ठाता--

संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिये समय की सीमा नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि जब स्टे आर्डर यह कहे कि "टिल फाइनल डिसीजन" तो डिसीजन लेने वाले आप हैं। आप फिर क्यों सारी परेशानी में पड़ते ह। आज ही सारा डिसीजन दे दीजिए और कह दीजिए कि यह डिसीजन हो गया। कोई ऐतराज की बात नहीं है लेकिन दूसरे तरीके और थर्ड डिग्री मैथड भी आपके यहां से होगा जो उस गरीब मजदूर के ऊपर होगा जो आज मुरादाबाद और आगरा के अन्दर इस रोजगार काटेज इंडस्ट्री के द्वारा अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। इसलिये आखिरी बार मैं माननीय मन्त्री जी से इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि जब वह एक काम्प्रैहैन्सिव बिल लाना चाहते हैं तो अच्छा है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय जो इस बिल पर सोच विचार कर प्रस्तुत करे तब उसमें ये सारी सुविधा हो जायेंगी। इतना ही कहकर मैं समझता हूं इन बातों पर ध्यान दिया जायगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं सर्वप्रथम अपने सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के साथियों को धन्यवाद देता हूं कि थोड़े दिनों की परीक्षा के बाद उन्होंने अपना रणक्षेत्र बदला है और हमारे साथी रियासत भाई ऐसे लोगों के धन्धे पर तीर चलाना प्रारम्भ किया है। मुझे इसलिये कहना पड़ता है कि यह अध्यादेश उन्हीं लोगों का बनाया हुआ है जिसका हम विरोध करने जा रहे हैं। जब यह अध्यादेश आया था तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि एस० एस० पी० के हम लोगों ने इसका विरोध किया था जो छात्रों के सम्बन्ध में था। जब सरकार स्वयं उसको निरस्त करने जा रही है तो इसका विरोध करना समझ में नहीं आता। मुझे खुशी है कि रियासत भाई ने कर के सिद्धान्तों की व्याख्या की लेकिन मैं कर के सम्बन्ध में न जाकर जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है मैं उसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। इस विधेयक को लाने की सरकार की मन्शा एक ही है और वह यह है कि कुछ ऐसे निर्णय हो गये हैं जिनसे उन करों की वसूली में दिक्कत पड़ रही है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे न्यायालय जो आज के हैं वे नागरिक अधिकारों के बारे में तो उदार हैं लेकिन सम्पत्ति के बारे में प्रतिक्रियावादी हैं जसा कि प्रिवीपर्स के मामले में आज हुआ है। जब कर की बात आती है, जब पूंजीपतियों पर और बड़े बड़े व्यापारियों पर कर लगाने की बात आती है, जब सामन्तशाही ढांचा तोड़ने की बात आती है तो वहां पर प्रायः देखा जाता है कि ये न्यायालय अपनी कलम को तेज करते हैं और दूसरी तरह का निर्णय करते हैं। जब हम अहिंसात्मक सत्याग्रह का आन्दोलन चलाते हैं तो फिर उनका निर्णय हमारे खिलाफ हो जाता है। इसलिये मैंने कहा कि हुआ क्या? हुआ यह कि कुछ दिक्कत आई। जैसे चूड़ियों का मामला था। पहले उस पर अलग-अलग था, सादी और अलंकृत चूड़ियों पर टैक्स अलग-अलग था। इसी प्रकार खण्डित और विखंडित दाल के बारे में अलग अलग टैक्स था। ये कर ऐसे हैं जिनको व्यापारी ले लेते हैं। यह स्पष्ट है कि बिक्री पर सीधे व्यापारी नहीं देते हैं। यह अप्रत्यक्ष टैक्स है। हमेशा यह उपभोक्ता से लिया जाता है। व्यापारियों ने खंडित और विखंडित दालों के नाम पर उपभोक्ताओं से बिक्री-कर ल लिया है और लेने के बाद न्यायालय का निर्णय हुआ। जब

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

उनको न्यायालय का निर्णय मालूम हो गया कि वह उनके पक्ष में हो गया तो कहा कि सरकार हमको खजाने से वापस कर दे। जो व्यापारी बिक्री-कर को वापस लेगा तो क्या वह उसको उपभोक्ता को वापस करने जायेंगे। अब उपभोक्ताओं से उन्होंने ले लिया है और न्यायालय के निर्णय के बाद वह उसकी थाती बन जायगी। तो वह अपनी थाती बनायेंगे। इसलिये सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि ऐसा संशोधन लाया जाय जिसके न होने से न्यायालय ने हमारे विपक्ष में निर्णय किया है जिससे वह वसूली हो जायगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी चाहती है कि बिक्री-कर को एकपक्षीय बनाया जाय। हम चाहते हैं कि हमारी समाजवादी व्यवस्था में कर निर्धारण के वह सिद्धान्त रखे जांय कि उसमें अप्रयत्क्ष कर कम से कम हों क्योंकि हम मानते हैं कि उस का सारा भार गरीब उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

(इस समय २ बजकर २३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

लेकिन हम यह कभी नहीं चाहते कि जो कर उपभोक्ताओं से ले लिया गया हो वह इन पूंजीपतियों पर छोड़ दिया जाय और वह उन की थाती हो जाय। उन्होंने बताया कि कितने ही बड़े लोगों पर बिक्री-कर बकाया है। कानपुर में टैक्सटाइल कम्पनियां हैं उनकी हालत यह है कि कुल जितनी रकम राज्य में बिक्री-कर की बकाया है उसका ५० प्रतिशत केवल कानपुर की दस बारह टेक्सटाइल मिलों पर ही बकाया है। मुझे बहुत दुख है और खेद के साथ कहूंगा कि भूतपूर्व वित्त मंत्री जी का बिक्री-कर की वसूली के सम्बन्ध में जो आश्वासन था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ और वह रकम आज तक बाकी है। मैं साफ कहूंगा और सुझाव दूंगा और माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस सरकार में एस० एस० पी० साझेदार हो वह हमेशा चाहेगी कि जहां हमने १६–१७ करोड़ की हानि की बात सोची है जो नुक्सान सवा ६ एकड़ की माफी से होगा तो अगर यह २० करोड़ रुपया बकाया का वसूल कर लिया जाय तो कमी नहीं रहेगी। यह बिक्री-कर का जो विधेयक आया है वह बहुत सोच समझकर लाया गया है, हम उस का स्वागत करते हैं लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि हमारे दल के खिलाफ यह कहा जाता था कि सवा ६ एकड़ की माफी के बाद यह रुपया कहां से आयेगा। लेकिन हमारा दल जब किसी नीति या सुझाव को देता है तो यह उस का धर्म हो जाता है कि वह बताये कि यह आय में हानि जो होगी वह कहां से पूरी होगी। मैं आपको सुझाव दूंगा कि व्यापारियों के यहां एक धर्मादा खाता होता है। हमारे प्रदेश में धर्मादे के खाते के रूप में ४०–५० करोड़ रुपया आज व्यापारी वसूल करते हैं और राय, धर्मशाला, धार्मिक कार्यों के नाम पर इतनी बड़ी रकम यह व्यापारी वसूल करते हैं। वह उस का प्रयोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं यह सब उनकी मर्जी पर है। वह रकम आती कहां से है? व्यापारी अपने लाभ में से वह नहीं देते, अपनी कमाई से नहीं देते। वह तो उपभोक्ताओं से या किसान जो अपनी खेती का माल लेकर बिक्री करने आते हैं, उन से धर्मादे के नाम पर वसूल करते हैं। इस धर्मादे खाते के नाम पर छोटे-छोटे गरीब किसानों को लूटा जा रहा है और ४०–५० करोड़ की रकम इस प्रदेश में इस तरह से छिपी रह जाती है। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि या तो इस तरह की वसूली व्यापारी धर्मादे खाते के नाम पर न करें ताकि गरीबों को उस से राहत मिले या यह रकम सरकार के नियन्त्रण में आये।

जहां तक चन्दा वसूली की बात है मैं रियासत भाई से कहूंगा कि इस मामले में भी शायद तीसरे नम्बर का दल उन्हीं का था। चन्दा तो उनको भी मिल जाता है। हमारा दल तो एक एक रुपया साधारण लोगों से इकट्ठा करता है। क्योंकि हमारी मान्यता है कि गरीब का राज गरीब के पैसे से बनेगा। रियासत साहब ने हमारी बात सुनने का कष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस मनाये जा रहे हैं, वह तो हमारे आप के भी मनाये जायंगे, अभी तो वे ३ हैं सौ दो सौ हो जायंगे तो आप के भी मनने लगेंगे। इसमें रोष की क्या बात है? इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के पूर्व जो आर्डिनेन्स बनाया गया था वह इसलिए बनाया गया था कि सरकार को कुछ साधन उपलब्ध करने थे और शासन के समक्ष कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां थीं जिनको सरकार दूर करना चाहती थी। अब प्रश्न यह है कि उनके लिए क्या कोई अध्यादेश लाया जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए तो यह एक मामूली प्रश्न है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारे जनतंत्र में अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जा सकता है। अध्यादेश लाने के लिए या तो ऐसी परिस्थिति हो कि सदन न हो रहा हो या कोई एमरजेन्सी हो या कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय जब कि उसके सम्बन्ध में हम न तो सदन को बुला सकते हैं और न सदन में विचार ही कर सकते हैं तब ऐसी विशेष परिस्थितियों में ही, कठिन परिस्थितियों में ही जिसको हम एमरजेन्सी कह सकते हैं, अध्यादेश का प्राविधान है।

यदि शासन को कुछ धन प्राप्त करना था, कुछ साधन जुटाने थे, और कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां थीं तो अगर इस अध्यादेश को न लाया जाता तो उससे कोई खास प्रशासनिक कठिनाई न होती या शासन को उससे कोई खास खतरा नहीं था। तो मैं कहता हूं कि इस प्रकार से अध्यादेश प्रस्तुत करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और यदि हम इन परम्पराओं का जोरदार शब्दों में विरोध नहीं करेंगे तो यह हो सकता है कि इस तरह के अध्यादेश लाकर शासन को चलाने का प्रयास किया जाय, सदन समाप्त हो जाय और सदन को ६ महीने तक भी आहूत न किया जाय और फिर वह ६ हफ्ते तक अध्यादेश चलता रहे तो यह हमारे लिए, हमारे जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, इससे जो हमारे जनतंत्र को खतरा है, फासिज्म की प्रवृत्तियों के पैदा होने का खतरा है, उन्हें दूर करना चाहिए। आज प्रदेश में जनमत होना चाहिए कि इस प्रकार के अध्यादेश हम बनाना नामुमकिन कर दें।

हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी ही गम्भीरता से बहुत ही विचारमूलक भाषण दिया। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूं परन्तु श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि इस विधेयक को इस रूप में लाने के लिए कोई भी कारण नहीं थे जब कि वह एक और विधेयक इस सम्बन्ध में सदन के सामने उपस्थित करना चाहते थे। कभी-कभी यह पीसमील लैजिस्लेशन बड़े खतरे की चीज हुआ करती है। उनसे प्रशासन में जो हम गड़बड़ियां दूर करना चाहते हैं हमारे सामने उसका एक पिक्चर या रूप नहीं आता है और हम कभी-कभी बड़ी गलतियां कर जाया करते हैं। श्रीमन्, मेरा खयाल यह है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। वह विचार करें और उसके बाद उसे शामिल कर लें इस विधेयक में जो इस सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मेरा विचार यह है कि यहां का जो सेल्स टैक्स अधिनियम है वह बहुत बैडली ड्राफ्टेड है जिसके कारण बाद में अनेक समस्यायें और कठिनाइयां उपस्थित की जाती रही हैं। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिये। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बड़ा विचारमूलक भाषण दिया परन्तु मैं देखता हूं कि सरकार की प्रवृत्ति में उससे कोई तालमेल नहीं है।

श्रीमन्, हमें यह विचार करने को है कि हमें टैक्स कहां लगाना चाहिये। मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए टैक्स की आवश्यकता होती है और जनता को उचित टैक्स देने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह भी प्रश्न है कि टैक्स लेने का अधिकार किस सरकार को है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र में श्रीमन्, टैक्स कहां लगाना चाहिये, उसका किस तरह उपयोग होना चाहिये, उसका एक उदाहरण दिया है। श्रीमन्, सूर्य जैसे जमीन में से पानी को खींचता है और उसको फिर अधिक उपयोगी रूप में बादल के रूप में उसको वापिस कर देता है, जिसका अधिक उपयोग होता है, समाज के लिये वही काम सरकार का है। सरकार_

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

वही टैक्स लेने की अधिकारी है, जो टैक्स उसे प्राप्त होता है उसका सदुपयोग हो। उसमें जो लीकेजेज या वेस्टेजेज हैं, हमारी सरकार के प्रशासन में, उसको दूर कर दें। तभी उसे अधिकार है कि वह टैक्स लगाये।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के जितने भी रवैये हैं, वह कहती है कि हमने प्रशासनिक सुधार के लिये कमेटी बनाई है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि आज एस्टीमेट कमेटी की बीसियों रिपोर्टें पड़ी हुई हैं जिसमें सुधार के लिये अनेक विचारपूर्ण सुझाव दिये हैं लेकिन सरकार ने उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को, जिसको यह पता नहीं है कि उसका रुपया कहां खर्च हो रहा है, एक बार इसी सदन में कहा था कि एक विभाग दस करोड़ रुपये की मांग करता है और मार्च में पांच करोड़ रुपये का फिर अनुपूरक विधेयक पेश करते हैं और उसके बाद भी मार्च के अन्त तक कितना खर्च करते हैं २५ करोड़ रुपया और दस करोड़ के लिये फिर उसको पी० ए० सी० के सामने जाना पड़ता है कि वह उसको रैगुलेराइज करे। श्रीमन्, शासन को यह पता नहीं है कि कहां कितना रुपया खर्च हो चुका है, इसका नियंत्रण उसके पास नहीं है। श्रीमन्, वित्त मंत्री महोदय को अनुभव है, वह पहले भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रदेश को ऊंचा उठाना है तो टैक्स लगाने से पहले सरकार के रुपये का जो अपव्यय हो रहा है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। आपके बजट में ५० परसेंट ऐसी मदें शामिल रहती हैं जिनकी प्री-स्क्रूटिनी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष---

यह विषयान्तर हो रहा है, कृपया विषय पर ही बोलें।

श्री देवकीनन्दन विभव--

मैं यह कह रहा था कि टैक्स लगाने से पहले सरकार को फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये और उसके बाद जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार अपनी मांग को लेकर सदन के सम्मुख आना चाहिये। उसको बड़ी खुशी से यह सदन स्वीकार करेगा।

मैं कुछ इस विधेयक के सम्बन्ध में श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं। माननीय रियासत हुसैन साहब ने कुछ सही बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। आज प्रश्न यह है कि पैसा मिलना चाहिये। पैसा सेल टैक्स से ज्यादा यदि आप प्रोडेक्शन टैक्स लगायें तो आपको प्राप्त हो सकता है। आप उत्पादन कर लगाइये। अभी सवालों के एक उत्तर से ऐसा प्रतीत हुआ कि आप कपड़े पर लगने वाले उत्पादन शुल्क को भी सेल टैक्स में बदलना चाहते हैं। यह गलत है। अगर आप उत्पादन कर लगायेंगे तो सेल टैक्स के जो तमाम विभाग आपने एक एक जिले में खोल रखे हैं इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी और लोगों को राहत भी बहुत मिल जायेगी। विभागों पर जो आपको इतना खर्च करना पड़ता है वह भी नहीं होगा। आपकी आय भी बढ़ जायेगी।

अब प्रश्न यह है कि किन चीजों पर टैक्स लिया जा सकता है। मैंने कई बार कहा है कि काटेज इन्डस्ट्रीज पर आपको सेल टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मेरे आगरा में जो लोग जूते बनाने का उद्योग करते हैं वे अपने घरों में जूते बनाते हैं, वे कोई हिसाब-किताब नहीं कर पाते, न अपने केस की पैरवी ही कर पाते हैं। इस सेल टैक्स के कारण बहुत से इस कारोबार को करने वाले अपने अपने घरों को छोड़ कर भाग गये। तो सरकार यदि चाहती है कि प्रदेश में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग धन्धे पनपें, तो उसको इन उद्योगों पर से सेल टैक्स हटाना चाहिये। तभी आप सही तरह से मैन पावर का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आज इसके कारण तमाम उद्योग हमारे यहां से दूसरे प्रान्तों में चले जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सेल टैक्स की दरें आपके

यहां से बहुत कम हैं। यह सब आपको अध्ययन करना है। यह सेल्स टैक्स का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि जिनकी दो लाख की बिक्री है, उन्हीं पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि यह आता कहां से है? यह धन व्यापारी अपने पास से नहीं देता है। यह आता है गरीब कंज्यूमर्स से। आपने सवा छः एकड़ की लगान माफ करके छोटे किसान को राहत दी है, किन्तु इसका परिणाम यह होगा कि आपने एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से उससे ले लिया है। आपने अभी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई इस सबका बोझ उस गरीब किसान पर ही पड़ेगा, साधन हीन कंज्यूमर्स पर ही तो पड़ेगा। यह पैसा उन छोटे काश्तकारों की जेब से ही आएगा, जिनके लिए आपने सवा छः एकड़ की लगान माफी लागू की है। इससे आपकी यह घोषणा केवल नारेबाजी ही मालूम पड़ती है। इससे देश का उद्योग नहीं बढ़ेगा। इन सब समस्याओं पर समाजवादी और प्रगतिशील कहलाने वाली सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, यदि वह वास्तविक अर्थों में जनता का कल्याण करना चाहते हैं। मंत्री जी ने बहुत सा विश्वास दिलाया है कि वह सब प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करेंगे, अतः मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह हमारे सुझावों के निचोड़ को ग्रहण करेंगे और सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन अवश्य करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मान्यवर, मैंने विभव जी के भाषण को सुना, उन्होंने उपदेश तो हमें दे दिया कि नारेबाजी से आर्थिक समस्या का हल नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि यह उपदेश वह आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में भी दे देते और इन्दिरा गांधी से भी कह देते कि वह भी नारेबाजी बन्द कर दें, तो बहुत अच्छा होता। (व्यवधान) मैं इन्दिरा गांधी का नाम इसलिए ले लेता हूं कि हाउस बड़ा चुपचाप बैठा रहता है, और उनका नाम लेने से यहां गर्मी थोड़ी आ जाती है।

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है। वापस ले लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं वापस लिए लेता हूं, यदि आप लोगों को इन्दिरा जी के नाम पर आपत्ति है। यह ठीक है कि वित्त मंत्री ने जो विधेयक पेश किया है यदि यह टैक्स न बढ़ता तो अच्छा होता। उन्होंने इस टैक्स को बड़े व्यापारियों पर बढ़ाया है। किन्तु मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स जाता है आखिर में उपभोक्ता की जेब से ही। टैक्स बड़े व्यापारी पर लगता है, लेकिन बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी से ले लेता है और छोटा व्यापारी फुटकर व्यापारी से वसूल कर लेता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता से वसूल लेता है। इसलिए यह ऐसा टैक्स है कि यदि यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो अच्छा हो और इसके बजाए टैक्सेशन की कोई दूसरी व्यवस्था हो तो अच्छा है। आप कोई नई योजना बनायें।

मैंने श्रीमन्, पत्र भी लिखा और आज भी कहना चाहता हूं कि अगर टैक्सेशन के बारे में कोई नयी नीति बनाएंगे तो सचमुच इस प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे दूकानदारों को ले लीजिये। छोटा दूकानदार दो, तीन चार सौ रुपया कमाता है। आप कहते हैं कि सेल्स टैक्स का हिसाब रखो। वह बही खाता रखेगा, और सब दूकानदार ईमानदार नहीं हैं, कोई दूकानदार दो बही खाते भी रखेंगे। एक मुनीम रखेगा। डेढ़ सौ रुपया उसको तनख्वाह देगा। जब सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर आता है तो उसकी खातिरदारी होती है। उसके बाद सेल्स टैक्स आफिसर की खातिरदारी होती है। फैसले के बाद वह अपील करता है। उसको दूर जाकर अपील करनी पड़ती है। मैं बलबीरसिंहजी का आभारी हूं जब वह सेल्सटैक्स मंत्री थे मैंने प्रार्थना की थी कि देहरादून के लोगों को मेरठ, मुजफ्फरनगर जाना पड़ता है। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और देहरादून में व्यवस्था की। लेकिन एक जगह की कठिनाई दूर

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

होने से सब जगह की कठिनाई दूर नहीं होती। छोटा व्यापारी बेईमान होने के लिए मजबूर होता है। उसके पास जब इंस्पेक्टर जायगा वह अपने ढंग से अपना टैक्स वसूल कर लेगा। मैं नहीं जानता कि उस टैक्स का क्या नाम है? सेल्स टैक्स आफिसर के पास जायगा तो आम तौर पर उसको सन्तोष नहीं होता। कोई लम्बा चौड़ा कानून नहीं है। डिस्क्रिशन है। कोई जाकर खुशामद कर लेता है, या कोई दूसरी बात हो गयी, या कोई प्रभावशाली वकील खड़ा हो गया जो उनके साथ खाता पीता है, तो फैसला उसके हक में हो गया वरना मजबूर होकर टक्स का पसा जमा करके अपील में जाय। पचास रुपये के लिए दो दो, चार-चार सौ रुपये खर्च करके आता है। फिर जरूरी नहीं है कि टैक्स माफ हो जाय। मैं यह नहीं कहता कि टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन कोई न्याय संगत योजना होनी चाहिए।

टैक्स एकसूत्री होना चाहिए। बहुसूत्री करेंगे, तो मुझे मालूम है देहरादून में एक चूने का उद्योग चलता है। कोयले पर अलग टैक्स है और पत्थर पर अलग टैक्स और जब इन दोनों के संयोग से चूना बन कर तैयार होता है तो उस पर अलग टैक्स है। एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स लगता चला जाता है। जितने हाथों में चीज जाती है टैक्स लगता है, तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। आखिर में वह बोझ हमारे नागरिक पर पड़ता है, उपभोक्ता पर असर पड़ता है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। टैक्स एक सूत्री हो। माननीय वित्त मंत्री जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि उनका इरादा यह है कि कपड़े पर जिस पर एक्साइज ड्यूटी थी, जिस म उपभोक्ता और व्यापारी को परेशान नहीं होना पड़ता था, उस पर भी सेल्स टैक्स लगाना चाहते हैं। सारे प्रदेश के कपड़ा व्यापारी उसके विरोध में आन्दोलन करने को तैयार हैं। मैं नहीं कहता कि आप कपड़े की कीमत पर नियंत्रण न करिये। आप जो चाहें नियंत्रण करिए। जो टैक्स की चोरी करते हैं उनको जो बड़ी से बड़ी सजा हो दी जाय।

रियासत भाई ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले इसलिये नहीं पकड़े जाते हैं क्योंकि वह बड़े बड़े नेताओं के जन्म दिवस पर चन्दा देते हैं। श्रीमन्, मुझे इसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। जो भी पोलीटिकल पार्टीज हैं वह सभी चन्दा लेती हैं। हम इससे इन्कार नहीं करते हैं। प्रजातंत्र में चन्दा द्वारा ही चुनाव लड़े जाते हैं। यदि चुने हुये लोग सरकार में आने पर जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं उनके साथ कोई रियायत करते हैं, तो ठीक नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि टैक्स चोरी करने वालों को अगर आप रोकेंगे नहीं तो प्रदेश के अन्दर हरएक व्यक्ति चोर हो जावेगा।

श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो व्यापारी हैं वह अगर सुझाव लेकर आते हैं तो उस पर विचार कीजिये। सारे उत्तर प्रदेश के हलवाई एकत्र हुये थे और सुझाव दिया था कि उनसे टैक्स के बजाय लायसेंस फी ली जाय तो सरकार को डेढ़ दो करोड़ का लाभ हो सकता है। इस समय उनसे शायद ८० लाख रुपये ही टैक्स के रूप में मिल रहे हैं। तो सरकार लाभ की बात भी नहीं सुनना चाहती है। अगर आप इस सुझाव को स्वीकार कर लें तो आपको दुगुना तिगुना रुपया मिल सकता है। वह लोग भी झंझटों से बच जावेंगे। इसी तरह से लकड़ी के व्यापारी हैं। लकड़ी के ऊपर जो टक्सेशन किया गया है उसकी दरें गलत हैं। जब आप फर्नीचर पर टैक्स लगाते हैं तो चिरी हुई लकड़ी पर क्यों टैक्स लगाते हैं? इसके अलावा सभी लकड़ियों को एक ही श्रेणी में रक्खा गया है। उनमें भेद किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जल्दी खत्म कीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं दो मिनट समय और लूंगा।

जनरल मरचेन्ट्स जो हैं उनकी हर चीज के अलग अलग टैक्स के रेट्स हैं, टैक्स में एक ही तरह के रेट बना लिये जायं। आज की व्यवस्था यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

यह ऐसा डिशकशन नहीं है जो बिल से सम्बन्धित हो। उसी पर सीमित रहें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आपने विभव जी को आज्ञा दी थी इसलिये मैंने यह कहा है।

श्री अध्यक्ष--

उनको भी मैंने टोका था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

तो मैं कह रहा था कि यह टैक्स की रेट्स एक समान होना चाहिये। जो विधेयक आया है उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि हानि हो रही है। इसका दूसरा कारण है। उदाहरण के लिये जैसे कुटीर उद्योग है। इसका क्षेत्र दिल्ली के आसपास मेरठ, सहारनपुर, देहरादून और आगरा आदि में है। दिल्ली के अन्दर जो कर है वह बहुत कम है। तो जो हमारे यहां के व्यापारी हैं उनको इस कारण हानि हो रही है। इसी कारण से देहरादून की बल्व फैक्ट्री तथा अन्य उद्योग हानि पर चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली के सेल्स टैक्स का मुकाबला वह नहीं कर सकती है। तो इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये।

एक बात मैं और कहूंगा। वित्त मंत्रीजी ने भी इस बात का संकेत किया कि व्यापारी के साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब व्यापारी का नाम सुनाई पड़ता है तो जज ऐसे बैठता है कि जैसे कि कतल से भी अगर कोई बड़ा जुर्म हो तो उसने किया है। यह मैं किसी व्यापारी के लिये ब्रीफ होल्ड नहीं करता हूं। लेकिन पहले से ही किसी के बारे में ऐसा सोच लेना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

सेल्स टैक्स आफिसर से लेकर कमिश्नर तक उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सेल्स टैक्स आफिसर या कोई भी अधिकारी किसी दूकान पर पहुंच जाय, उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड तो है नहीं कि वे कौन हैं। दूकानवाला जानता नहीं कि ये कौन सज्जन हैं और वे जाकर दूकानदार से एकदम से कह दें कि अपनी किताब निकालो, इस पर दूकानदार कहता है कि आप कौन सज्जन हैं, इसी पर वे नाराज हो जाते हैं और उस व्यापारी के ऊपर मनमाना असेसमेंट कर देते हैं। इसलिये यह बिल जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात है, इसका तो मैं विरोध करता हूं लेकिन बड़े व्यापारियों पर कुछ टैक्स बढ़ाने से सम्बन्धित यह विधेयक है तथा रुपये को प्राप्त करने में प्रक्रिया को सरल बनाने से सम्बन्धित है और क्योंकि आप एक बड़ा बिल लायेंगे तो इन सब चीजों की व्यवस्था उसके अन्दर करेंगे जिससे व्यापारियों और आम जनता को राहत हो, मामूली से मामूली व्यक्ति को राहत हो। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह जो संशोधन पेश किया गया है इसका विरोध करता हूं।

*श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)--

अध्यक्ष महोदय, आपका मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि सेल्स टैक्स के बजाय एक रिश्वत टैक्स लगा दिया जाय क्योंकि मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

यह देख रहा हूं कि जिस व्यापारी पर सेल्स टैक्स आफिसर प्रसन्न है उसके ऊपर तो बहुत कम टैक्स लगाता है और जिसके ऊपर उसकी नाराजगी है उसके ऊपर जितना भी उसके दिल में आता है, अन्धाधुन्ध टैक्स बांध देता है। राय बरेली का एक किस्सा मुझे मालूम है। वहां के एक सेल्स टैक्स अधिकारी ने गुप्ता साइकिल स्टोर के प्रोप्राइटर से एक स्कूटर मांगा। जब वे लोग किसी व्यापारी से कोई चीज मांगते हैं तो उसे रिश्वत कह कर नहीं मागते हैं बल्कि यह कहकर कि उनके यहां शादी व्याह है, इसलिये सेठजी के यहां से वहां एक स्कूटर भेज दिया जाय तो जब उस व्यापारी से स्कूटर उन्होंने मांगा तो गुप्ता साइकिल स्टोर वाले ने इसको देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। नतीजा यह हुआ कि उसके ऊपर अन्धाधुन्ध सेल्स टैक्स बांध दिया गया और जब उसने उस टैक्स की अदायगी नहीं की तो उसे गिरफ्तार करवा कर कोतवाली में भेजवा दिया।

(व्यवधान)

बहुत चहकिये मत, मिनिस्टर होने के बाद आपको गम्भीर हो जाना चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, क्या यह शब्द "चहकिये मत" संसदीय है ?

श्री मदनमोहन मिश्रा--

बिलकुल संसदीय है। आप वकील हैं, इतना तो आपको मालूम होना चाहिये। यह साहित्यिक शब्द है, कवियों की भाषा को वकील नहीं समझ सकते।

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द उनको नहीं कहना चाहिये। यह संसदीय नहीं हैं।

श्री मदनमोहन मिश्रा--

अगर आप कहते हैं तो मैं उसे वापस ले लेता हूं लेकिन मैं बहस करने के लिये तैयार हूं कि "चहकना" शब्द कवियों की भाषा है। स्वतंत्र भारत के सरोज जी बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ लें। फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं इस शब्द को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मेरे कमरे में आकर आप बहस कर लें।

श्री मदन मोहन मिश्रा--

मेरा कहना यह है कि सेल्स टैक्स के बजाय ये रिश्वत टैक्स लगाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि जितने सेल्स टैक्स अधिकारी हैं, उनके द्वारा व्यापारियों को सताना और कोआर्सन करना बन्द हो। दूसरी बात यह कि जो हमारे मंत्रिगण हैं ये तो केवल नाम के लिये शासक हैं। असली शासन तो आई० ए० एस० कर रहा है। जो पहले आई० सी० एस० थे, आज आई० ए० एस० हैं और वे आज इस देश और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे मंत्रिगण तो इसी पर प्रसन्न होते हैं कि उनके सामने एक झंडा लटका दिया गया कि वे मिनिस्टर हैं, उनके लिये चपरासी, गाड़ी व तमाम और अमिनिटीज मिल गयीं लेकिन असली शासन आई० ए० एस० के जो सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लोग हैं और कमरों में सुशोभित हैं, वे ही करते हैं। मंत्री लोग तो केवल अपने लिये माला, गजरा ही पसन्द करते हैं, उनको मोटर मिल गयी और सेल्यूट मिल गया, इसी में वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिये यह जो सेल्स टैक्स है वह बोल रहा है कि यहां का आई० ए० एस० क्या चाहता है। यहां के आई० ए०

एस० की मशीनरी इस प्रदेश की जनता के साथ किस हद तक खिलवाड़ करना चाहती है, यह इस चार्ज का द्योतक है कि कोई बेचारा मिठाई की दूकान करता है, कोई जूते की दूकान करता है, कोई खिलौने की दूकान करता है, और किसी तरह से कर्जा लेकर अपना काम चलाता है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स अधिकारी कहता है कि तुम्हारे ऊपर १० हजार रु० टैक्स, तुम्हारे ऊपर २० हजार रुपय टैक्स, तुम्हारे ऊपर २५ हजार रुपय टैक्स और वह टैक्स रातों रात कम हो जाता है अगर सेल्स टैक्स आफिसर के यहां रिश्वत की रकम पहुंच जाती है और यह रकम इंस्पेक्टर और बाबू के जरिये जाती है।

एक बात यह कि अंग्रेज इस देश में सब को बेईमान समझते थे जब तक वह ईमानदार समझने के लिये मजबूर न हो जाय। यह सरकार यह मानकर चलती है कि हर व्यापारी बेईमान है और गलत काम करता है। यह बड़ी बुरी बात है और प्रजातंत्र के लिये लज्जाजनक बात है कि सरकार व्यापारियों को बेईमान समझ कर चलती है। सरकार को चाहिये कि वह व्यापारी को ईमानदार समझे जब तक कि परिस्थितियां मजबूरन कर दें उसको बेईमान समझने के लिए। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सेल्स टैक्स मंत्री अपने साधन जुटाने के लिये सेल्स टैक्स जैसे काले विधेयक का सहारा न लें बल्कि खुले दिल से सामने आवें और जनता से, व्यापारियों से, उनको जिस तरह से सुविधा हो टैक्स के रूप में पैसा देने में, सुझाव मांगे और उन पर अमल करें। आप दुकानदार से कहते हैं कि कैश मीमो दीजिये। वह बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। परिवार का पालन करने के लिये दुकान खोले हुए हैं। कैश मीमो देने के माने वह एक नौकर रखे सौ रुपये महीने का और इस बारह सौ रुपये साल की उस पर और चपत पड़ी। इस सब से बचने के लिये वह बेईमानी करता है और दो खाते—एक नकली और दूसरा असली—रखता है। असली खाते को वह रखता है ताले के अन्दर और नकली खाता रखता है बाहर। अगर उसकी सेल सौ रुपये की हुई तो वह २५ रु० की दिखलाता है। अगर वह एसा न दिखलाये तो ईमानदारी के साथ उसको काम नहीं करने दिया जाता। आपके सेल्स टैक्स अफसर, आई० ए० एस० अफसर मजबूर करते हैं उसको बेईमानी करने के लिये। आप उसको मौका दें सही काम करने का। कोई भी आदमी मां के पेट से बेईमान नहीं पैदा होता। उसको बेईमान बनाती हैं आपकी पैदा की हुई परिस्थितियां।

आपने आदर्श प्रस्तुत किया सवा छः एकड़ का लगान माफ करके। लेकिन किसान वह नहीं चाहता था। वह खाद और बीज और पानी चाहता है। लेकिन वह सब देने की आप उदारता दिखला रहे हैं कि १५ करोड़ माफ कर दिया। जहां जरूरत नहीं वहां माफ कर दिया और यहां आप करोड़ों लगाते जा रहे हैं, तरह तरह के पचासों टैक्स लाद रहे हैं। इन टैक्सों से व्यापारियों और ट्रेडर्स को इंसेन्टिव नहीं मिलता और वह निराश होकर दूसरी जगह चले जाते हैं जहां टैक्सों का कोई पचड़ा नहीं। मेरा सुझाव है कि काटेज इंडस्ट्री पर बिल्कुल टैक्स नहीं पड़ना चाहिये। जैसा अभी तक मित्र ने कहा कि एक सूत्री टैक्स लगा दें, तो मैं भी उनसे सहमत हूं। एक सूत्री टैक्स होना चाहिये। जो छोटे व्यापारी हैं उनको आप टैक्स से मुक्ति दें तो कन्ज्यूमर्स के ऊपर जो गरीब जनता है उसके ऊपर अधिक बोझ नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, डाइरेक्ट टैक्सेशन को आप छोड़ दें और इनडाइरेक्ट टैक्सेज को ही आप लगायें। जिस प्रकार से टैक्सटाइल्स में इक्साइज ड्यूटी लगती है, जिस स्थान से कपड़ा निकलता है वहीं पर उससे एक्साइज ड्यूटी ले ली जाती है। उसी प्रकार से आप यहां पर भी इनडाइरेक्ट टैक्सेज लें और इस प्रकार का एक वातावरण बनायें कि ये छोटे व्यापारी अपना काम कर सकें। इस प्रकार से बिजनेस मैन को कोई नुकसान भी नहीं होगा, आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा और व्यापारी भी किसी तरह की बेईमानी करने की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आप इस सेल्स टैक्स को दो लाख की आमदनी पर बढ़ा रहे हैं वह नहीं बढ़े। आप एक लिमिट रखें कि इतनी आमदनी के बाद टैक्स पड़ेगा और इतने से कम पर टैक्स नहीं पड़ेगा। जो छोटे व्यापारी हैं, जो दूसरों से कर्ज लेकर अपना काम करते हैं और किसी तरह से अपना और आगे

[श्री मदनमोहन मिश्रा]

बाल बच्चों का पालनपोषण करते हैं उनको रिलीफ मिलनी चाहिये। वह उनके व्यापार करने का, रोजी कमाने का साधन है उसको रिलीफ मिलनी चाहिये। वे भी प्रदेश के नागरिक हैं और उनका जो न तो अधिक पढ़े लिखे हैं और न जिनके पास अधिक पूंजी है उनको आपको रिलीफ देने की बात पर विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर जो टैक्स लगाने की पद्धति है डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट विषय में कहना चाहता हूं। मान्यवर, अपना देश गरीब है। इनडाइरेक्ट टैक्स लगाने में सहूलियत होती है। जो विधेयक सदन के सम्मुख उपस्थित है उसके उद्देश्य और कारणों को मैंने पढ़ा है। मैं अधिक तफसील में जाना नहीं चाहता। एक बात पर आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको देखकर ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो हम टैक्स लगाते चले जाते हैं और यह टैक्स जो व्यापारी हैं, जो उत्पादन करने वाले हैं उन पर लगाया जाता है और वह टैक्स का भार अन्ततोगत्वा जन साधारण पर पड़ता है परन्तु जब यह गरीब जनता पर टैक्स कई सूत्रों में होकर पड़ता है तो वह अहसह्य हो जाता है। बड़े बड़े लोग तो इसको सहन कर लेते हैं परन्तु निर्धन जनता इस पर कराह उठती है। पूर्व वक्ता ने यह भी जिक्र किया कि ३० करोड़ रुपया इस सैल्स टैक्स का अभी भी बकाया पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में यह टैक्स वसूल किया जाता है, लगान वसूल होता है, इर्रीगेशन टैक्स वसूल होता है परन्तु कभी भी यह सुनने में नहीं आया कि इतनी बड़ी रकम उन लोगों पर जिन्हें देना है, बकाये में पड़ी हो साधारण किसान के ऊपर तो १०, २० रुपया भी अगर बाकी हो जाता है तो उसको नोटिस मिल जाती है और उसको हवालात में भेज दिया जाता है और इसके विपरीत बड़े बड़े व्यापारियों के ऊपर करोड़ों रुपया बकाये का पड़ा है और उनसे इस धन के वसूली की व्यवस्था समुचित रूप में में न होने के कारण यह रकम बकाये में पड़ी है। जब हमारे प्रदेश की डेवलपमेंट की स्थिति ठीक नहीं है तो हमको इधर और उधर जो धन पड़ा है उसको वसूल करके देश के विकास कार्यों में लगाना चाहिये। विधेयक आया, उसको पढ़ा और उसमें जो कमियां हैं उसको भी वे दूर करना चाहते हैं परन्तु इस ३० करोड़ रुपये को वसूल करने का कौन सा रास्ता है, क्या विधेयक में इस भारी रकम को वसूल करने का कोई मार्ग दिखलाया गया है? मैं ज्यादा ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु यह जरूर जानता हूं कि इस सदन में न जाने कितने वित्त मंत्री आये, सरकारें आई जो इस सदन से गुजर चुकी हैं लेकिन वह बकाये की रकम बढ़ती ही चली जाती है। मैं नहीं समझता जब एक प्रणाली बनी हुई है सुधार करने के लिये तो फिर क्यों रोग बढ़ता चला जाता है जब कि दवा होती है? आखिरकार क्या कारण है? मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इस रोग के निदान के लिये कुछ करें। आज एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, ३०—३० करोड़ रुपया बिक्री कर का बकाया पड़ा हुआ है और समुचित वसूली के लिये कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। इस बकाये के वसूली के लिये कोई उपयुक्त योजना बनाई जाये जिससे यह रुपया वसूल हो सके और उसका उपयोग ठीक ढंग से हो सके। आज ऐसे लोग फायदा उठाना चाहते हैं जो हितचिन्तक नहीं हैं, मैं विरोधी कहने में हिचकता हूं। ऐसी बड़ी रकम को वसूल करना चाहिये और वसूल करके उसका उपयोग होना चाहिये। अभी अभी आपने सवा ६ एकड़ का लगान माफ किया है और आपको करीब १५ करोड़ रुपया आय का चला गया, तो आप उस रुपये को कैसे लावेंगे?

दूसरी बात यह है कि जितना बर्डन होता है वह किसानों पर ही आता है। आये दिन यहां पर बाढ़ आती है, आये दिन सूखा पड़ता है और जो कास्ट आफ प्रोडक्शन है, जो लागत है उसका एन्क्रीजिंग रिटर्न नहीं होता डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। जो लोग यहां पर बात करते हैं

कि कौन दल प्रोग्रेसिव है और कौन मध्यम श्रेणी का है, तो अगर दल का ही प्रचार करना है तो यह सदन उसका उपयुक्त स्थान नहीं है। जो वास्तविकता है उसको देखना चाहिये कि कहां पर जंग लगी हुई है जिससे उसको दूर किया जा सके और हथियार को काम में लाया जा सके। ३० करोड़ रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। मैं तो कहता हूं कि आपका फाइनेन्स डिपार्टमेंट ही बैंकरप्ट है, जो भी विभाग के इन्चार्ज हैं और बराबर अपने को निपुण कहते चले आ रहे हैं और फाइनेन्स में माहिर हैं इसलिये उनको यह पदवी दी जाती है। जो मंत्रीगण नये-नये आते हैं और जाते हैं, जैसे-जैसे उनका तजुर्बा होता है तो उनको उस तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिये। आखिर कार इस प्रदेश को किसी तरह से तो मदद मिले। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मदद हमको मिलती नहीं, वहां भी हम उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं। आज धन हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, हम अपना रुपया ही वसूल नहीं कर पाते। अगर राजस्व विभाग का एक पैसा रह जाता है बकाये का तो उसकी जो जीविका है खेती-बाड़ी, उसकी जमीन को कुर्क कर लिया जाता है। अगर कोई किसान अपने बैलों की जोड़ी बेचता है या अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचता है तो समझना चाहिये कि कहर है। क्या कारण है जब किसान से वसूल कर सकते हैं तो . . .

श्री अध्यक्ष--

जरा संक्षेप में।

श्री रामकुमार शास्त्री--

क्या दिक्कत है बड़ी रकमों के बकायेदारों से रुपया वसूल नहीं हो सकता? आज हर व्यक्ति भिन्न-भिन्न रूप से किसानों पर आश्रित है और सभी उन्हीं के हित की बात कहता है, लेकिन किसानों का हित नहीं हो पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना है वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से क्योंकि उनके सामने भी बजट आने वाला है, शायद यह परेशानी उनके सामने आये तो जो ३० करोड़ रुपये की रकम है उसको जल्दी से जल्दी वसूल करायें तभी कुछ इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है, इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

अध्यक्ष महोदय ५ मिनट मुझे भी दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

५ मिनट ही लीजियेगा।

श्री रामलाल राही--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बिक्री-कर संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, आपने बड़ी कृपा की। मान्यवर, यह बात सही है कि टैक्स का भार अक्सर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गरीब आदमी पर ही पड़ता है। मिसाल के तौर पर जो साबुन आज बाजार में ५० पैसे का बिक रहा है। यदि उस पर २ परसेंट टैक्स बढ़ा दिया जाय तो कल वही साबुन बाजार जें आप लेने जायं तो ५२ पैसे का मिलेगा और इस प्रकार वह टैक्स, हमसे, उपभोक्ता से, लिया जाता है, गरीब आदमी पर ही उसका भार पड़ता है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे हर टैक्स का जिसका भार गरीब आदमी पर पड़ता हो सख्त विरोध करना चाहिये, सदन के प्रत्येक सदस्य को, और इसी भावना के वशीभूत मैं इस टैक्स विधेयक का विरोध कर रहा हूं सरकार को अगर इनकम बढ़ानी है अपने साधन जुटाने ही हैं तो और भी तरीके हो सकते हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर वह टैक्स लगाये, हैसियत टैक्स लगाये और उसे दुगुना, तिगुना और चार गुना कर दे, उस टैक्स से भी सरकारें चलाई जा सकती हैं योजनायें चलाई जा सकती हैं लेकिन टैक्स का भार गरीब जनता पर पड़ता चला जाय, यह मुनासिब नहीं है।

[श्री रामलाल राही]

सीतापुर में मूंगफली का प्रमुख व्यवसाय होता है वहां इसकी प्रमुख मंडी है। आज से दो साल पहले मूंगफली के तेल पर सेल्स टैक्स एक प्रतिशत था लेकिन उसी समय वनस्पति उद्योग पर से तो बिक्री कर माफ कर दिया गया, लेकिन लगभग १०० मिलें, जो बहुत छोटी-छोटी मिलें मूंगफली के तेल की हैं उन पर से माफ नहीं किया गया। किसी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया और इस सरकार ने तो मूंगफली के तेल के जो उत्पादक हैं उन पर १ प्रतिशत के बजाय ३ प्रतिशत टैक्स कर दिया है। आज हालत यह हो गयी है कि १०० मिलों म से लगभग ५० मिलें बन्द हो गयी हैं। इन छोटी मिलों का तेल सीधे वनस्पति उद्योग की मिलों को नहीं पहुंचता है क्योंकि वे थोड़ा तेल पैदा करती ह, उतना माल ट्रक से नहीं भेजा जा सकता। तो जो स्थानीय व्यापारी हैं, उनके हाथ उसे बेंचना पड़ता है, स्थानीय व्यापारी वह माल खरीदता है तो टैक्स पेड माल खरीदता है और उसे वह वनस्पति उद्योग को बेंच देता है और वनस्पति उद्योग वाला उसे बिना टैक्स खरीदता है। इससे छोटा व्यापारी परेशान है। मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस स्थिति पर विचार करें और मूंगफली के तेल पर १ प्रतिशत टैक्स को ही बरकरार रखें, दो प्रतिशत बढ़े हुए टैक्स को माफ करें, हटा लें। यही नहीं मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि यदि टैक्स लगाना ही है तो वनस्पति उद्योग पर भी आप टैक्स लगा दीजिये। जितना टैक्स आपको अभी मिलता है सरकार की काफी इन्कम इन वनस्पति उद्योगों पर भी टैक्स लगाने से हो जायेगी। अतः माननीय मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे यहां जो मूंगफली के तेल का व्यवसाय है वह चौपट सा हो रहा है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हुआ।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक जो मैंने प्रस्तुत किया है उसक सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनके लिये उनका मैं अनुग्रहीत हूं। इनमें से कुछ विचार तो ऐसे ह जो इस विधेयक का हिस्सा नहीं बनाये जा सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कुछ कठिनाइयों के विषय में जो कि हमारे सामने आई थी, एक दूसरा विधेयक जिसको कि कम्प्रीहेंसिव कह सकते हैं उसमें उन्हें समाविष्ट करने की कोशिश की जायेगी। माननीय सदस्यों के अन्य विचारों को भी जिन्होंने यहां पर न कहा हो अथवा जिनको इसके सम्बन्ध में बोलने का अवसर न मिला हो, मैं उनके विचारों का स्वागत करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि व मुझे परामर्श दें जिससे कि कठिनाइयों को दूर किया जा सके तथा जिससे कि करवंचना को रोका जा सके।

श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने जैसा कि विशेष कर माननीय सम्मानित साथी शास्त्री जी ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उनके साथ अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि बड़े बड़े आदमियों के ऊपर जो धनराशि बकाया है वह नहीं रहनी चाहिए उसकी वसूलयाबी होनी चाहिए। श्रीमन्, मैं पूर्णतया उनकी इस बात से सहमत हूं और केवल इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो बकाया धनराशि पूछने पर इस माननीय सदन के सामने रखी जाती है उसके कई हिस्से होते हैं। उसमें कुछ बकाया ऐसे भी होते हैं जो कि सम्भवतः वसूल कभी होंगे ही नहीं और जिसको कि बट्टे खाते में डालना पड़ता है किन्तु बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया शासन की लम्बी होती है क्योंकि जब तक कि कई तरफ से उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट न आ जाय कि वास्तव में किसी भी रूप में वह धनराशि वसूल होने के योग्य नहीं है तभी उसको बट्टे-खाते में डाला जाता है। उसमें वह धनराशि भी शामिल होती है जो किसी न्यायालय के द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी रोक दी जाती है कि उसका भुगतान अब न हो। इसके अतिरिक्त उसमें वह धनराशि भी सम्मिलित होती है जिसमें किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है और वह धनराशि भी शामिल होती है जो देनदार है, दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में बोलें क्योंकि इसे साढ़े तीन बजे पास करना है।

श्री कैलाश प्रकाश--

अन्त में श्रीमन्, इतना ही कर रहा था कि जो देनदार हैं, दे सकते हैं और नहीं द रहे हैं उनसे वसूल करने का पूरा प्रयास किया जायगा और माल विभाग क द्वारा वह वसूली इसी तरीके से की जाती है जिस तरीके से मालगुजारी वसूल की जाती है। श्रीमन्, एक सुझाव यह दिया गया कि एकसूत्रीय टैक्स लगाया जाय। छोटे लोगों को दिक्कत होती है, मैं इस बात को महसूस करता हूं और वाकई काफी लोग ऐसे हैं विशेषकर व्यापार करने वाले, जो हिसाब किताब नहीं रख सकते। इसीलिये यह रखा गया है कि १२ हजार तक जिसका व्यापार हो यानी एक हजार रुपया महीना तक जिसका व्यापार हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी ऐसी चेष्टा की जाती है कि लोगों को कोई परेशानी न हो।

जहां तक प्रवर समिति के सुझाव की बात है, मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं। उसका विशेष कारण यह है कि जो अध्यादेश इस आशय का है वह अध्यादेश इस सदन के बैठन के ६ हफ्ते के बाद समाप्त हो जायगा। इसलिये अब इतना समय रह नहीं जायगा कि प्रवर समिति उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सके। इसलिये मैं प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रस्तावक महोदय इस पर बल न दें। हमारी सहानुभूति छोटे काम करने वालों से है और उनका हम ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३ मास के अन्दर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे। समिति को परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २]

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई० की धारा ३-च का संशोधन

२--उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३-च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

ऐक्ट सं० ७४, १९५६ कतिपय व्यापारियों पर अतिरिक्त कर

"३—च—प्रत्येक व्यापारी, जो धारा ३, धारा ३—क, धारा ३—कक या धारा ३—घ के अधीन कर का देनदार हो, और जिसका किसी कर-निर्धारण वष में क्रय या विक्रय अथवा दोनों का कुल विक्रय-धन दो लाख रुपये से अधिक हो, उक्त कर के अतिरिक्त, उस कर -निर्धारण वर्ष के लिये अपने कर-योग्य विक्रय-धन पर पच्चीस पैसे प्रति सौ रुपये की दर से अतिरिक्त कर देगा:

प्रतिबन्ध यह है कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ में यथा-परिभाषित डिक्लेयड गुड्स (घोषित माल) की दशा में—

(क) यदि उक्त धाराओं के अधीन देय कर उक्त ऐक्ट की धारा १५ के अधीन अनुज्ञय कर की अधिकतम धनराशि के बराबर हो तो इस धारा के अधीन कोई अतिरिक्त कर देय नहीं होगा;

(ख) यदि इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर और उक्त धाराओं के अधीन देय कर मिला कर उक्त ऐक्ट की धारा १५ के अधीन अनुज्ञेय कर की अधिकतम धनराशि से अधिक हो जाय तो अतिरिक्त कर की धनराशि घटा कर उतनी ही जायगी जो उपर्युक्त प्रकार से देय कर को मिला कर उक्त अधिकतम धनराशि के बराबर हो:

अतग्रेर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर निर्धारण वर्ष की दशा में जो इस धारा के प्रवर्तन के पूर्व प्रारम्भ हुआ हो, यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का देनदार है या नहीं, ऐसे सम्पूर्ण कर-निर्धारण वर्ष के विक्रय-धन की गणना की जायगी किन्तु अतिरिक्त कर विक्रय-धन के केवल उस भाग क संबंध म दय होगा जिसका संबंध इस धारा के प्रारम्भ होन के पश्चात की अवधि से हो।

स्पष्टीकरण—यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि व्यापारी इस धारा के अधीन अतिरिक्त कर का दनदार है या नहीं, उसका ऐसे माल के संबंध में, जो धारा ४ क अधीन कर स मुक्त हो, विक्रय-धन भी सम्मिलित किया जायगा।"

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—"खंड २ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा ३—च की पंक्ति ३ में शब्द 'अथवा दोनों का कुल' के बाद शब्द 'कर योग्य' जोड़ दिया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह २ लाख की जो कुल बिक्री ह, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। इस दो लाख में ऐसा माल भी आ जाता है जिस पर टैक्स लगता है और वह भी आ जाते हैं जिन पर नहीं लगता। इस दो लाख में मंत्री जी केवल उसी माल को रखें जिन पर टैक्स लगता हो, बाकी माल पर कर न लगायें। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री कैलाश प्रकाश—

माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसको मानने में कठिनाई मालूम पड़ती है। एक तो व्यावहारिक कठिनाई भी है। दूसरे यह जो टैक्स लगाया गया है वह संसाधनों को बढ़ाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये ही लगाया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बात को तथा व्यावहारिक बात को नजर में रखते हुए माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर---

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कठिनाइयां बताई हैं और काम्प्रीहेंसिव बिल लायेंगे तब इसका ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

धारा ८ का संशोधन

३---मूल अधिनियम की धारा ८ में---

(१) उपधारा (१) में शब्द "ऐसे ढंग से तथा ऐसी किस्तों में, यदि कोई हों, तथा एस समय के भीतर जो कर निर्धारण और मांग की नोटिस की तारीख के पश्चात १५ दिन से कम न होगा" के स्थान पर शब्द "कर-निर्धारण और मांग की नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर और ऐसी रीति से" रख दिये जायें;

(२) उपधारा (४) में शब्द "या नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिये समय बढ़ा सकता है" निकाल दिये जायें;

(३) उपधारा (८) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से इस प्रकार बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्---

(९) उपधारा (१) और (१-क) में दी गयी किसी बात के होते हुए और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आज्ञा के होते हुए भी, यदि कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी व्यापारी पर इस ऐक्ट के अधीन किसी कर या अन्य देयों के संबंध में कर-निर्धारण और मांग की कोई नोटिस तामील की जाय और ऐसे कर या देयों के सम्बन्ध में अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की जाय तो---

(क) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरुप ऐसे कर या अन्य देयों की धनराशि बढ़ा दी जाय तो कर- निर्धारक अधिकारी व्यापारी पर केवल उतनी धनराशि के संबंध में, जितनी धनराशि की ऐसे कर या अन्य देयों में वृद्धि की जाय, एक नयी नोटिस तामील करेगा, और ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के निस्तारण के पूर्व उस पर पहले से ही तामील की गयी नोटिस में निर्दिष्ट धनराशि से संबंधित कोई कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रक्खी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण किये जाने के ठीक पूर्व रही हो;

(ख) यदि ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरुप एसे कर या अन्य देयों की धनराशि कम कर दी जाय तो—

(१) कर-निर्धारक अधिकारी को व्यापारी पर नयी नोटिस तामील करना आवश्यक न होगा;

(२) यदि वसूली की कोई कार्यवाही विचाराधीन हो तो कर-निर्धारक अधिकारी ऐसी कमी किये जाने के तथ्य की सूचना कलक्टर को देगा जो तदुपरान्त केवल कम की गई धनराशि की वसूली के लिये काय वाही करेगा; और

(३) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही का, जिसक अन्तगत वसूली की कोई कार्यवाही भी है. निस्तारण किये जाने के पूर्व व्यापारी पर तामील की गयी नोटिस या नोटिसों के आधार पर प्रारम्भ की गयी कोई कार्यवाही इस प्रकार कम की गई धनराशि के संबंध में उस प्रक्रम से जारी रक्खी जा सकती है जिस प्रक्रम पर वह ऐसे निस्तारण के ठीक पूर्व रही हो;

(ग) किसी ऐसे मामले में, जिसमें कर या अन्य देयों की धनराशि में ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही के परिणाम स्वरूप कोई भिन्नता न हो, नयी नोटिस की आवश्यकता न होगी।"

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द "रख दिये जायं" के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि सहायक आयुक्त (प्रशासन) को यह अधिकार होगा कि वह स्वविवेक से नोटिस के अनुसरण में किसी धनराशि के भुगतान के लिये उचित समय बढ़ा सकेगा।"

अध्यक्ष जी, इसमें ३० दिन का समय रखा गया है। कभी ऐसा होता है कि जिस पर कर निर्धारित होता ह, जो नोटिस दिया जाता है उसमें उसके पास इतनी धनराशि नहीं होती इस लिये यह रखा गया है कि सहायक आयुक्त समय बढ़ा सके और यह बड़ा उपयोगी और रीजनेबिल है और हम समझते ह कि मंत्री जी इसको मान लेंगे। केवल सहायक आयुक्त को अधिकार देते हैं कि यदि वे उचित समझें तो बढ़ा सकें।

श्री कैलाश प्रकाश—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका आदर करता हूं। उनकी भावना यह ह कि छोटे छोटे लोग १५ दिन में रुपये की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं जो उनसे वसूल किया जाय। हमने १५ दिन के बजाय ३० दिन कर दिया है। इसके बाद रेवेन्यू के तरीके से वसूल करने की कोशिश की जाय। वह इस अवधि को बढ़ाना चाहते हैं कि आयुक्त को अधिकार दे दिया जाय। इसमें व्यवहारिक कठिनाई यह मालूम होती है कि आयुक्त हर जगह पर नहीं हैं, वे ज्यादातर हैड क्वार्टर पर हैं और १५—२० दिन के लिये

उसको वहां जाने में दिक्कत होगी। जिस रूप में यह संशोधन है उस रूप में नहीं हो सकता है क्योंकि माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि जब टैक्स लग जाय तो वह जल्द से जल्द वसूल हो जाय। अगर किसी अधिकारी को यह अधिकार मिल जाय कि जितने दिन के लिये वह चाहे कर रोक दे तो इस स्तर पर जिसकी चर्चा इस संशोधन में है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हां, माननीय सदस्य की भावना को सामने रख कर ऐसा किया जायेगा कि ऐसे लोगों पर अधिक सख्ती न हो जाय। ३० दिन के बाद अगर सही कारण हों तो १०-५ दिन मिल सकेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी--

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि छोटे करदाताओं पर सख्ती नहीं की जायेगी और उनको समय दे दिया जायेगा तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

अब खंड ३ में कोई और संशोधन नहीं है इसलिये मैं उसे पेश करता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

धारा ९ का संशोधन

४--मूल अधिनियम की धारा ९ में--

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय,

अर्थात्--

(१) कोई व्यापारी जिसे कर-निर्धारक अधिकारी द्वारा दी गई, धारा १०-क में उल्लिखित आज्ञा स भिन्न, किसी आज्ञा पर आपत्ति हो, आज्ञा की प्रतिलिपि तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि इस ऐक्ट के अधीन किसी कर-निर्धारण आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि अपीलकर्त्ता कम से कम निम्नलिखित धनराशि के भुगतान किये जाने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे--

(क) यदि विवरणी प्रस्तुत की जाय, तो अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी में या बाद में कर-निर्धारक अधिकारी क समक्ष कार्यवाहियों में, जो भी अधिक हो, स्वीकार किये गये, यथा-स्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट के अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या

(ख) यदि कोई विवरणी प्रस्तुत न की जाय, तो कर-निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों में किसी प्रक्रम पर स्वीकार किय गये, यथा स्थिति, क्रय-धन या विक्रय-धन पर इस ऐक्ट क अधीन देय कर या शुल्क की धनराशि, या निर्धारित कर या शुल्क की धनराशि का २० प्रतिशत, जो भी अधिक हो:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील सुनने वाला अधिकारी, विशिष्ट एवं यथेष्ट कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, पूर्ववर्ती परन्तुक के

खंड (ख) की अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है।"

(२) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्—

"(३) अपील सुनने वाला अधिकारी, अपीलकर्त्ता तथा बिक्री कर कमिश्नर को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्—

(क) कर निर्धारण या अर्थ-दण्ड की किसी आज्ञा की दशा में—

(१) कर-निर्धारण या अर्थ दण्ड अथवा दोनों की पुष्टि कर सकता है, उसको कम कर सकता है, बढ़ा सकता है अथवा उसका अभिशून्यन कर सकता है, या

(२) आज्ञा को रद्द कर सकता है और कर-निर्धारक अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे, या

(ख) किसी अन्य आज्ञा की दशामें, ऐसी आज्ञा की पुष्टि कर सकता है, उसको निरस्त अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है।

(३-क) अपील सुनने वाले अधिकारी को अपीलकर्त्ता द्वारा अपीलाधीन किसी आदेश के अधीन देय कर, शुल्क अथवाअर्थ दंड की किसी धनराशि की वसूली को स्थगित करने का अधिकार न होगा।

श्री अध्यक्ष—

खंड ४ के ऊपर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

धारा १० का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

पुनरीक्षण

"१०—(१) राज्य सरकार उन व्यक्तियों में से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये अर्ह हों, एक पुनरीक्षण अधिकारी और उतने अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी जो वह उचित समझे, नियुक्त करेगी।

(२) कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वारा दी गय किसी आज्ञा से क्षुब्ध बिक्री कर कमिश्नर के, या अपील सुनने वाले अधिकारी द्वार दी गयी किसी आज्ञा से, जो धारा १० में उल्लिखित आज्ञा न हो, क्षुब्ध किसी अन्य

व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी स्वविवेक से, ऐसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ संगत अभिलेख मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात और ऐसी अग्रेतर जांच यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात्—

(क) ऐसी आज्ञा की पुष्टि, उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन कर सकता है, या

(ख) आज्ञा को रद्द कर सकता है, और यथास्थिति, कर-निर्धारक अधिकारी या अपील सुनने वाले अधिकारी को यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात जो निर्दिष्ट की जाय, फिर से आज्ञा दे।

(३) किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का क्षेत्राधिकार ऐसे क्षेत्रों या वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण अधिकारी अपने समक्ष विचाराधीन कोई मामला या किसी वर्ग के मामले को किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है, और इसी प्रकार किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी क समक्ष विचाराधीन किसी मामले को किसी अन्य अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को या अपने पास हस्तान्तरित कर सकता है।

(४) पुनरीक्षण अधिकारी या कोई अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर, बिक्री-कर कमिश्नर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण विचाराधीन हो, अधीन व्यापारी द्वारा देय कर, शुल्क या अर्थदण्ड की किसी धनराशि की वसूली को स्थगित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई-प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक कि व्यापारी धारा ९ के अधीन उसके द्वारा जमा किये जाने क लिय अपक्षित कर या शुल्क की धनराशि के अतिरिक्त कर, शुल्क या अर्थ-डण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि की कम से कम आधी धनराशि का भुगतान करने का संतोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत न कर दे:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि, यथा स्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी अथवा अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी, विशिष्ट एवं यथष्ट कारणों स जो अभिलिखित किये जायेंगे, पूर्ववर्ती परन्तुक की कर, शुल्क या अर्थ-दण्ड की विवाद-ग्रस्त धनराशि से संबंधित अपेक्षाओं से छूट दे सकता है अथवा उन्हें शिथिल कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कोई स्थगन आज्ञा उसके दिये जाने के पश्चात् साठ दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त न रहेगी जब तक कि इस बीच प्रार्थी ने उस धनराशि के भुगतान के लिए, जिसकी वसूली स्थगित की गयी हो, कर-निर्धारक अधिकारी के सन्तोषानुसार प्रतिभूति न दे दी हो।

(५) उपधारा (२) या उपधारा (४) के अधीन दी गयी आज्ञा की प्रतिलिपि प्रार्थी तथा विरुद्ध पक्ष में स प्रत्येक पर तामील की जायगी।

(६) उपधारा (२) के अधीन कोई प्रार्थना-पत्र उस आज्ञा के तामील किये जाने के दिनांक स, जिसके विरुद्ध असंतोष प्रकट किया गया हो, एक वष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि के पश्चात् प्रार्थना-पत्र ग्रहण किया जा सकता है यदि प्रार्थी, यथास्थिति, पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी का यह समाधान कर दें कि उक्त अवधि के भीतर प्रार्थना-पत्र न दिये जाने का पर्याप्त कारण था।

(७) यदि निर्धारित कर, लगाये गये शुल्क या आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि उपधारा (२) के अधीन पुनरीक्षण अधिकारी या अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा कम कर दी जाय तो वह कर, शुल्क या अर्थदण्ड की अधिक धनराशि को, यदि वह पहले ही से वसूल कर ली गयी हो, वापस करने की आज्ञा देगा।"

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

संशोधन श्री सुरेन्द्र विक्रम जी का है। क्या उन्होंने आपको अनुमति दे रखी है ?

श्री रामगोपाल संड—

जी हां। मैं प्रस्ताव करता हुं कि "खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (४) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड की पंक्ति ३ में शब्द 'शुल्क की धनराशि' के बाद शब्द 'के अतिरिक्त कर, शुल्क या अर्थदन्ड की विवादग्रस्त धनराशि की कम से कम आधी धनराशि' निकाल दिये जायं।"

पहले मैं मान्यवर, मंत्री जी से इस विषय में मिला भी था और मैंने इलाहाबाद के और अन्य नगरों के छोटे व्यापारियों की भावना से अवगत भी कराया था। मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया था कि छोटे व्यापारी पर अगर १० हजार बिक्री-कर लग गया तो ५० हजार वह नहीं जमा कर पायेगा। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस धारा को निकाल दें अथवा उसमें २५ प्रतिशत धनराशि का समावेश कर लें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री कलाश प्रकाश—

यह सही बात है कि कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिले थे और उन्होंने कुछ बातें मेरे सामन रखीं जिससे प्रतीत होता था कि छोटे व्यापारियों और छोट लोगों के साथ कुछ कठिनाई होगी जो कि मौजूदा विधेयक म है। यहां तक तो मैं स्वीकार कर सकता हूं कि आधे के बजाय एक-तिहाई रखा जाय जैसा कि सुरेन्द्र विक्रम जी के संशोधन में है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा कि चौथाई कर दें, वह मुझको स्वीकार नहीं है। मैं यही निवेदन करूंगा कि जो सुरेन्द्र विक्रम जी के संशोधन की भाषा है माननीय सदस्य उसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन किसी ने पेश नहीं किया उसको।

(इस बीच श्री सुरेन्द्र विक्रम सदन में आ गये और अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुये।)

श्री अध्यक्ष--

(श्री सुरेन्द्र विक्रम से) आप जरा ठहरिये । (श्री रामगोपाल संड से) आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री रामगोपाल संड--

जी हां, मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (४) के प्रथम परन्तुक की अंतिम पंक्ति में शब्द "कम से कम" तथा शब्द "धनराशि" के बीच में शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "एक-तिहाई" रख दिया जाय ।

श्री कैलाश प्रकाश--

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (४) के प्रथम परन्तुक की अंतिम पंक्ति में शब्द "कमसे कम" तथा शब्द "धनराशि" के बीच में शब्द "आधी" के स्थान पर शब्द "एक-तिहाई" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरिनाथ तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (४) के तीसरे प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "पश्चात्" के बाद शब्द "साठ दिन" के स्थान पर शब्द "नब्बे दिन" रख दिये जायं ।

मान्यवर, ६० दिन का समय बहुत कम है । इसलिये मैंने यह रखा है कि थोड़ा सा समय और बढ़ा दिया जाय--बजाय ६० के ९० दिन कर दिये जायं । इसमें कोई कठिनाई अधिकारियों को नहीं होगी बल्कि करदाताओं को सहूलियत मिल जायेगी ।

श्री कैलाश प्रकाश--

इस संशोधन को मुझे स्वीकार करने में कठिनाई है । मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी काम में अवधि आवश्यकता से अत्यधिक बढ़ा दी जाती है तो वह भी नुकसानदेह होती है । इसलिये ६० दिन की सीमा ठीक है ।

श्री हरिनाथ तिवारी--

मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

नयी धारा १०-क का बढ़ाया जाना

६——मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढा दी जाय, अर्थात्——

"१०-क——निम्नलिखित के विरुद्ध न तो कोई अपील की जायगी और न पुनरीक्षण के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया जायगा:——

(क) धारा ७ या धारा २१ के अधीन कोई आज्ञा या नोटिस जिसमें कर-निर्धारण या पुन: कर-निर्धारण के निमित्त कोई जांच प्रारम्भ की जाय, या

आज्ञायें जिनके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जायगा ।

(ख) धारा १३ या धारा १३-क के अधीन कोई आज्ञा ।"

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७—८

धारा १३-का संशोधन

७——मूल अधिनियम की धारा १३ में——

(१) उपधारा (२) में शब्द व कामा "श्रेणी के न हों" और शब्द "निरीक्षण" के बीच शब्द "तलाशी लेने और" रख दिये जायं,

(२) उपधारा (४) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्——

"प्रतिबन्ध यह है कि——

(१) किसी आवासिक स्थान में (जो व्यापार-एवं-निवास-स्थान न हो) ऐसे अधिकारी द्वारा, सिवाय उस क्षेत्र पर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गय तलाशी वारंट के प्राधिकार से, न तो प्रवेश किया जायेगा, न उसका निरीक्षण किया जायगा और न उसकी तलाशी ली जायगी, और

१८९८ का अधिनियम ५

(२) इस धारा के अधीन किसी प्रकार प्रवेश करने, तलाशी लेने या निरीक्षण करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२, १०३ और १६५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी के संबंध में लागू होते हैं ।

धारा १३-क का संशोधन

८——मूल अधिनियम की धारा १३-क में, उपधारा (२) से (४) तक के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्——

"(२) तत्पश्चात् ऐसा अधिकारी अभिगृहीत माल को किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने को सुनिश्चित करने और इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करेगा ।"

श्री मोहन लाल कपूर--

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) में परन्तु क के खंड (१) में शब्द "किसी आवासिक स्थान में" के बाद कोष्ठक व शब्द (जो व्यापार एवं निवास स्थान न हो) निकाल दिये जायं ।

अध्यक्ष महोदय, कर अधिकारी जिस समय तलाशी लेने जाते हैं तो दुकान पर जो उनके व्यापार की होती है उनकी तलाशी ले लें परन्तु बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर दुकान है और दुकान के ऊपर निवास स्थान है । अगर अधिकारी को आपने अधिकार दे दिया तो दुकान के साथ-साथ वह आवास की भी तलाशी ले सकेगा । तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार आपके डिपार्टमेंट में बहुत बढ़ जायगा । इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि केवल जो दुकान का आवास हो वहीं तलाशी ली जा सके और निवास स्थान की नहीं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें ।

श्री कैलाश प्रकाश--

माननीय प्रस्तावक महोदय न देखा होगा कि जो विधेयक है उसमें विशेष रूप से यह बात कह दी गई है कि आवास के लिये उसको वारन्ट लेना पड़ेगा । जैसा कि व्यापार, व्यवसाय या उद्योग जो होते हैं उनका तीन हिस्सों में वर्गीकरण किया जा सकता है । एक तो वह जहां केवल कारोबार होता है । दूसरे वह जहां केवल आवास है । तीसरे वह हैं जहां पर आवास भी है और कारोबार भी है । जब इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती है कि निरीक्षण होना चाहिये या कोई जांच पड़ताल होनी चाहिये तो आवास को छोड़ देना चाहिये लेकिन जहां पर कारोबार भी होता है और आवास में लोग रहते भी हैं और ऐसी जगह को छोड़ दिया जाय तो संभावना यह भी है कि जहां पर कारोबार होता हो वहां पर आवास रहने का बना लिया जाय । यह बात अच्छी नहीं है और इसलिये इस चीज को शामिल नहीं किया गया है और इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री मोहनलाल कपूर--

मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री हरिनाथ तिवारी--

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) में परन्तुक के खंड (१) के शब्द "तलाशी ली जायगी" के बाद चिन्ह व शब्द; "और" के पहले निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :

"प्रतिन्बध यह है कि उपरोक्त अधिकारी को संबंधित अधिकार क्षेत्र रखने वाले मैजिस्ट्रेट के सम्मुख तलाशी वारन्ट प्राप्त करने के लिये समुचित कारण प्रस्तुत करने होंगे एवं शिकायत करने वाले का शपथ-पत्र आवश्यक होगा ।

श्रीमन्, इसमें हमने शपथ-पत्र इसलिये रखा है कि बहुत से लोग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और वह अधिकारियों को इत्तिला देते हैं कि उनके पास सामान है और तलाशी ली जाय, ऐसा वह दुश्मनी में बेइज्जती कराने के लिये करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि माल कोई बरामद नहीं होता । अगर ऐसे लोगों को शपथ-पत्र से बांध दिया जाय तो उस पर ऐसा करने पर अगर माल नहीं निकलता है तो कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकती है । इसलिये शपथ-पत्र का रखना आवश्यक है ।

श्री कैलाश प्रकाश--

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा धारा ७ के परन्तुक की उपधारा (२) पर, उसमें दिया है कि "इस धारा के अधीन किसी प्रकार प्रवेश करने, तलाशी लेने

[श्री कैलाश प्रकाश]

या निरीक्षण करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ की धारा १०२,१०३ और १६५ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार से उक्त संहिता के अधीन किसी तलाशी के संबंध में लागू होते हैं।"

यह तो एक सुविधा की बात है कि जो पहले उपलब्ध नहीं थी । दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार तो उसे काम करना ही होगा । इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी--

यदि मंत्री जी को आपत्ति है तो मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९-१२

धारा १४ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १४ में, उप-धारा (२) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"(खख) ऐसा माल रखे जिसका लेखा उसके द्वारा व्यापारी के रूप में व्यापार के दौरान रखे गये लेखों या रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो, अथवा"

१०--मूल अधिनियम की धारा १५ में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(खख) जो उस दशा में जब अपराध जान बूझकर ऐसे माल को रखने के संबंध में हो जिसका लेखा व्यापारी द्वारा अपने व्यापार के दौरान रखे गय लेखों या रजिस्टरों या अन्य लेख्यों में न रखा गया हो, उसके संबंध में देय कर की धनराशि के अतिरिक्त उसकी दो-गुनी धनराशि से अधिक न हो:--"

धारा २९ का संशोधन

११--मूल अधिनियम की धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

"२९--कर-निर्धारक अधिकारी इस ऐक्ट के अधीन व्यापारी द्वारा देय अधिक भुगतान किये गये किसी कर शुल्क या अन्य देय धनराशियों को उसे, निर्धारित रीति से, वापस कर देगा :

धनराशि की वापसी

प्रतिबन्ध यह है कि वापस करने योग्य पाई गई धनराशि प्रथमतः व्यापारी द्वारा देय अवशिष्ट कर या किसी अन्य धनराशि के प्रति समायोजित की जायेगी और केवल शेष धनराशि, यदि कोई हो, वापस की जायेगी।"

मध्य देश संख्या १४, १९७० के अध्याय २ तथा अध्यादेश संख्या २०, १९७० का निरसन

१२--उत्तर प्रदेश कर तथा शुल्क विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अध्याय २ तथा उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९,१०,११ और १२ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट,१९४८ ई० का अग्रेतर संशोधन कबने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम १९७० कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कैलाश प्रकाश--

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने अपने विचार इस विधेयक पर प्रकट किये हैं और विशेषकर उनका भी मैं अनुग्रहीत हूं जिन्होंने अपने संशोधन यहां रखे और मेरी बात सुनकर, मुझ पर कृपा करके उनमें से बहुत से संशोधन उन्होंने वापस ले लिये । जो मैं स्वीकार कर सकता था उन को मैंने स्वीकार कर किया है । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (क्रमागत्)

श्री अध्यक्ष--

यहां पर सदन में समय के बांटने के बारे में अपने सुझाव रखे थे कि हर एक विधेयक पर कितने समय तक विचार होगा । गन्ने वाले विधेयक को आपने पुनर्विचार के लिये भेज दिया और यह कहा कि इस विधेयक पर कम से कम २ घंटा चर्चा होनी चाहिये । कार्य मत्रणा समिति के पूर्व निश्चयानुसार उसके लिये पौन घंटे का समय निश्चित हुआ था । इसलिये इस पर कार्य मंत्रणा समिति ने फिर विचार किया और यह तय हुआ कि ४ बजे मैं नियम ५१ की सूचना दे दूंगा फिर ४ बजे से लेकर ६ बजे तक इस गन्ने वाले विधेयक पर विचार होगा । इसका मतलब यह है कि जो रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० और बिष्ट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० है, जिन पर १५-१५ मिनट का समय निश्चित था, ये ६ बजे के उपरान्त लिये जायंगे तो इस प्रकार सदन साढ़े ६ बजे तक चलेगा । सदन को यह मैं सूचना दे रहा हूं । अब इस पर कार्य-मंत्रणा समिति के निर्णय के बारे में प्रस्ताव आयेगा ।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने सदन के कार्यक्रम के बारे में जो सिफारिशें की हैं, उनको स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन का जो कार्यक्रम निश्चित हुआ है, उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना देता हूं । माननीय भानु प्रताप सिंह, सुरेंद्र विक्रम और माननीय चेतराम गंगवार जी ने एक सूचना दी है उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और वह नियम ५१ के अन्तर्गत कल ली जायगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मैंने भी दी थी ?

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि आपने भी दी हो । यह बरेली मिशन अस्पताल के डा० कुठार द्वारा महात्मा गांधी के चित्र का अपमान करने के संबंध में है । इस तरह की चीज हुयी है । तो मैंने इसको सबसे महत्वपूर्ण समझकर स्वीकार किया है । बाकियों को स्वीकार नहीं किया है ।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

दफा ५२ में मैंने भी एक सूचना दी थी कि सिटी मांटेसरी स्कूलों में बड़ा भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज है और रिकार्ड सीज किये गये हैं लेकिन उस मामले को दबा दिया गया है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी और सदन के माननीय सदस्य ऐसे गलत कार्यों से संबंधित हैं, मेरा निवेदन है कि उसके लिये आप समय दें ताकि सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके ।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में इस समय सूचना नहीं दी जाती है । नियम ५२ में जो सूचना आती है, उसके बारे में माननीय मंत्री से पूछना होता है कि वे उस पर समय दें । अगर उसके लिये राजी होते हैं तो समय दे दिया जाता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

श्रीमन् जो केंद्रीय सरकार का निश्चय हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे एक घंटे की बहस के लिये स्वीकार कर लिया है ।

चौधरी वीरेंद्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतापुर जिले के तरसावां ग्राम, थाना मिश्रिख के बारे में मने भी एक सूचना दी थी जिसमें मैंने निवेदन किया था कि इस ग्राम में हरिजनों क यहां पर डाका

डाला गया, उनके घरों को जला दिया गया और एक औरत को भी जला दिया गया है, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

आज तो मैंने एक स्वीकार कर लिया है, आप कल दीजिये ?

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

श्रीमन, देवरिया के कोआपरेटिव बैंक के चुनाव के सम्बन्ध में आपने आध घंटे की स्वीकृति चर्चा के लिये दी थी मैं यह जानना चाहूंगा कि वह आध घंटे कब से लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं वह आ गया होगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, वह दफा ५३ के अन्दर मंजूर किया है...

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणां समिति का काम यह है कि बिलों के बारे में तय करे। उसके बाद जो कार्यक्रम आयेगा उस पर मैं देखूंगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

क्या इसे साढ़े छः बजे के बाद ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

साढ़े छः बजे तक विधेयक चलेंगे। उसके बाद ५१ और ५२ के आज के चर्चा के विषय लिये जायेंगे।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, नियम ५१ की सूचना पहले लेनी चाहिये जिससे सरकार के कारनामों को ऊपर बैठे हुए बन्धु भी सुनें।

चौधरी वीरेन्द्र कुमार--

अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५१ में एक सूचना दी है। वह आपके पास पहुंच गई है या नहीं पहुंच गई है ? सीतापुर में हरिजनों के यहां डकैती पड़ी है, हरिजनों का मामला है।

श्री अध्यक्ष--

सब से महत्व का जो था वह मैंने ले लिया हैं। मुझे याद नहीं है। आप फिर से कल दे दीजिये।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० के अननुमोदन का प्रस्ताव तथा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० †

श्री अध्यक्ष--

अब आइटम नं० १४ का उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन का प्रस्ताव आयेगा और उसक बाद मुख्य मंत्री जी का जो

† २१ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अध्यक्ष]

विचार करने का प्रस्ताव है उस पर साथ-साथ चर्चा होगी। उसकी मैंने इजाजत दे दी है ताकि विचार करने के लिये बिल आ जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हमने यह कहा था कि जब अननुमोदन का प्रस्ताव आयेगा तब अननुमोदन को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद बिल को। विचार साथ साथ करेंगे। यद्यपि हम सहमत नहीं थे फिर भी आपकी रूलिंग हमने मान ली थी। अननुमोदन पहले आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

दोनों साथ नहीं आयेंगे।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—.

हमारा अननुमोदन पहले आये और उसके बाद बिल आये।

श्री अध्यक्ष—

उपस्थित कर दें फिर बात हो सकती है। इसमें मैं यह देखूंगा कि जो अध्यादेश आया था उससे बहुत अन्तर है तो मैं एक साथ नहीं लूंगा विचार करने के लिये। हालांकि केन्द्र में लिया जाता है, वहां पर प्रथा दूसरी है। यहां पहले हो चुका है लेकिन यहां उस वक्त लिया गया जिस वक्त बहुत अन्तर नहीं होता है। जहां पर दोनों में फर्क ज्यादा होता है, वहां दोनों साथ-साथ नहीं लिये जाते हैं। यहां इन दोनों में मैंने देखा कि ज्यादा फर्क नहीं है, इस लिये यह दोनों ही साथ-साथ चलेंगे। दोनों ही पेश कर दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० का अननुमोदन करता है।

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उप मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

*श्री गेंदा सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह अननुमोदन का अपना प्रस्ताव पेश किया है उसके कई कारण हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन के समक्ष अपना यह दृष्टिकोण रखें कि क्यों उन्होंने इसको रखा। श्रीमन्, गन्ना की खरीद और बिक्री के संबंध में एक कानून सन् ५३ में बना था और उसी के अनुसार काम होता रहा। ऐसे वर्ष भी आये जब कि गन्ना मिलो को अधिक समय तक कार्य करना पड़ा। लेकिन कभी यह जरूरत महसूस नहीं हुई कि सीजन की परिभाषा को बदला जाय। जो अध्यादेश इस वक्त पेश हुआ है उसमें केवल वर्ष की परिभाषा को ही बदला गया है और उससे १६ अक्तूबर पहली अक्टूबर की जगह तथा ३१ जुलाई ३० जून की जगह कर दिया है। केवल इतना संशोधन किया गया है। मैं पूंछता हूं केवल इसी के लिये क्या जरूरत थी इस अध्यादेश को निकालने की? यह न निकालते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो कौन सी क्षति हो जाती ? मुख्य मंत्री जी कहेंगे कि पहले वर्ष का सीजन लम्बा चला था लेकिन यह अध्यादेश तो जुलाई के बाद निकला था। जुलाई तक फैक्टरी चल चुकी थीं। यह इस वर्ष के लिये अपशकुन है। क्या आपके रिजीम में काश्तकार ३१ जुलाई तक गन्ना खेत में लिये खड़ा रहेगा? क्या हमेशा हमेशा के लिये कानून बना कर आप यह करना चाहते हैं कि कास्तकार अपनी छाती पर गन्ना लिये ३१ जुलाई तक खड़ा रहे ? इस कानून का महत्व इतना ही है कि जहां ३० जून तक बेचारा किसान मजबूर था अब उसको ३१ जुलाई तक मजबूर रहना पड़ेगा, यानी अब मिलमालिकों को ३१ जुलाई तक की छूट दी जा रही है कि ३१ जुलाई तक गन्ना खेत में खड़ा रहे। मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आज भी सरकारी पक्ष के लोगों से अपील करूंगा कि इसमें प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं है। उनको स्वयं इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिये और विधेयक भी वापस लेना चाहिये। आवश्यकता इस कानून में थोड़ा संशोधन करने की अवश्य थी। यदि ऐसा किया गया होता तो हम गन्ने के प्रतिनिधि उसका स्वागत करते।

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

जो आपके जमाने का बकाया पड़ा है उसके बारे में आपको क्या कहना है ? जरवल मिल का जो बकाया पड़ा रहा ?

श्री गेंदा सिंह—

हमारे भाई का कुछ उलाहना है तो मैं उसकी सफाई दूंगा। इस कानून में इस तरह की गल्तियां हैं, इसको यदि बदल दें तो इतना बड़ा बकाया रहने की मिलमालिकों की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसमें एक धारा है सूद की २३ वीं धारा। उसमें यह है कि १५ दिन तक गन्ना लेने के बाद मिलमालिक दाम दे दे, तो उसको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। लेकिन १५ दिन के बाद जब बाकी रहेगा तो उसे सूद देना पड़ेगा। यह वह सूद है जो सरकारी और गैर सरकारी तौर पर कहीं भी प्रचलित नहीं है। उसे साढ़े सात परसेन्ट सूद मिलेगा। इस बारे में १७वीं धारा की तीसरी उपधारा है, "जब उपधारा (२) के अधीन उत्तरदायी व्यक्ति गन्ना पाने के दिनांक से १५ दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह गन्ना पाने के दिनांक से ७ १/२ प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, किन्तु किसी भी मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा, अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायेगा, जिसे वह निश्चित करे। कहां साढ़े सात परसेन्ट का सूद प्रचलित है। अगर कोआपरेटिव से या और कहीं से किसान कर्ज लेता है, तो उसे ९ से लेकर १२ परसेन्ट तक सूद देना पड़ता है। इतना कम सूद होने पर कौन मिल मालिक बेवकूफी करेगा कि वह किसान का बकाया देना चाहेगा। इसी कारण किसान का बकाया वर्षों पड़ा रहता है। उसमें यह भी है कि यदि सरकार चाहे तो सारा सूद माफ कर दे। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी। १८–२० परसेन्ट ब्याज मिलने की व्यवस्था करने की इसमें जरूरत थी। यदि ऐसा हो जाये, तो जो ९ करोड़ रुपया बकाया है, उसको रोकने की किसी मिल मालिकों की हिम्मत न होती। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि १२८ करोड़ रुपये का गन्ना बिका। इसमें सात आठ करोड़ बाकी है। जो २८ करोड़ ७० लाख फैक्टरियों ने लिया था थोड़ी सी फैक्टरियों पर यह बकाया है, १९ करोड़ रुपया। जिन पर बकाया है उनके पूरे ऐसेट नहीं होंगे १९ करोड़ के। उनका दिवाला हो जाय तो आज किसान और सरकार को हाथ धोना पड़ेगा उस रकम से। ऐसा कानून जो बकाया रखने में बढ़ावा दे उसको बदलना चाहिये था। मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी सरकार कहेगी कि हम बदलेंगे। गन्ना क्रय कर पर ९ परसेंट का प्राविजन हो रहा था। बड़ी रियायत हुई १२ परसेंट किया, १८ परसेंसेंट एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पड़ेगी किसान पर। इसको अमेंड करने की जरूरत थी।

[श्री गेंदा सिंह]

पिछले साल किसानों का ७० लाख क्विंटल गन्ना खेतों में पड़ा रह गया। यह हिसाब सरकार का है। साढ़े पांच करोड़ रुपए का गन्ना खेत में खड़ा रह गया। इस कानून में गुंजायश थी। इसमें बहुत स्पष्ट है कि केन कमिश्नर अन्दाजा करेगा गन्ना और जो सुरक्षित क्षेत्र हो जायगा उसका सारा का सारा गन्ना लेने हो जिम्मेदार होगा मिल मालिक। लेकिन कानून में गुजायश होते हुए भी हमारी मशीनरी ने इतनी ढील दी जिसका नतीजा यह हुआ कि ७० लाख क्विंटल गन्ना खेत में खड़ा रह गया है और साढ़े पांच करोड़ रुपये का नुकसान किसानों का हुआ। आज वह गन्ना लेने में आनाकानी हो रही है। हमारे भाई महातम तिवारी जी उठ कर कुछ कहने वाले हैं (व्यवधान) हमारा जबाव आप चाहे जिससे दिलवाएं। भाई कृष्णानन्द राय जी महातम तिवारी जी की अहमियत न समझते हों, क्योंकि उनके साथ बैठते हैं। मैं महातम तिवारी जी को अपने जैसा ही समझता हूं अपने से कम नहीं समझता। कृष्णानन्द जी जो कह रहे हैं कि महातम तिवारी जी से जबाव दिलवाएंगे उनका मतलब यह है कि तुम्हारा अपमान हम उनसे करवायेंगे। लेकिन मैं कभी ऐसी बात नहीं समझता। काशी जी का शिव चाहे छोटा हो या बड़ा सभी शिव हैं, मैं इस सदन में ऐसा समझता हूं। महातम जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं उनको अपने से बड़ा समझता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये उन्होंने कहा कि उनकी बात आप मान लेंगे।

श्री गेंदा सिंह—

कृष्णानन्द राय जी होशियार आदमी हैं। मीठा-मीठा अपने हक में, कड़ुवा महातम तिवारी जी के हक में। मिलमालिकों के सुरखुरू होने की जरूरत हो तो भाई कृष्णानन्द राय जी हैं और किसानों के खिलाफ कहना हो तो महातम तिवारी जी हैं।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

मैं आपके माध्यम से गेंदा सिंह जी को बता देना चाहता हूं कि मैं गन्ना फैक्टरी एरिया का भी नहीं हूं। माननीय गेंदा सिंह गन्ना फैक्टरियों के मालिकों से मुलाकात कर लिये होंगे दुश्मनी से ही लेकिन मैंने कभी किसी फैक्टरी मालिक को देखा भी नहीं न दुश्मनी से न दोस्ती से।

श्री गेंदा सिंह—

मैंने व्यक्तिगत रूप से कृष्णानन्द राय जी के लिये नहीं कहा। लेकिन जहां वह बैठते हैं। वहां आने के बाद कुछ दोस्ती करनी ही पड़ती है मिल मालिकों से, जिस जगह पर वह बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको स्वयं अनुभव है।

श्री गेंदा सिंह—

तो मैं यह कह रहा हूं कि मतलब यह नहीं है। पिछले साल गन्ना खड़ा रह गया तो वह कानून में कमी के कारण खड़ा रह गया। इस कानून के अन्दर जब भी हमने मिल मालिक पर रिसीवर बिठाया और सख्ती की तो वह हाई कोर्ट चला गया और जब वह हाई कोर्ट गया तो सरकार हार गई। तो यह कानून में कमी के कारण हुआ इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये एक कमेटी बिठाइये। उसमें हम भी बैठेंगे और सुझाव देंगे। आपका 'कानून का एक्सपर्ट, भी बैठेगा और सुझाव देगा कि यह यह दब्दीली करना है। श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि इस कानून में एक जगह पर यह है :

"इस कानून की खिलाफत करने वाला ६ महीने की कैद की सजा पा सकता है और ५,००० रुपय जुर्माना की सजा पा सकता है।"

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि १९ करोड़ रुपया बकाया में जिसमें साढ़े ७ करोड़ सरकार का है, तो उसके लिये कौन-सा मिल मालिक है जो जेल गया है या गिरफ्तारी का वारण्ट तक निकला हो या किसी के ऊपर ५,००० रुपया जुर्माना ही हुआ हो। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि आज तैयारी है इस बात की कि यह कोशिश करेंगे कि किसी मिल मालिक को पकड़ें लेकिन किसको पकड़ेंगे। मैं तो कहता हूं कि बकायादार जो भी है उसको जेलखाना जाना चाहिये। इसलिये सरकार को इस कानूनको ठीक करने के सम्बन्ध में संशोधन लाना चाहिये। श्रीमन्, आप ही सोचिये कि जुलाई में फैक्ट्री अब चलाने का सरकार इस संशोधन द्वारा अधिकार देने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब चीनी कारखाने जुलाई में चलने वाले हैं। १ अक्टूबर से चलते थे वह अब १६ अक्टूबर से चलेंगे और ३० जून के बजाय ३१ जुलाई तक चलेंगे। तो अषाढ़ के महीने में जब किसान को खेत पर काम करने की जरूरत है वह गन्ना सप्लाई करेगा। पानी बरस जाने के कारण कैसे सप्लाई करेगा? तो इस अमेंडमेंट की कतई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि फिर एक बार सोचा जाय और जो हम सुझाव दे रहे हैं उनको सरकार स्वीकार करे और फिर अध्यादेश सरकार निकाले या विधेयक लावे लेकिन इस अध्यादेश की कतई जरूरत नहीं है और इसको अस्वीकार करना चाहिये और दूसरा अमेंडमेंट लाकर किसानों का भला करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय मंत्री जी बोलना चाहेंगे। इस विधेयक के ऊपर वह जवाब भी दे सकते हैं।

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

अध्यक्ष महोदय, जो अध्यादेश ५ अगस्त को जारी किया गगया था उसकी जगह पर यह बिल आया है। इस बिल में उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में यह था कि क्रशिंगसीजन १ अक्टूबर से ३० जून तक रहेगा। पिछले साल जैसा कि आपने देखा है और सभी सदस्यों की हमदर्दी किसानों के साथ है, ३७ मिल ३० जून के बाद चले हैं और उस पर भी काफी गन्ना खड़ा रह गया। इसलिये इस पर यह सोचा गया कि इसे १६ अक्तूबर से ३१ जुलाई तक कर दिया जाय। दूसरा इसका एक कारण और था कि जो एरिअर्स क्रशिंग सीजन के होते हैं अगर उसका समय ३० जून से ३१ जुलाई नहीं बढ़ाया जायेगा तो वसूली में दिक्कत होगी। मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। मैं आशा करती हूं कि माननीय सदन इन दोनों चीजों को स्वीकार करेगा। इसी वजह से कि किसानों के गन्ने का बकाया पैसा वसूल करने में दिक्कत हो रही थी, आर्डिनेंस निकाला गया था।

श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय गेंदासिंह जी के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पहले गन्ना पेरने का सीजन जो पहली अक्टूबर से ३० जून तक का था, उसको १६ अक्टूबर से ३१ जुलाई तक कर देने का जो यह संशोधन सरकार की तरफ से आया है उसका मैं विरोध करता हूं। सरकार ने जो संशोधन पेश किया है, उसमें उद्देश्य और कारणों में दियाहै और इसमें माना है कि गन्ने की इफरात है, बढ़ोत्तरी है इसलिये हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार इस बात को मानती है कि गन्ने की इफरात है, इधर ६८–६९, ६९–७० और ७० में न गन्ने की फसल बढ़ी है, साधन है और पैदावार बढ़ी है तो इसमें गन्ने की खपत के लिये जो पहली अक्तूबर था उसको १६ अक्तूबर करने की क्या जरूरत है? पहले पहली अक्तूबर से मिलों में गन्ना जाना चालू हो जाता था, अब उसको बढ़ा कर १६ अक्तूबर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर इस बात को साफ करना चाहता हूं कि गन्ने की इफरात हमारे खीरी जिले में भी है। वहां गोला में सबसे बड़ी हिन्दुस्तान शुगर मिल है। शारदा शुगर

[श्री छेदालाल चौधरी]

इन्डस्ट्रीज मिल एक और पलिया कला में बनाने की योजना चल रही थी। वर्ष ५३–५४ में ३ सहकारी गन्ना मिल खोलने की बात की गयी थी ताकि दूसरी मिल बन जाय ताकि गोला मिल के अलावा जो गन्ना बचता है या बढ़ा है उसकी खपत हो जाय लेकिन वहां का जो मिल मालिक श्री नेवटिया है वह मोनोपालिस्ट है, वह नहीं चाहता कि वहां कोई दूसरी मिल चले। इसलिये हर तरह से कोशिश करके, शासन पर दबाव डलवा करके उसने सहकारी मिल को खतम करा दिया और किसानों का पचीस लाख रुपया वापस कर दिया गया। नेवटिया की मंशा है कि जो सहकारी मिल बने उसका ढांचा कुछ दूसरा ही हो। जो सहकारी मिल वहां कायम करने की बात की गयी थी, उसके लिये निर्धारित समय था कि सन् ७० में उसे चालू हो जाना चाहिये था। वहां जो सहकारी मिल खोलने की बात है उसका ढांचा क्या है, शासन के नोटिस में इस बात को लाना चाहता हूं मैं शासन की नीयत पर कोई हमला नहीं करना चाहता, लकिन जब सच्ची बात समझ में आ जायेगी तो शासन उसमें सुधार जरूर करेगा, ऐसी मुझे आशा है। उसमें किसानों के ४९% मेम्बर रहेंगे और मिल मालिकों के ५१% मेम्बर रहेंगे और उसका संचालन मंडल जो बनेगा उसमें किसान का एक भी आदमी नहीं रहेगा और जो सामान्य सभा होगी उसका हड क्वार्टर कार्यालय बम्बई होगा। जैसे अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कम्पनी का हेडक्वार्टर इंगलैण्ड में रहता था उसी तरह से इन्होंने भी सामान्य सभा के लिये हेड क्वार्टर बम्बई में रखा है ताकि किसानों के प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंच सकें और वे अपनी मनमानी जो चाहें प्रस्ताव पास करा लें। मुझे यह भी मालूम है कि गोला मिल को जो सड़े गले पुर्जे हैं उन्हीं सब को रंग रंगाकर उस मिल को पलिया में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें लाखों रुपये का गबन है। लाखों रुपये लगने के बाद भी पिछले साल और इस साल भी वह फैक्टरी नहीं चल सकी और निर्धारित समय के अन्दर इस साल भी वह बन कर चल नहीं सकेगी। इस तरह से पहले की तरह ही आज भी वहां गन्ने की सप्लाई का प्राबलम बना हुआ है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि असली समस्या इस बात की नहीं है कि १६ अक्टूबर से ३१ जुलाई तक मिल चले। असली समस्या यह है कि केन के रिजर्व एरिया में किसी फैक्टरी की मोनोपोली न करें। आपको यह मालूम है कि अब फैक्टरी जुलाई भर चलती है और कोई फरवरी मार्च में भी बन्द हो जाती है। जो एडज्वायनिंग फैक्टरीज और रिजर्व एरिया की मीटिंग होती है उसमें यह चाहिए कि गन्ने का हिसाब लगाकर एक्वीटेबुल व्यवस्था से डिस्ट्रीब्यूशन कर दें जिससे सारा गन्ना वक्त से खत्म हो जाय। लेकिन होता यह है कि गन्ना खड़ा रहता है, सूख जाता है, उसकी रिकवरी कम हो जाती है। सट्टे जो करते हैं वह उपज पर नहीं बल्कि औसत तखमीने पर करते हैं। नतीजा यह होता है कि जिसका गन्ना इस साल ज्यादा है उसका सट्टा नहीं होता और दूसरा जिसका गन्ना कम है या नहीं है उसका हो जाता है। फिर यह भी है कि जिसका दबाव है वह ज्यादा पर्ची ईस्यू करा ले जाता है और जो छोटे काश्तकार हैं, जिनको तीन-तीन चार-चार पर्ची मिलनी चाहिए थीं उनका गन्ना खड़ा रह जाता है। मेरा यह निवेदन है कि यह जो कानून है उसके तहत में सही व्यौहार करा दें तो हम समझते हैं कि फिर किसी तरह के एमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इतना हो जाय कि किसानों को अच्छे दाम मिल जायं और उनका गन्ना समय से खत्म हो जाय जिससे कि उसकी रिकवरी कम न हो। मिल के रिजर्व एरिया को बढ़ा दिया गया है क्योंकि उनका प्रभाव शासन पर है और पूंजीवादी व्यवस्था में उनका असर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के साथ भेदभाव करना मुनासिब नहीं है। कोई मिल मालिक कानून के ऊपर नहीं है और न ही काश्तकार उसके नीचे है। कानूनी दृष्टि से एकसा बर्ताव होना चाहिए। जमुनाबाग फार्म और खंजनपुर फार्म, पिपरा फार्म की जमीन निकली और सरकार ने कहा था कि वह भूमिहीनों को दी जायगी लेकिन वह भूमिहीनों को नहीं दी गयी। इसी तरह से सीलिंग में जमीन निकली लेकिन वह भी जो मजदूर स्थानीय काम करते थे और खेती के काम में स्किल्ड थे उनको न देकर कहीं रिसर्च के नाम पर कहीं और नाम पर मिल मालिकों को दे रहे हैं, उनके नाम पट्टे किये गये हैं।

यह उचित नहीं है। इन बातों को कह कर मैं इस संशोधन का घोर विरोध करता हूं और मेंहदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से जो यह विधेयक आया है, इसको देखकर मुझे दुख हुआ और मैं यह कहने से नहीं हिचकता कि यह किसान विरोधी है। इससे किसान का भला होने वाला नहीं है और इसका उद्देश्य किसान की भलाई है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे सरकार की नीति पर सौ फीसदी शक है। अगर आप १९५३ का अधिनियम देखें तो.....

(इस समय ४ बजकर २६ मिनट पर अधिष्ठाता श्री नित्यानन्द स्वामी पुनः पीठासीन हुए)

उसमें सीजन के विषय में यह कहा गया है कि यह १ अक्तूबर से प्रारम्भ होकर ३० जून को समाप्त होगा। अब आज जब यह आया है तो उसमें यह कहा गया है कि १६ अक्तूबर से ३१ जुलाई तक क्रशिंग सीजन होगा। मान्यवर, मुझे इसमें आपत्ति है। क्यों है मैं यह सरकार को बताना चाहता हूं। अक्तूबर में जो गन्ना सप्लाई करने की बात है तो १ अक्तूबर से जब किसान गन्ना सप्लाई करेगा उसमें किसी तरह से नुकसान नहीं होगा। ३० जून तक गन्ना समाप्त हो जाता है और वह खाली खेत में हरा चारा आदि को बो देता है जिसका उसको मौका मिलता है। १६ अक्तूबर से ३१ जुलाई कर दिया जाना ठीक नहीं है। क्योंकि फैक्ट्रीज १६ दिन लेट चलेंगी और इधर गेहूं बोने के लिये भी देर हो जायेगी। इसका अर्थ है कि गेहूं का एरिया कम हो जायेगा। लोग गेहूं बोने से वंचित रह जायंगे। जब गन्ना ३१ जुलाई तक चलेगा तो उसमें कई तरह की दैवी आपत्तियां आ सकती हैं। जैसे कि आग का लग जाना, लेबर का न मिलना। या फिर जुलाई में अत्यधिक वर्षा के कारण गन्ना न ले जा सकना। लाखों कुंतल गन्ना खेतों से लाया ही नहीं गया अगर लाया गया तो कच्ची सड़कों तक आ गया परन्तु अत्यधिक वर्षा के कारण उसको फैक्टरीज तक नहीं ले जाया जा सका। फलतः लाखों कुन्तल गन्ना सड़ गया। यह भी कहा गया है कि गन्ने की कीमत काश्तकारों को १५ दिन के अन्दर मिल जानी चाहिये। मान्यवर, ऐसा कभी नहीं होता है। मूल्य कभी दिया नहीं जाता समय के अन्दर। पिछले साल जो गन्ना किसानों से लिया गया उसका मूल्य आज तक उनको नहीं दिया गया। साढ़े ७ परसेंट सूद देने की बात है कि अगर १५ दिन के अन्दर मिल की ओर से इस मूल्य को कृषकों को नहीं दिया जाता है। मैं तो मान्यवर, सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अगर वह वास्तव में काश्तकारों की हमदर्द है तो यदि उसको १५ दिन के अन्दर मूल्य नहीं मिलता है तो फैक्ट्रीज के मालिक से किसानों को १८ प्रतिशत की दर से सूद अदा करायें। अगर सरकार ऐसा करती है तो मालूम हो कि वास्तव में सरकार किसानों की हमदर्द है।

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि धारा २२ के अनुसार सरकार को पूरा-पूरा हक है कि यदि कोई मिल मालिक इन सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य न करे तो उसके खिलाफ केस चला सकती है और जिसमें उसको ६ महीने की सजा और उस पर ६,००० रु० जुर्माना हो सकता है। मान्यवर, अगर सरकार में हौसला है तो यह बताये चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो चाहे इन्डीकेट, सिन्डीकेट या बी० के० डी० की हों कि अब तक किस मिल मालिक के खिलाफ उन्होंने मुकदमा चलाया है, अथवा उसको सजा करवाई हो। यह सरकार किसानों से वादा तो करती है, इस बात को

[श्री भानुप्रताप सिंह]

कहती है कि उनके लिये यह किया जायगा, वह किया जायगा परन्तु उसके वायदे तो उसी तरह से हैं जैसे किसी शायर ने कहा है:—

कस्में, वादे, प्यार वफा,
झूठे हैं, यह नाते रिश्ते, सब,
बातें हैं, बातों का क्या,
इन बातों नातों का क्या ?

मान्यवर, इनकी वफादारी में मुझे कोई शक नहीं है परन्तु वफादार किसानों के हों, इसमें मुझे शक है। यह तो पूंजीपतियों की थाली में खाते हैं उसमें छेद कैसे कर सकते हैं। ये लोग कैपटलिस्टों के पैसे से पले हैं और इनको उन पर मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं है। आप बरेली में जाइये, वहां पर मुख्य मंत्री जी भी जाय और वहां की हालत को देखें। उपमंत्री जी तो एक स्त्री हैं। मान्यवर, बरेली की बात यह है कि कोई मीटिंग करके किसानों को समझाये कि इनकी यह बात (संशोधन) सही है। मैं खेती करता हूं और जानता हूं मेरा अनुभव मुझे यह कहने को बाध्य करता है कि इनका संशोधन गलत है। यह किसान विरोधी है। मान्यवर जब हम विरोधी पक्ष में बैठते थे तो उस समय माननीय चौधरी साहब के विषय में कहा जाता था कि चौधरी साहब ने लाखों रुपया फैक्ट्रियों से ले रखा है। अब मैं यह आपसे कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार में हैं तो क्या इन्होंने नहीं पैसा ले रखा। अगर चौधरी साहब के बारे में जिस व्यक्ति को यह सन्देह है कि वह बेईमान है भ्रष्ट हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कतई भ्रष्ट नहीं है। बेईमान वह हैं जो सरकार में आज बैठे हुये हैं। इलेक्शन होने वाला है और किसी में हिम्मत नहीं है कि बगैर पैसे के इलेक्शन लड़ सके। अगर बहादुर हैं तो मैदान में आवें।

एक दोस्त ने यह बात कही कि इस्तीफा दे दें और इलेक्शन लड़ लें। तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस प्वाइन्ट के ऊपर वह इलेक्शन लड़ें, मेरे क्षेत्र से लड़ें या किसी भी क्षेत्र से लड़ें। मैं हर एक के बारे में यह बात नहीं कहता, लेकिन मेरा जो विरोध है वह सरकार की कार्यशैली से है। सरकार वही लोकप्रिय हो सकती है जो प्रदेश में ८०–९० प्रतिशत किसान हैं उनकी कठिनाई को दूर करे।

मान्यवर, मुझसे यहां कई लोगों ने कहा कि जो श्री गेंदासिंह ने संशोधन रखा है उसका समर्थन मत करिये। तो श्रीमन्, यह जिन्दा मछली कैसे निगली जा सकती है, हम तो नहीं निगल सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी पीठ पर किसी कैपटलिस्ट का हाथ नहीं है मैंने हमेशा से पूंजीपति का विरोध किया है और खिलाफ बात कही है। यह लोग खून चूसते और पैरासाइट हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि अध्यक्ष पद से निर्णय हुआ कि इस पर डेढ़ घंटे की बहस हो सकती है। मैं छः दिन से लगातार लिख कर दे रहा हूं कि बरेली की फैक्ट्री में १९६९–७० के चालू सीजन में, जब पहली दफा २ नवम्बर से फैक्ट्री चलाई गई थी, केन्द्रीय सरकार ने कीमत फिक्स की थी ७.५० पैसे और बाहरी केन्द्र पर ७.१८ पैसे। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिख कर दिया कि पिछले साल एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली में फैक्ट्री के गेट पर ७.५० रु० न देकर ७.३८ पैसे दिया गया और बाकी बाहरी केन्द्र पर ७.१८ पैसे दिया था। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इसकी जांच करायें और मुझसे भी नहीं कहा कि हम जांच करायेंगे। क्या प्रदेशीय सरकार को यह अधिकार है कि जो केन्द्रीय सरकार प्रति क्विंटल कीमत निर्धारित करती है उससे कम कीमत पर किसानों को पैसा दिया जाय और इसकी जांच भी न करावे। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की यह परम्परा चली आ रही है कि चाहे वह बिल हो या संकल्प हो या साधारण चर्चा हो, तो यह क्रम रहता है कि एक व्यक्ति इस पक्ष का बोलेगा और एक व्यक्ति उस पक्ष का बोलेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि अभी श्री भानु प्रताप बोल रहे थे तो क्या उनके भाषण से आपने यह अन्दाज लगा लिया कि वह विरोध पक्ष के हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

इस पर व्यवस्था यह है कि जब श्री गेंदा सिंह जी ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया उसके बाद इसी पक्ष से एक माननीय सदस्य बोले। इसलिये वह बैलेंस तो बराबर करना है। दूसरे माननीय भानु प्रताप तो मैकमोहन लाइन पर बैठे हुये हैं। इसीलिये मैंने इधर के पक्ष के माननीय सदस्य को बुलाया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति में इसकी चर्चा हुई थी उस वक्त चूंकि सरकार की तरफ से समय बहुत कम रखा गया था हमने यह प्रश्न उठाया कि जो कुछ भी समय दिया जाय तो विरोध पक्ष को उसमें बोलने दिया जाय और सरकारी पक्ष न बोलें। हमारा समय जो काटा गया है और सरकार इतनी जल्दी में है कि वह जल्दी से जल्दी पास कराना चाहती है। हम जनता की आवाज यहां रखना चाहते हैं लिहाजा हमको यह मौका दिया जाय। अध्यक्ष जी ने भी हमको यह आश्वासन दिया था कि वह ऐसी व्यवस्था करेंगे। इसलिये हमको इसमें अधिक मौका दिया जाय और दो इधर से दो उधर से बुलाये जायं यह न किया जाय। हमको अधिक बोलने का मौका मिलना चाहिये। अननुमोदन का प्रस्ताव गेंदासिंह ने पेश किया था। वह अननुमोदन पर भी बोल सकते हैं और बिल पर भी बोल सकते हैं। इसके बाद माननीय मंत्राणी जी ने जवाब दिया। उसके बाद बहस शुरू हुई और संगठन कांग्रेस के सदस्य बोल चुके हैं तो अब इधर के सदस्य को मौका मिलना चाहिये था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह कहना उचित नहीं है कि शासन ने कम समय दिया। कार्य-मंत्रणा समिति ने ही कम समय रखा था और तिवारी जी आपके पक्ष की तरफ से उसमें थे। यह कहना असत्य है कि कम समय शासन ने दिया।

श्री अधिष्ठाता—

श्री चन्द्रभान शर्मा बोलें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सत्य यही है कि शासन ने इसके लिये कम समय दिया।

श्री मैनेजर सिंह—

यह बिल्कुल सफेद झूठ है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अधिष्ठाता महोदय, मैनेजर सिंह जी का यह कहना कि यह सफेद झूठ है असंसदीय है। से आप वापस करवायें।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने गलत कहा कि शासन की तरफ से कम समय दिया गया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

अधिष्ठाता महोदय, उनसे कहिये कि अपने शब्द वापस लें।

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप बैठें। राजेन्द्र कुमारी जी का यह कहना कि मैनेजर सिंह जी ने यह कहा कि सफेद झूठ है, किसी माननीय सदस्य के लिये यह कहा है तो आप कृपया उसे वापस लें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने तो केवल इस तथ्य के बारे में कहा कि यह बिल्कुल सफेद झूठ है कि शासन ने कम समय दिया। समय तो कार्य-मंत्रणा समिति ने निश्चित किया था। शासन का यह प्रस्ताव नहीं था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

पहले उन्होंने कहा असत्य है। फिर कहा कि यह सफेद झूठ है।

श्री कृष्ण चन्द्र—

सदस्य ने यह कहा कि सरकार ने कम समय दिया तो उस पर यह कहना कहां तक उचित है मैनेजर सिंह का कि यह सफेद झूठ है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

उनसे माफी मंगवाइये।

श्री अधिष्ठाता—

कृष्ण चन्द्र जी आप बैठें। जब माननीय सदस्या स्वयं बोल रही हैं तो आपके बोलने से ज्यादा बल नहीं मिल जायगा।

मैनेजर सिंह जी आप कृपया अपने शब्द वापस लें।

श्री मैनेजर सिंह—

मैंने उनको झूठा नहीं कहा। मैंने तो उनके यह कहने पर कि शासन की तरफ से कम समय दिया गया यह कहा कि यह सफेद झूठ है। समय तो कार्य-मंत्रणा समिति ने निश्चित किया था। हाउस में उसका विरोध हुआ। कार्य-मंत्रणा समिति में वाजपेयी जी के दल के लोग भी मौजूद थे। कार्य मंत्रणा समिति की सर्वसम्मति से हाउस में प्रस्ताव आया था। तो यह कहना झूठ था कि शासन ने कम समय दिया।

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजर सिंह जी से मेरा कहना है कि इसे वह वापस लें जो भी शब्द उन्होंने प्रयोग किये हों।

श्री मनेजर सिंह—

यह मैं वापस ले लूंगा अगर वह भी अपने शब्द वापस ले लेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ने वापस ले लिया। अब माननीय राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी जी ने जो प्रश्न उठाया है उन्होंने यह विचार नहीं किया कि पहले इस पक्ष से दो व्यक्ति बोल चुके थे। माननीय भानु प्रताप सिंह जी के लिये माननीय अध्यक्ष कह चुके थे। अब कोई इधर से बोल ले तो इम्बैलेंस नहीं होता। फिर इतनी सी बात पर आप इतना रोष करेंगी तो उचित नहीं लगता।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

यह जो मुख्य मंत्री जी ने हाउस के अन्दर मसला पेश किया है उस सम्बन्ध में यह तो हो सकता है कि ट्रेजरी बेंचेज में बैठने के खातिर हम इस पर वोट देने के लिये तैयार हो जायं लेकिन जो मसला उन्होंने सामने रखा है बगैर किसानों की भलाई देखे हुये आपने इस विधेयक को पेश कर दिया है। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि अभी तक यहां पर गन्ना आयुक्त बैठे हुये थे और जैसे ही मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं वैसे ही वे यहां से उठकर चले गये वर्ना मैं उनको बताता कि वे आज किसानों के ऊपर किस प्रकार से कुल्हाड़ा चला रहे हैं। गन्ना विभाग के चाहे कमिश्नर हों चाहे डिप्टी केन कमिश्नर हों चाहे बी०एल०डब्लू० हों, चाहे सुपरवाइजर हों, चाहे डी०सी०ओ०हों इन्होंने किसानों को चूस लिया है और किसान को एक मीठा हलवा समझ लिया है। मान्यवर, प्रदेश के हर शहर में गन्ना विभाग के इन लोगों ने किसान को तबाह कर दिया है। मान्यवर, १ अक्टूबर से ३० जून तक किसान का गन्ना उसके खेत से निकालने की आज तक व्यवस्था थी और जो यह विधेयक पास किया जा रहा है इसके जरिये से १अक्तूबर से ३१ जुलाई तक उसका गन्ना खेत से निकालने की व्यवस्था की जा रही है। मैं मान्यवर यह कहता हूं कि १ अक्टूबर से ३० जून तक की जो व्यवस्था चली आ रही है उसी को कायम रखा जाय। किसान तो अपने गन्ने को १ अक्तूबर से १५ दिसम्बर तक अपनी फसल को काटना चाहता है, खेत खाली करना चाहता है ताकि वह उसमें दूसरी फसल को बो सके और उससे उसे फायदा हो। ३० जून तक की जो व्यवस्था थी उससे उसको नुकसान कम होता है मौसम खुश्क रहता है वर्षा भी शुरू नहीं होती है। इसकी मियाद ३१ जुलाई तक कर देने से उसके उस वक्त आदमी भी उसके खेत में काम करने के लिये नहीं मिलते हैं, वर्षा भी शुरू हो जाती है, अन्य कामों की उसे फिक्र रहती है। दूसरे काम के करने में उसका मन लग जाता है। खलिहान को भी उसे साफ करना पड़ता है। खरीफ की फसल बोने की धुन में लग जाता है। दूसरी बात यह है कि वर्षा आरम्भ हो जाने से उसके रास्ते वगैरह भी साफ नहीं रहते हैं वे खराब हो जाते हैं जिससे कि वह अपने गन्ने को कहीं बाजार में ले जाने में कठिनाई महसूस करेगा।

मान्यवर, यदि केन कमिश्नर यहां पर बैठे होते तो मैं आपके द्वारा उनको सुनाता कि किस तरह की यातनायें किसान को भुगतनी पड़ रही हैं। मान्यवर, मैं मुजफ्फरनगर शामली की बात आपको बताता हूं कि किस तरह से वहां के काश्तकारों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। जब वे अपने गन्ने को बिक्री हेतु ले जाते हैं तो उसके गन्ने को कम तोला जाता है और इतना कम तोला जाता है कि यदि उसका गन्ना ५० क्विंटल वास्तविक होता है तो उसका वजन केवल २५ क्विंटल ही बता दिया जाता है जिससे उसे २५ क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ता है। शामली मुजफ्फरनगर जिले में १० हजार परचियां गेट पर पकड़ी गई हैं तो मान्यवर, इसमें वहां के सेक्रेटरी तक शामिल हैं। इस प्रकार आप अन्दाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि वहां पर काश्तकारों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि इसकी जो यह नंगी तस्वीर है वह सरकार के सामने आनी चाहिये। चाहे हमारे मुख्य मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

हों, चाहे, उप-मुख्य मंत्री हों इस नंगी तस्वीर पर आपको विचार करना चाहिये और इन सब बातों को रोकना चाहिये । यह जो ३१ जुलाई तक करने की बात इस विधेयक में कही गई है इसमें काश्तकारों को रुपये में ५ या ६ आने का भी फायदा होने वाला नहीं है १० आना फिर उनकी जेब में चला जायेगा । मैं पुनः कहूंगा कि ३१ जुलाई तक इसको मियाद बढाने से किसी को उस वक्त कई अन्य काम भी करने पड़ते हैं । फसल बोने के लिये समय आ जाता है । किसान ही एक ऐसी मिठाई है जिसको कि हर अधिकारी निगलना चाहता है यह उसके ऊपर कुठाराघात नहीं है तो और क्या है ?

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी बातें आवेश में हो जाती हैं और इसी प्रकार बहुत से बिल बगैर सोचे-समझे या बगैर किसी का हित देखे पास कर दिये जाते हैं और बाद में गलत साबित हो जाते हैं । इसलिये सोच-समझकर निर्णय करना चाहिये जिससे कि उसकी भलाई हो सके नहीं तो वह सरकार को अपना रक्षक न समझकर भक्षक समझते हैं । इसलिये कि उसकी जो गन्ने की लुटाई और उसकी फसलों की लुटाई हो रही है, उस पर वह आंसू बहा रहा है । मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि यह सरकार उस काश्तकार का कोई इन्तजाम नहीं कर रही है, कोई राहत उसको नहीं दे रही है । खाद उसको दिया जाता है तो वह दिया जाता है जो बिलकुल रिजेक्टेड है । बीज जो दिया जाता है वह पंत नगर का तो दिया जाता है लेकिन दिया तब जाता है जब कि मौसम निकल जाता है और यह सब धोखबाजी में सप्लाई किया जाता है । इसकी जब शिकायत की जाती है तो न आयुक्त सुनता है, न सुपरवाइजर सुनता है, न बी०डी० ओ० सुनता है और न आनरेरी सेक्रेटरी ही सुनता है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा कि यहां पर पूरी तौर से धांधलीबाजी चल रही है और कुनबा परस्ती चल रही है । किसी भी अधिकारी के पास जाइये बस वह पास-आन कर देता है, शांतिपूर्वक किसी बात को समझना नहीं चाहता । आयुक्त से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमने आर्डर कर दिया, है पिछले साल के गन्ने को प्रायोरिटी के साथ लिया जायगा लेकिन पर्ची उसको नहीं दी गयी । पता नहीं वे आर्डर्स का पालन नहीं कर रहे हैं अथवा हमको ही ब्लफ किया गया था । वहां की सोसाइटी वाले मिल मालिकों के साथ सौदा तय कर रहे हैं और उम्मीद है कि फैक्टरी बन्द हो जायगी और गन्ना खत्म नहीं हो पायेगा । जब इस बात को आयुक्त से कहा गया तो उन्होंने सरसरी तौर पर सुन कर खत्म कर दिया । वे कभी भी किसी क्रिटिसिज्म को फेस नहीं करना चाहते । उन लोगों की बोगस बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और हमारी जायज बातों को भी नहीं मानते । गन्ने विभाग में बड़ा भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है । सोसाइटी में जितने भी कर्मचारी हैं वे किसी न किसी पोलीटिकल इन्फ्लूएंस वाले के भाई भतीजे हैं । वे मिल मालिकों से मिल कर बाकायदा धांधली करते हैं और उसका नतीजा यह है कि शामली और मुजफ्फरनगर में जो कांटा क्लर्क है वह ६ महीने काम करता है और उसके बाद १ लाख, ५० हजार की कोठी बनवा लेता है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बिल को जल्दी में न लायें । इस पर अच्छी तरह से विचार करें । यह जो इसमें ३१ जुलाई तक अवधि बढाई गयी है, वह किसानों के पेट में छुरा भोंकना है।

*श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष जी, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इस मजमून पर बोलने का मौका दिया । गुजिश्ता १० रोज से मैं एक खास ट्रेंड इस गवर्नमेंट का देख रहा हूं । शुरू में आपने सवा छः एकड़ की माफी की और उसके बाद जो पैसे में कमी हुई उसको हर तरह से पूरा करने की कोशिश की जा रही है । कोर्टफीस बढ़ाई गयी, इन्टरटेमेंट टैक्स बढ़ाया गया, इलेक्ट्रिसिटी की दर बढ़ाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गयी, रजिस्ट्री फीस बढ़ाई गयी । इसी तरीके से बहुत से काम किये गये । मैं यह महसूस करता हूं कि बहुत ही कलाकार किस्म के लोग उस तरफ बैठे हुये हैं । करते वह सब कुछ हैं जाहिर मगर उसको वह करते हैं कि पीपुल के इन्टरेस्ट में किया जा रहा है । लड़कों को गिरफ्तार किया गया, टीचर्स को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में बन्द कर दिया गया और यहां पर मिनिस्टर साहब खड़े होकर कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह स्टेट के नागरिकों की भलाई के लिये कर रहे हैं, बेहतरी के वास्ते कर रहे हैं । उनको ऐसा तरीका इस्तेमाल करते देख कर ताज्जुब मुझे नहीं होता क्योंकि यह उन्हीं लोगों की गवर्नमेंट है जिन्होंने यही नहीं और जगहों पर भी अच्छे कामों की मुखालिफत की है । प्रिवी पर्सेज की मुखालफत करते हैं, बैंक नेशनेलाइजेशन को अपोज करते हैं, कम्युनलिज्म को एनकरेज करते हैं और इसके लिये उनकी तरफ से ऐलान होता है कि वे सेक्यूलर पार्टी है । वह जो कुछ करते हैं यह उनका काम है मगर इधर के बैठने वालों को यह पूछने का हक है कि आप जो विधेयक लाये हैं उसमें आपका क्या मतलब है ? अगर मिल ओनर को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है । आपकी पालिसी बराबर यह रही है कि कैपीटेलिस्ट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और गरीबों का नुक्सान हो । कोई ताज्जुब नहीं है कि आप ऐसा विधेयक लाये हों जिससे मिल ओनर्स का फायदा हो और किसानों का फायदा न हो । मेरे दोस्त गेंदा सिंह जी जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आप के सामने यह पेश किया है कि इस विधेयक से, इस एक्सटेंशन से मिल ओनर्स को फायदा हो सकता है । जून में गन्ना इतना खुश्क हो जाता है कि जो चीज एक रुपये में मिलती है वह पांच आने में मिल जायेगी ।

दूसरी बात और है जिसकी तरफ मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मंत्राणी नहीं कहा है क्योंकि यह बदतमीजी की बात होगी, वह गौर करें कि मई जून में बारिश शुरू हो जाती है । गन्ना ज्यादातर गांवों में पैदा होता है वहां से ट्रांसपोर्ट नामुमकिन हो जाता है । ज्यादा बारिश होने पर और मीन्स आफ कम्युनिकेशस इतने खराब हैं कि गन्ना वहीं सूख जाता और मिलों तक गन्ना काश्तकार नहीं पहुंचा सकते ।

(इस समय ५ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

आप इस पर भी गौर कीजिये कि गुजिश्ता साल जब आपने एक्सटेंशन दिया तो नतीजा यह हुआ कि हर काश्तकार की यह ख्वाहिश थी कि गन्ना मिलों तक पहुंचा दें । इसके लिये उसको बहुत सी तरकीबें करनी पड़ीं । जो लोग गन्ना बोते हैं वे जानते हैं कि काश्तकारों को क्या क्या सूरतें अख्तियार करनी पड़ीं । रिश्वतें देनी पड़ी, दलालों को मिलाना पड़ा फिर भी बड़ी मुश्किल वे अपने गन्ने का बहुत कम हिस्सा मिलों तक पहुंचा पाये । मैं अपनी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, जिनके बारे में मुझे यकीन है कि वे ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप वाकई काश्तकार को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका गन्ना खराब न हो, वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें तो इसके दो तरीके हो सकते हैं । एक तो यह कि मिलें ओवरटाइम फंक्शन करें और क्रशिंग प्लांट्स के रूल्स में रिलेक्सेशन कर दें कि ५ मील के अंदर भी वे क्रश कर सकते हैं । जो बेईमानी और दगाबाजी केन यूनियन और सरकारी मुलाजिम करते हैं, जाहिर है कि मैं अफसरों का नाम नहीं लेता, उसको रोकने की कोशिश करें । वह कह सकते हैं कि हम गन्ने की रकम को जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करेंगे सूरते हाल इस वक्त यह है कि तीन-तीन बरस से लोगों के गन्ने की कीमत बाकी है । अभी एक साहब ने बयान किया है कि २२ करोड़ के करीब रुपया बाकी है जिसमें से साढे ७ करोड़ रुपया सिर्फ गवर्नमेंट का है । मैं उम्मीद करता हूं कि मिस्टर टी०एन० सिंह कम से कम खुद, अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं भी चाहती, यह कोशिश करेंगे कि काश्तकारों का पैसा ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई।

उनको मिल जाय। अगर वह चाहते हैं कि इन काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तो जो तरीके मैंने बताये हैं वही तरीके हो सकते हैं, यह तरीका नहीं हो सकता कि ३१ जुलाई तक तारीख बढ़ा दी जाय और १५ जून के बाद मिल पर गन्ना न पहुंच पाये और वह जिम्मेदारी काश्तकारों के ऊपर डाल दी जाय कि उनको ३१ जुलाई तक मौका था मगर उन्होंने गन्ना नहीं पहुंचाया।

मुझे इस वक्त कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है और लोगों को भी बोलना है। मैं इन अल्फाज के साथ अपने दोस्त गेंदा सिंह की जो तजवीज है उसका समर्थन करता हूं।

श्री महातम (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबू गेंदा सिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है हमारे देखने से यह उचित नहीं मालूम होता है। मैं अपने नेता जी का बहुत आदर करता हूं क्योंकि हमारे गोरखपुर, देवरिया के लोग उनको गन्ने का नेता ही मानते हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय सदस्य के पास कितने एकड़ जमीन है।

श्री महातम—

मेरे पास १५ बीघा जमीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने के बारे में जितनी गड़बड़ी, जितनी परेशानी और जितनी बुराई हुई है, मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उसके एकमात्र जिम्मेदार हमारे बाबू गेंदा सिंह हैं और यह मैं सही बता रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर वह गलत साबित करें तो हमारे बड़े पुराने नेता हैं, उनका मैं आदर करता हूं लेकिन उन्हीं की गलती से आज यह सारी दिक्कतें हो रही हैं। मैं तो हमेशा गन्ने के ही किसानों के बीच में रहने वाला किसान हूं और गन्ने की ही बात कहने के लिये मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं।

श्री चेतराम गंगवार—

जो सदस्य सदन में उपस्थित न हों उनके बारे में कुछ कहा जा सकता है ?

श्री महातम—

प्रस्ताव तो बाबू गेंदा सिंह ने रखा है और बात क्या आपकी करूं ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने शुरू किया है तो उनको सुनना चाहिये।

श्री महातम—

जो यह गन्ने का समय बढ़ाने की बात आयी है यह मुझे बहुत ही सुन्दर दिखती है इसलिये कि पहली अक्तूबर से किसान दो चीजों में फंसा रहता है। पहले गन्ने की बुआई करता है। दूसरे धान काट कर जड़हन बोते हैं। वह दिन ऐसे होते हैं कि कटाई मड़ाई में लगे रहते हैं। हमारे यहां मशीन नहीं है। हम तो छोटे किसान हैं। अपने पैर, अपने हाथ से पीस कर गल्ला खेत से घर में ले जाते हैं। इसलिये हमारे लिये जो यह समय बढ़ाया गया है वह बहुत ही सुन्दर है क्योंकि हमको थोड़ा सा मौका मिलेगा। हम गन्ने का खेत खाली करके बो सकते हैं। लेकिन हम बो सकते हैं १५ तारीख के बाद मिल चलेगी तब बढ़िया खेती हम बो सकते हैं क्योंकि जो खेत परिहल रखे हैं पहले उनको बोयेंगे। बाद में गन्ना काटकर फसल जड़हन की बोता है। कोई ऐसा किसान नहीं है जो गन्ना काटकर खेत न बोये और पुराने खेत को छोड़ देगा यह बात बिलकुल गलत है। इसको किसान कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा।

किसानों के दाम के बकाये के बारे में यहां पर कहा गया कि मिल मालिक बेईमानी करते हैं । मिलमालिक बेईमान हैं । मैं उसको ईमानदार कहने के लिये तैयार नहीं हूं वह इसलिये बेईमान है कि हमने और आपने उसको ऐसा बनाया है। बेईमान बनाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर है । श्रीमन्, गोरखपुर और देवरिया में २४ शुगर मिल हैं । वहां पर जो गन्ने का मसला होता है उस मसले में हम गेंदा सिंह जी के माध्यम से ही बात करते हैं कि गन्ने को देखें और उसकी व्यवस्था करें । केन कमिश्नर को बेईमान कहा जाता है । केन कमिश्नर बिलकुल बेईमान नहीं है । बेईमान वह हैं जो यूनियन के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं । सब लोग दौड़ दौड़कर जिनको चुनाव में विजयी कराते हैं वही लोग गड़बड़ करते हैं । जितने डाइरेक्टर बेईमान हैं और नहीं हैं । वे भ्रष्ट आदमी हैं । वही संचालक मंडल में चेयरमैन बनते हैं । उनको ही सारी पर्चियों के बांटने का अधिकार होता है । वही सब से ज्यादा परची काटते हैं और सप्लाई करते हैं । सप्लाई का एक मात्र अधिकार उनको रहता है । इस तरह से संचालक मंडल की व्यवस्था जिस जिले में हुई है उसी जिले में अगर उसने ईमानदारी से काम किया है तो सही काम हुआ है और वहां पर किसानों के दाम का सारा भुगतान हो गया । कप्तानगंज शुगर मिल में सारा पैसा भुगतान हो गया है । प्रतापपुर शुगर मिल का सारा पैसा भुगतान हो गया है । वहां के संचालक मंडल ने ईमानदारी से काम किया है । विभाग के पास कुछ भी अधिकार नहीं है । सरकार को क्या अधिकार है । सारा अधिकार कोआपरेटिव के संचालक मंडल में निहित है । अगर संचालक मंडल ईमानदारी से काम करता है तो पैसे का भुगतान जल्दी हो जाता है । सुपर-वाइजर का अगर ट्रांसफर करना है तो मंत्री या मुख्य मंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता है । यह सब अधिकार उन लोगों के हाथ में ही है । गन्ने के दाम को दिलाने का सारा काम यूनियन में ही निहित है । यह सब उसकी ही जिम्मेदारी है । इसका समय बढाने से किसानों को फायदा है, हमारा फायदा है । किसान अपने गन्ने का काम समय से कर सकता है । गन्ने का मिल अगर ३० जून को बन्द हो जाता है और वह उसको बन्द करना चाहता है तो इससे उसके ऊपर दबाव रहेगा । वह बिला गन्ना पेरे अपना मिल बन्द नहीं कर सकता है । उसको पता रहेगा कि उसको इतना गन्ना पेरना है । अगर वह नहीं पेरेगा तो उसके लिये जिम्मेदारी उसकी होगी । उससे पैसा लिया जा सकता है और जुर्माना हो सकता है ।

इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि सप्लाई का काम सरकार अपने हाथ में ले या केन कमिश्नर अपने हाथ में सीधे ले और कभी संचालक मंडल को न दे । इससे किसानों की भलाई हो सकती है । जिन किसानों का गन्ना या जिनके पास ४० एकड़ गन्ना है और ५ पर्ची पड़ती है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिये । उसके लिये अगर टाइम को बढ़ाया नहीं गया तो उसका गन्ना गिर नहीं सकता है । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इतना सरकार से निवेदन करता हूं कि सप्लाई का काम संचालक मंडल से लेकर सरकार सीधे अपने हाथ में ले ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

जो गन्ना अधिनियम पर माननीय गेंदा सिंह जी ने संकल्प पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं तो अब १० मिनट का समय प्रत्येक सदस्य को दिया जायगा ।

श्री सुखपाल पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत कम समय लूंगा । सरकार को क्या आवश्यकता पड़ी कि वह यह अध्यादेश लाई । यह स्वयं, माननीय चरण सिंह जी भी जानते हैं जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे कि क्यों चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिये एक उपसमिति बनी थी। उस की कई बैठकें भी हुई थीं और एक समस्या उस वक्त खड़ी हुयी थी । उसके २ सदस्य थे एक सुमेर बनाये गये थे । [* * * *] जो मिल मालिकों और सरकार को जोड़ने का काम करते थे । मिल वालों से सौदा यही [* * * *] तय करते थे जो कि चौधरी चरण सिंह के दाहिने हाथ थे ।

श्री अध्यक्ष—

आप इस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप न करें, जो यहां सदन में मौजूद नहीं है उसके खिलाफ आप इस तरह से नहीं कह सकते । मैं इस को कार्यवाही से काट दूंगा । नाम उन का नहीं छपेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जब यहां माननीय गुप्ता जी विरोधी दल में थे और इन्डीकेट और बी० के० डी० की सरकार थी उस समय ऐसा अध्यादेश जारी किया गया जो कि किसानों के हित के विरुद्ध था, उसमें था कि १ अक्तूबर से चीनी मिलें न चलाई जाकर १६ अक्तूबर से चलाई जायं । मैं कहना चाहता हूं कि जो किसानों की बड़ी हिमायत और वकालत करने वाले नेता थे वह क्यों मिल वालों सामने झुकने पर तैयार हो गये । हमारे यहां एक कहावत है कि " जो गुड़ खावे वह कान छिदवाये" क्योंकि उन लोगों को मिल वालों की थैली के सामने झुकना पड़ा इसी वास्ते वह इस तरह का आर्डिनेन्स निकाले और संशोधन उन्हें करना पड़ा । इसके अलावा, कई और आवश्यक संशोधन थे जो होना चाहिये था । पिछले वर्ष हमारे प्रदेश में २२ लाख गन्ना उत्पादक थे और उनका ७ लाख क्विन्टल गन्ना खेतों में पड़ा रह गया और इस तरह से उनका साढे ५ करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ । उसके लिये किसी प्रकार का कोई उपाय या कानून में संशोधन करने की कोई आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ी । हर गांव में मिलों की तरफ से सेन्टर बनाये जाते हैं, कांटे और केन्द्र खरीदारी के खोले जाते हैं, वहां पर किसानों की खुली लूट होती है । वहां पर परचेजिंग एजेंट होने के लिये नियम है और वहां ठेका प्रथा नहीं है उस सब गड़बड़ी को दूर करने के लिये इस सरकार को कोई संशोधन विधेयक लाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस से तो मिल मालिकों का अहित होता और किसानों की लूट बन्द हो जाती ।

मैं निवेदन करूंगा कि यदि मुख्य मंत्री टी० एन० सिंह मनीराम में जा रहे हैं वह गन्ना उत्पादकों को उन की समस्याओं का उत्तर दें वर्ना उन्हें फिर राज्यसभा में लौट कर जाना पड़ेगा । अगर वह कहेंगे कि यह किसानों के हित में है तो यह कहने से वहां काम नहीं चलेगा । आज गन्ना किसानों की जो दशा है और जो इस तरह का कानून लाया जा रहा है वह किसानों के हित के विरुद्ध है कि जुलाई तक फैक्टरी चलें । आप जानते हैं कि वह ब्याह-शादी का सीजन होता है और १० जून तक बारिश आरम्भ हो जाती है, बुआई का समय होता है और ऐसे वक्त तक वह मिल चलाने की बात कर रहे हैं, वह किसान के बेटे हैं लेकिन आर्डिनेन्स जारी करते वक्त किसानों का हित नहीं देखते, वह लखनऊ में हमेशा रहते हैं उन्हें यहीं की बात याद रहती है । मैं निवेदन करूंगा कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों की लूट पिछली सरकार ने मुट्ठी भर मिल मालिकों से कराई जिसका कि विरोध उस वक्त माननीय गुप्ता जी और कृष्णानन्द राय जी, सभी ने किया था लेकिन आज उसी का समर्थन करने के लिये वह बठे हैं । मैं चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स में श्री गेंदासिंह जी

[* * * *] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया ।

के संशोधन को माना जाय क्योंकि यह किसानों के हित में होगा। जो १९ करोड़ रुपया बाकी है और सरकार जब अपना काम चलाने में असमर्थ है। इसका कारण यह है कि किसानों का सूद का पैसा वह आज दबाये हैं, किसानों से १८ प्रतिशत सूद बिजली बोर्ड के लिये रखा गया है, लेकिन मिल मालिकों के लिये यह ७ १/२ परसेन्ट रखा था। आज जो बस्ती और गोंडा में दशा है चीनी मिल मालिकों की, उसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, नवाबगंज के किसानों का १४ लाख रुपया बकाया होने के कारण उन्होंने हड़ताल की और वहां पर किसानों को अपने गन्ने के दाम नहीं मिले। घाघरा के कटाव और सूखे से पीड़ित किसानों से ५ रुपया फी पर्ची नवाबगंज के सी० डी० आई० एम० ने लिया। मुझे खुशी हुई कि हमारे गन्ना आयुक्त ने उनका ट्रांसफर टेलीग्राम भेजकर किया लेकिन फिर माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसको रोक दिया। आज इस पंचमेल एस० वी० डी० सरकार के समय में सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां के किसानों ने २५ रुपये कम दाम पर अपनी पर्चियों को व्यापारियों के हाथ बेचा और सी० डी० आई० एम० को ५ रुपया प्रति पर्ची देकर २ लाख का पेमेन्ट कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सुधार नहीं कर सकते थे ?

श्रीमन्, ३१ दिसम्बर, १९५८ को यह नियम बना था कि गन्ना सहकारी संघ उत्तर प्रदेश समाप्त कर दिया जाय लेकिन आज इसके कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा गरीब किसानों का पैसा पानी के रूप में बहाया जा रहा है। प्रादेशिक समिति तो समाप्त हो गयी है लेकिन कार्यकारिणी के सदस्य आज इन किसानों के पैसे की खुली लूट मचा रहे हैं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। यही नहीं अपनी राजनीति प्रभावित करने के लिये और कर्मचारियों को परेशान करने के लिए इसमें कार्य हो रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि केन फेडरेशन यूनियन को समाप्त करके इसकी जांच करानी चाहिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं और इन्होंने कितना पैसा टी०ए०, डी०ए० और जलपान में यूनियन का खर्च किया है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिया। आज मुझे यह जानकर निहायत अफसोस होता है कि हमारे वे प्रगतिशील साथी, जो कि किसानों के हितों की बात जगह जगह किया करते थे, इतने बड़े विषय पर जबकि उन कुर्सियों पर सुशोभित हो जाते हैं, जहां पर आप हमारे दूसरे दल के लोग हैं, मेरा मतलब सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से है, उनकी हां में हां मिला रहे हैं। ६ १/४ एकड़ की लगान माफी से बढ़कर किसानों का हित इन छोटी-छोटी बातों में है। पहली अक्तूबर से अगर १५ दिन आगे बढ़ा दिया गया तो इसमें क्या अक्ल थी। मैं भी एक छोटा-मोटा किसान हूं और मैंने यह निश्चय किया है कि अब हम गन्ना नहीं बोयेंगे। इसलिये कि गन्ना बोने के बाद यह होता है, हम तीन चार साल से देखते हैं कि उन्हें एक-एक आदमी के घर दौड़ना पड़ता है। पर्ची नहीं मिलती। अगर पर्ची मिल गई तो किसान वहां जाकर परेशान होता है, यह मिल मालिक की पूरी दास्तान जो आज हमारे दूसरे साथियों ने रक्खी। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा सबूत इसका कोई नहीं होगा कि हमारे सरकारी पक्ष की तरफ से जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने भी ईमानदारी के साथ, सिवाय एकाध को छोड़कर, हम लोगों की बात का ही समर्थन किया।

श्रीमन्, जुलाई का महीना ऐसा महीना है जिसके अन्दर कोई भी बैलगाड़ी चल नहीं पाती। एक महीना पूरा जुलाई का बढ़ा दिया गया। यह बात अक्ल में नहीं आती

[श्री जलील अब्बासी]

कि वे कौन से लोग हैं जिन्होंने यह माकूल राय सरकार को दी और सरकार ने मान लिया कि इसमें जनता का हित है। इसमें अगर किसी का हित हो सकता है तो वह हमारे मिल मालिकों का हित हो सकता है क्योंकि मिल मालिकों को आसानी हो गई। वे जो पर्चियां बांटते हैं उनकी मियाद पहली अक्तूबर, ३० जून तक रखकर पर्ची बांटते थे और अब १५ अक्तूबर से लेकर जुलाई तक लेंगे। जिस किसान ने तीन या चार बीघे ही गन्ना बोया हुआ है उसे जून या जुलाई के आखिर में पर्ची मिलेगी। जो बड़े-बड़े फार्मर हैं उनको कोई असुविधा नहीं है। उनको परमिट मिल जाती है और ज्यादा सप्लाई की वजह से वे पर्ची भी ज्यादा पा जाते हैं, ट्रक की पर्ची भी पा जाते हैं। पर्चेजिंग सैन्टर पर देकर सप्लाई करते हैं मिल पर भी करते हैं। इस तरीके से उनको तो आसानी पैदा हो गई क्योंकि वे तो सब खत्म कर लेंगे चाहे आप कोई भी कदम उठायें। लेकिन जो छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है जिनको एकाध पर्ची मिलती है, अगर एक मिलेगी दिसम्बर में तो दूसरी मिलेगी जुलाई के अन्त तक, इससे उनका बहुत बड़ा नुक्सान है और मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि सरकार जिद करे हमने जो भी संशोधन रक्खा है वह अकलमन्दी के साथ रक्खा है। यह जनता के हित का मसला है और इस पर सरकार को चाहिये कि वह गम्भीरता से विचार करे। अगर हमारे इस प्रस्ताव को आप मान लेंगे तो उससे गवर्नमेन्ट गिर नहीं जायेगी। इससे आप जो जनता के अन्दर परेशानी हैं, जाहिर है उसको रफा करने का काम करते हैं न कि अड़ंगा लगाने का। इसलिये मैं इसका सख्त विरोध करता हूं।

इसके साथ-साथ मैं दो शब्द और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जो बकाया ऋण बाकी है किसानों का उसके लिये सरकार ने दिमाग में कुछ सोचा है कि यह पैसा कैसे वसूल होगा। इसके ऊपर जो आन्दोलन करने वाली पार्टी थी वह तो जाकर सरकार में बैठ गई। जिनका काम था आन्दोलन, उन्होंने सरकारी कुर्सियां ले ली। जो काम हमने कभी नहीं किया वह हमें करना पड़ेगा। अपोजीशन का काम है आन्दोलन करना और जनता के हित में करना। उनके हितों की रक्षा करना यह विरोधी दल का काम है। अगर ये हमारे पुराने अखाड़े के पहलवान लोग जो काफी अच्छे पहलवान थे कुर्सियों की ओर चले गये तो वे याद रखें कि उनको जनता के पास जाना है और जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप कुर्सियों पर बैठकर जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम भी उससे बेखबर नहीं रह सकते। अगर आप छोड़ देंगे तो हमें तो करना ही है। मैं यह समझता हूं कि जुलाई के एक महीने का टाइम बढ़ाना और अक्तूबर में पन्द्रह दिन का टाइम घटाना दोनों ही जनता के हितों के खिलाफ है। मेरे भाई ने बड़े जोर से कहा कि अक्तूबर में बुवाई का काम होता है और उस वक्त लोग परेशान रहते हैं। वे भूल गये कि जितनी जल्दी किसान का गन्ना निकल जाय उतना ही वह खुशकिस्मत होता है। मैं कहता हूं कि आप किसान से जाकर पूछिये कि वह क्या चाहता है? १ अक्तूबर में गन्ने में ज्यादा रस होता है वह चाहता है कि उस वक्त उनको पर्ची मिले, जुलाई तक उसका गन्ने का एक तिहाई रस सूख जाता है। जरा सोचिये उस वक्त जो उसको उसके गन्ने की कीमत मिलेगी उसमें उसको कितना घाटा होगा। इसलिये मैं माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री गेंदा सिंह का नाम पुकारने पर) श्री गेंदा सिंह नहीं हैं, श्री चेतराम जी, आप बोलिये।

*श्री चेतराम गंगवार—

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह विधेयक किसान विरोधी है..... (व्यवधान)। इस सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे माननीय हिम्मत सिंह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी हैं, यह किसान के बड़े ही हमदर्द हैं, मुझे ताज्जुब है कि यह कैसे इस विधेयक को ले आये जो किसान विरोधी है। अभी माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने और माननीय शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। कही हुई बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। उन्होंने किसानों के पक्ष की बातें कहीं। अब तक गन्ने की पिराई के लिये ३० जून तक का समय था। अब इस विधेयक के द्वारा उसका समय ३१ जुलाई किया जा रहा है। मुझे श्रीमन्, अपना गन्ना तीन-तीन नदियों को पार करके मिल तक ले जाना पड़ता है। १५ जून से बारिश शुरू हो जाती है। मान्यवर, अब बताइये कि ३१ जुलाई को हम अपना गन्ना जबकि बरसात शुरू हो जायेगी कैसे ले जायंगे मिल तक? क्या सरकार उसके लिये हैलीकाप्टर का इन्तजाम करेगी?

इसके अलावा मान्यवर, जो स्टाक होगा उसको भी आपको ३१ जुलाई, तक का वेतन आदि देना पड़ेगा। तो यह खर्चा भी सरकार का बढ़ेगा। यही नहीं, मान्यवर, आप अन्न के लिये दूसरों के सामने झोली फैलाते हैं। लेकिन इधर ऐसा काम कर रहे हैं कि किसान जो धान की फसल एक बो लेता था वह न बो पाये। अब ३१ जुलाई तक गन्ना उसके खेत में खड़ा रहेगा, तो वह धान की फसल बो ही नहीं पायेगा। इस तरह से आप खाद्य समस्या हल करने के कार्य में एक रोड़ा अटका रहे हैं।

मैं श्रीमन्, आपकी सेवा में एक कहानी कहना चाहता हूं। कहानी यह है, एक शेखचिल्ली था उनके यहां मक्का और ज्वार बाजरा बहुत होता था, वह मकई रखाया करते थे यानी चिड़िया फुर्र-फुर्र उड़ाया करते थे। एक बार उनको रास्ते में एक चिड़ीमार मिल गया तो उसने उन शेख चिल्ली की बहुत पिटाई की और कहा कि चिड़ियां तुम उड़ाते हो। तुम यह कहो कि आओ और फंसो। जैसे सरकार अपना रंग बदलती है, वैसे ही वह शेखचिल्ली था और वह अपनारंग बदल कर कहने लगा आओ और फंसो। कुछ समय बाद कुछ लोग ऐसे मिल गये जो गिरह कटी आदि करने जा रहे थे। उन लोगों के सामने यह जब शेखचिल्ली ने कहा तो उन्होंने भी उसकी खूब पिटाई की। (व्यवधान) तो मैं आशा करता हूं कि सरकार उसी प्रकार से शेखचिल्ली का कार्य नहीं करेगी, क्योंकि उनका रखवाला बैठा हुआ है गांव में। जब वह उसके सामने वोट मांगने जायंगे तो वह उनसे पूछेगा और उन्हें इसका जबाव देना पड़ेगा। सरकार इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये और विधेयक तथा अध्यादेश वापस ले ले, इसकी अपने प्रदेश में कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर मंत्रिगण एक किसान का हृदय और मन रखते हैं, इसलिये हम उनको उनके कर्त्तव्य का भान करा रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप सरकार से कहें कि वह अध्यादेश वापस ले ले।

दूसरी बात मैं प्रदेश के हित के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि सन् ५३ का उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम जो है वह हमारे पास है——उसकी धारा १५ की उपधारा (२) में लिखा हुआ है—"यदि कोई क्षेत्र किसी फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र प्रख्यापित कर दिया गया हो तो उक्त फैक्टरी के अध्यासी को, यदि गन्ना कमिश्नर ऐसा आदेश दे, उक्त क्षेत्र में उत्पन्न सभी गन्ने को, जो बिक्री के लिये फैक्टरी को प्रस्तुत किया जाये, खरीदना पड़ेगा"। जो क्षेत्र हमारा रिजर्व होता है, उस फैक्टरी के लिये यह जरुरी है कि फैक्टरी उसको खरीदे। किन्तु यदि वह इंकार करता है खरीदने से तो वह क्या करेगा? इसकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। आप तो गन्ना किसानों के हितैषी है, इसलिये इस धारा में अमेंडमेंट कर दीजिये और यह कर दें कि फैक्टरी गन्ना नहीं खरीदेगी, तो जिस प्रकार से किसान से दो रुपया क्वींटल पिनाल्टी लेता है, उसी प्रकार से मिल को पिनाल्टी देनी पड़ेगी। इस व्यवस्था के करने से किसान समझेगा कि सरकार वास्तव में हमारे पक्ष में है और हमारा कल्याण चाहती है। अन्त में मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसे वापस लेने की घोषणा करने की कृपा करें।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्रीमन्, मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव रखा था, यदि गेंदा सिंह जी नहीं हैं, तो आप हमें बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

आपने पेश नहीं किया है, जिसने पेश किया है, उसी को उत्तर देने का अधिकार होना चाहिए।

*मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रसन्नता है कि इस जरूरी बात पर, जरूरी विषय पर मेम्बरों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ बहस की। चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का बहुत ही महान् उद्योग है, इसका बड़ा महत्व है, बड़ी उपयोगिता है और जिस स्थिति में हमारा देश और प्रदेश है, उसमें यह एक किरण है औद्योगीकरण की। हम सभी लोग बात करते हैं कि एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहिए, लेकिन चीनी उद्योग सचमुच में एक एग्रो इंडस्ट्रीज का अच्छा उदाहरण है। इस वास्ते हमारा और आपका एक मंतव्य है कि यह उद्योग पनपे, बढ़े, अच्छी तरह से रहे। कुछ ठीक ही हुआ, जो कुछ अब तक रिसीवर्स इत्यादि एप्वायन्ट हुए थे, और वह जरूरी भी था और जब भी जरूरत पड़ेगी तो उसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा। यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। साथ ही इस बड़े उद्योग का भविष्य क्या होगा इस बारे में भी हम चिन्तित हैं। हमारे यहां खेती में इसकी उपज कम है और सुकरोज कन्टेन्ट्स भी कम हैं। नतीजा यह हुआ है कि यह उद्योग भी धीरे-धीरे दक्षिण में जा रहा है। जब मैं इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर था और योजना कमीशन का सदस्य था तो मैंने प्रयास किया कि हमारे प्रदेश में यह उद्योग बढ़े और मुझे आप को यह बतलाते हुये कोई संकोच नहीं होता कि किसी वजह से उस वक्त एक हवा बह गई थी कि उत्तर प्रदेश इस उद्योग के लिये ठीक जगह नहीं है। हलके-हलके वहां बहुत सी गन्ना मिलें खुलने लगीं और आज हमारे यहां जितना होता है बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर, पहले जहां ८०, ९० प्रतिशत चीनी पैदा होती थी, अब वहां ५० प्रतिशत से भी कम है। यह स्थिति है, इसलिये हमें सचेष्ट होना है। हमें यह देखना है कि हम खेती में उन्नति करें ताकि पर एकड़ ईल्ड गन्ने की बढ़े। साथ ही हमारे यहां यह उद्योग भी बढ़े, पनपे और लाभकारी हो। अगर नहीं बढ़ेगा तो उद्योग नहीं चलेगा और इस उद्योग के बड़े-बड़े कम्प्लेक्सेज हैं। मेरे बहुत से अरमान हैं। मैं समझता हूं कि यह उद्योग तभी बढ़ेगा जब बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता होगा यानी मोलेसेज, बेबाश, अलकोहल वगैरह। जब बाई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा तभी यह बढ़ सकेगा। यह अलग बात हुई।

मैं इस वक्त यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने दो वर्षों से एक अजीब स्थिति पैदा हो है। हमारे यहां गन्ने की उपज बढ़ गई है। पर एकड़ ईल्ड ज्यादा नहीं बढ़ी है लेकिन यहां टोटल उपज ज्यादा बढ़ गई है और नतीजा यह हुआ है कि जो मिल थे वह उतना गन्ना जितना कि उनके हिस्से में था वह क्रश नहीं कर सकते थे। तो पिछले साल यह हुआ कि हमने जुलाई का समय बढ़ा दिया। यह इसलिये बढ़ाया गया कि किसानों का गन्ना पेरा जा सके। यह मिल मालिकों के लाभ के लिये नहीं बल्कि किसानों के लाभ के लिये किया गया। मई के बाद गन्ने के सुकरोज कन्टेन्ट्स कम हो जाते हैं और जुलाई में ३ या ४ प्रतिशत रह जाते हैं। जहां ९ या १० प्रतिशत सुकरोज कन्टेन्ट्स होते हैं वह जून जुलाई में ५ या ४ प्रतिशत रह जाते हैं। इस प्रकार गन्ने से चीनी अधिक नहीं निकली तो मिल मालिक कभी नहीं चाहते हैं कि जून के बाद मिल चलें। पिछले साल भी केन्द्रीय सरकार ने हमको प्रोत्साहित किया कि हम उनको छूट देंगे। उन्होंने इक्साइज ड्यूटी में इन्करेज भी किया था। तो अगर ऐसा न किया गया होता तो किसानों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का नुकसान होता। ५८ रु० क्विन्टल का नुकसान होता है ऐसा मुझे बतलाया गया है। तो ऐसी हालत में यह किया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि अगर हम कोई कार्य गलत करें तो आप विरोध करें लेकिन सत्य से परे होकर ऐसा न करें। ऐसा मेरा विचार है। इस साल भी गन्ने की उपज अधिक है। तो क्या होगा कि मई के बाद मिल वाले गन्ना पेरना बन्द कर देंगे और हमारे किसानों की फसल यों ही खड़ी रह जायेगी और उसे या तो जला द, या बेकार जाय, नष्ट हो जाय, या पशुओं को लिखा डालें, यह हालत होगी तो क्या होगा, क्या आप इसको पसन्द नहीं करेंगे कि इसका सही तौर से इस्तेमाल किया जाय? आखिर उन्ह दाम तो मिलेगा ही जो दाम कि उन्हें मिलना चाहिये। आखिर इसमें किसान भाइयों का क्या अपराध है ?

मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। माननीय कल्यान सिह जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि पहली अक्तूबर से इसका सीजन जारी कर दिया जाय, मैं उसको मंजूर करता हूं और वह अच्छा रहेगा। इस तरह से हमारे किसान भाइयों का गन्ना बिक जायेगा। गन्ना पेरन के काल को बढ़ा दिया गया है, उसको घटाया नहीं गया। घटाना नहीं चाहिये, यह किसानों के हित में नहीं है। मेरे पास तो मिल मालिकों के रेप्रेजेंटेटिव इस बात को लेकर आते है कि हमें जून–जुलाई में गन्ना पेरने के लिये बाध्य न किया जाय। वे उन दिनों गन्ना नहीं पेरना चाहते क्योंकि उस समय सुक्रेज कंटेंट कम होता है। आप लोग यही चाहते है जो मिल मालिक चाहते है, मुझे तो यह बात सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं धक हो गया। मैं अपने को किसी से कम समाजवादी नहीं समझता हूं और मैं जानता हूं कि गरीब किसानों का दुख दर्द क्या है ? और अपनी बुद्धि से जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं अपनी सीमा के अन्दर।

(व्यवधान)

(श्री कृष्ण कान्त के खड़े होने पर)

मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके ऐसा न करें। इससे आपको ही असुविधा होगी। जब म बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और बोल रहा हूं तो आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

अगर माननीय मुख्य मंत्री नहीं बैठते हैं तो आपको (श्री कृष्णकान्त) बैठना पड़ेगा। जो बोल रहा है उसके बीच में कोई टोकना चाहे तो मैं उनको बैठा दूंगा।

श्री कृष्णकान्त (जिला सीतापुर)––

सदन की परम्परा रही ह कि यदि कोई सदस्य जानकारी हासिल करना चाहे तो वह कर सकता है।

श्री त्रिभुवन नारायण सिह––

मैं जानकारी देने से कोई भागता नहीं हूं। मैं आपसे कहता हूं कि जब आप बाद में कोई सवाल पूछेंगे और माननीय अध्यक्ष कह देंगे कि सवाल पूछना उचित है तो मैं उस सवाल का जबाव भी दूंगा। भागता नहीं मैं सवाल का जबाव देने से लेकिन इतनी मैं उम्मीद करता हूं और दरख्वास्त कर रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मुझे इंटरप्ट न किया जाय तो क्या बुराई हो गयी ? आप जरा ध्यान से मेरी बात सुने होते तो आपका क्या बिगड़ जाता, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

ऐसे डांटने से हम बैठने के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष---

जब आप शोर करेंगे तो मेरा काम मुश्किल हो जायगा ।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

मैं सोचता हूं कि आप यहां की परम्परा को कायम रखें ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी बुजुर्ग हैं और हम उनका आदर करते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के पीछे बैठने वाले चाहते हैं कि हम उनके बोलने में बाधा डालें । तो माननीय मुख्य मंत्री जी उनको जरा मना करें । हम लोग बैठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

अगर माननीय मुख्य मंत्री के बोलने के बीच में कोई बोलना चाहे तो मेरा काम है कि मैं उनको रोकूं क्योंकि जब तक वे बैठते नहीं हैं तब तक आप उनसे नहीं पूछ सकते । जब वे बैठ जायें तब आप पूछें । लेकिन यह शोर करते हैं तो मेरा काम है व्यवस्था करने का । आप शोर न करें ।

श्री त्रिभुवन नारायण सिंह---

मैं कह रहा था कि मिल मालिक तो चाहते हैं कि जून जुलाई में मिलें न चलें लेकिन हम चाहते हैं कि चलें और वह इसलिये कि किसानों का फायदा हो, उनके गन्ने पेरे जायं । इसी वजह से यह नियम बनाया गया है । इसलिये यह विधेयक वाजिब है और किसान व प्रदेश के हित में हो गया है । इसलिए यह विधेयक वाजिब है और किसान व प्रदेश के हित में मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसको आप पास करें ।

श्री कृष्णकान्त---

माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानकारी चाहता था कि प्रदेश में क्रशर्स हैं जिन पर दो से ढाई रुपये कुन्तल गन्ना खरीदा जाता है और मिलों की हालत यह है कि उनके जो केन्द्र हैं उन पर फी कुन्तल पांच छः किलो की कटौती हो जाती है । तो क्या मुख्य मंत्री जी क्रशर्स पर जो गन्ना लिया जाता है उसकी कीमत पांच रुपया कुन्तल कराने की कृपा करेंगे और जो मिल के केन्द्रों पर कटौती के रूप में भ्रष्टाचार है उसकी जांच करा कर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे ।

श्रीमती इन्द्र मोहिनी---

यह दूसरा विषय है । इसका विधेयक से सम्बन्ध नहीं है । लेकिन जो शिकायत आप कर रहे हैं उसको दिखला लेंगे ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)---

अभी मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में देश में शकर की कुल पैदावार का ८० प्रतिशत शकर होता था लेकिन अब यह कम होकर ५० प्रतिशत रह गया है । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गन्ने की पैदावार अधिक होने लगी है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें दोष मिल मालिकों का है या काश्तकारान का ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, क्या यह समय प्रश्नोत्तर के लिये रख दिया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक अक्तूबर से क्रशिंग सीजन चलेगा....

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास संशोधन है। वह उन्होंने पहले कह दिया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं यह कह रही थी कि उन्होंने मान लिया है कि १ अक्तूबर से क्रशिंग सीजन चलवायेंगे, इसलिये मैं अननुमोदन का प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस लेती हैं। मैं इसको सदन के सम्मुख रखता हूं।

(सदन की अनुमति से अननुमोदन का प्रस्ताव वापस लिया गया)।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ १९५३ धारा २ संशोधन

२--उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन), अधिनियम, १९५३ की धारा २ में, खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १ अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली ३० जून को समाप्त हो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "किसी भी वर्ष में उस अवधि से है जो १६ अक्तूबर से प्रारम्भ हो और उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाली ३१ जुलाई को समाप्त हो" रख दिये जायं।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं, खण्ड २ की पंक्ति ४ में '१६ अक्तूबर' के स्थान पर '१ अक्तूबर' और '३१ जुलाई' के स्थान पर '१५ जलाई' रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ की पंक्ति चार में '१६ अक्तूबर' के स्थान पर '१ अक्तूबर' और '३१ जुलाई' के स्थान पर '१५ जुलाई' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३, १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १२, १९७० का निरसन

३—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, १९७० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1970

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने के लिये

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीस वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) यह ३० जून, १९७० से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती इन्द्रमोहिनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

मुख्य मंत्री से सम्बद्ध उपमंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहिनी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्द्रमोहिनी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करती हूं उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित विष्ट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०†

वित्त राज्य मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर सदन में अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।) मान्यवर, आज जितनी रजिस्ट्री हो रही हैं, चाहे वह भूमि की हों, चाहे मकान की हो या दूसरे प्रकार की रजिस्ट्री हों, उनमें कई तरह की गड़बड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। इस प्रकार की रजिस्ट्री से सरकार को धन की हानि हो रही है इसके अलावा जनता को भी नुकसान हो रहा है। मान्यवर, जो रजिस्ट्री लिखाने वाला है वह प्रापर्टी का वास्तविक मूल्य लिखाने के बजाय उसके कम मूल्य पर दिखाकर लिखाता है। यद्यपि रजिस्ट्री लिखाने वाला रजिस्ट्री करने वाले को पूरा मूल्य देता है लेकिन सरकारी टैक्स की भारी हानि होती है। मैं यह चाहता हूं सरकार यह व्यवस्था करे कि जो मकान हो, भूमि हो या अन्य प्रकार की प्रापर्टी हो उसका सही मूल्य आंकने के लिये कोई पैमाना बनाये जिससे वास्तविक मूल्य जो प्रापर्टी का हो उसी पर रजिस्ट्री हो जिससे सरकार को पूरी-पूरी फीस मिल सके। मान्यवर, होता यह है कि अगर किसी की १०,००० रु० की प्रापर्टी है तो वह ४,००० रू० की लिखाता है। इससे जो १०,००० रु० पर स्टाम्प लगाना चाहिये, जो रजिस्ट्रेशन फीस सरकार को देनी चाहिये वह उससे बच जाता है।

दूसरी चीज यह है और मैं सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल बहुत सी जाली रजिस्ट्री हो रही हैं। दूसरे के नाम पर दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन या अन्य तरह की प्रापर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमारे कई साथियों ने बताया और मेरे क्षेत्र का ही किस्सा है कि इस तरह की कई रजिस्ट्री हुई है। दूसरे लोगों को उसी नाम से

---

†१७ दिसम्बर, १९७० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री माता प्रसाद]

खड़ा करके उनकी जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कभी-कभी तो यह होता है, मान्यवर, लोग दूसरे प्रदेश में हैं या मौजूद नहीं हैं अपने घर में, उन लोगों के नाम से दूसरे लोगो को खड़ा कर के उनकी जमीन जायदाद को लिखवा लिया गया। हमारे भूतपूर्व मन्त्री श्री राम लखन जी ने बताया कि एक हरिजन के नाम जमीन है और वह वहां आबाद हैं और उसी व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति को जहां रजिस्ट्री होती है, खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली गई। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस चीज को रोकने के लिये जो भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने के लिये जाय, वह अपना पास-पोर्ट साइज का फोटो वकील, प्रधान या लेखपाल के द्वारा प्रमाणित करके दे और साथ में एक हलफनामा या शपथ-पत्र भेजे कि वास्तव में रजिस्ट्री करने वाला कौन व्यक्ति है। इससे यह मालूम हो जायेगा कि जो रजिस्ट्री कर रहा है वह वही व्यक्ति है जिसकी जमीन है। अगर यह व्यवस्था सरकार कर दे तो जो दूसरों के नाम से दूसरे लोगों को खड़ा करके मकान, जमीन, जायदाद की रजिस्ट्री करा ली जाती है वह बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

सदन में शान्ति होनी चाहिये।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इससे सरकार का कोई भी खर्चा नहीं है। पास पोर्ट साइज का फोटो लेकर और उसे प्रमाणित कराकर कि यह वही व्यक्ति है जो रजिस्ट्री करना चाहता है--अगर ऐसा हो जाय तो जो गरीब व्यक्ति हैं उनको पता नहीं होता है और उनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार के आफिस में हो जाती है और गरीब को पता चलता नहीं। तरमीम होने के पहले पता चल गया तो गरीब को मुकदमा लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर तरमीम हो जाती है दूसरे व्यक्ति के नाम से तो दूसरे जबरदस्ती लोग उस पर काबिज हो जाते हैं। लिहाजा जो संशोधन मैंने दिया है अगर उस रूप में उसे स्वीकृत न किया जा सके तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जो दूसरों के नाम रजिस्ट्री करा लेते हैं उसे बन्द किया जा सके।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि रजिस्ट्री कराने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां होता है और वह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में नहीं आता। रजिस्ट्री कराने वाला व्यक्ति जब आता है तो रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृत जो स्टाम्प वेंडर होते हैं उनको ५ से ८ प्रतिशत तक प्रापर्टी की कीमत पर उसे रुपया देना होता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

सरकारी बेंचेज की ओर से बड़ा शोर हो रहा है और इधर से जो भाषण हो रहा है वह सरकार के कान तक नहीं पहुंच पा रहा है। उधर के लोग जरा शान्ति से सुनें हमारी बातों को।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

तमाम मंत्री गण बातें कर रहे हैं और आगे की बेंचेज पर और इधर से जो बातें कही जा रही हैं उनका कोई लाभ नहीं है। वह हमेशा बातें किया करते हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र (जिला झांसी)--

जरा आप अपनी ओर भी देख लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि यहां पर कृष्णानन्द राय जी तथा चौधरी गिरधारी लाल जी बैठे हुये हैं। दूसरे लोग बोल रहे हैं। इनकी बातों को जरा सुना जाय।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री दीपनारायण मणि)--

हम लोग बड़े गौर से सुन रहे हैं और टीका-टिप्पणी कर रहे हैं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन शोर तो न हो ।

श्री माता प्रसाद--

स्टाम्प वेंडर के यहां गैर सरकारी लोग होते हैं। रजिस्ट्री के वक्त वे ५ प्रतिशत से ८ प्रतिशत तक रजिस्ट्री कराने वाले ले लेते हैं । स्टाम्प वेंडर इस प्रकार इस प्रतिशत के अलावा अपनी फीस लेता है, स्टाम्प की कीमत लेता है । इसको सरकार द्वारा रोकने का इन्तजाम होना चाहिये । इसके अलावा जाली पट्टों की घटनायें जिलों में बहुत हो रही हैं, इनको रोकने की व्यवस्था माननीय मंत्री जी को करना चाहिये।

श्री राम सिंह खन्ना--

अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य के संशोधन को मानने में आपत्ति है । अगर उस मान लिया जाता है तो इस विधेयक क पास होने में दर होगी जब कि देर होना जनता के हित में न होगा । यह विधेयक लाया ही इसलिये गया है कि रजिस्ट्री जल्दी हो और इस कारण ही नकल साथ में दाखिल करने का प्राविधान विधेयक में किया गया है। यह बात जो कही जा रही है कि रजिस्ट्री कराने वाला धोखा देकर दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा लेता है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है जिसमें ऐसा करने वाले को सजा दी जा सके ।

दूसरी बात यह कही गयी कि वह रजिस्ट्री कराने वाला फोटो खिचा कर प्रमाणित कराये और कागजात के साथ दाखिल करे । मान्यवर, बैंकों के नेशनलाइजेशन के बाद ज्यादातर गांव के लोगों को जमीन गिरवी रखकर उसे रजिस्ट्री करा कर रुपया जुटाना होता है, रुपया हासिल करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है । यदि यह व्यवस्था की गयी तो गांव में इस तरह की सुविधा नहीं है कि वह पहले फोटो खिचवाये तब रुपया हासिल करे । इससे किसान को कठिनाई होगी और ज्यादा खर्च भी । दूसरी बात यह है कि उनको यहां आकर फोटो खिचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी । हमने यह व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई गल्ती पायी जाती है तो जो गल्ती करेगा उसको कड़े से कड़ा दन्ड दिया जायेगा । रजिस्ट्रेशन अथौरिटी को विधेयक में यह हक दे दिया है कि पैरवी नवेसों को लाइसेंस दे दिया जाया करे जिसके जरिये से वे उन पर नियंत्रण रख सकें। इसी के लिये यह व्यवस्था बनाई गई है। इसी बात पर मुझे आपत्ति है। माननीय सदस्य को इस पर संशोधन रखने पर काफी कष्ट हुआ किन्तु इसके ऊपर की बातों को सामने रख कर मैं उनकी बात को नहीं मान सक रहा हूं । अतः मैं सदन स अनुरोध करूंगा कि वह इसे पारित करे ।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फोटो के विषय में यह आपत्ति उठाई कि उनको ऐसा करने में शहर आना पड़ेगा और उनका खर्चा होगा । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था हर जगह पर है । अतः जो मंत्री जी ने कहा है वह उचित नहीं है । मेरी कान्स्टीटुयेन्सी में कितने ही ऐसे किस्से हुये हैं कि दूसरों को खड़ा करके दूसरे की जमीनों को लिया जा रहा है । माननीय मंत्री जी तो यहां पर बैठे हुये हैं, उनको पता नहीं चलता है किन्तु जब वह आदमी काबिज होने के लिये आता है तब पता चलता है....

श्री अध्यक्ष--

अब मैं आपके संशोधन प्रस्ताव पर सदन की राय लेता हूं। प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो एक सप्ताह के भीतर सदन में अपना प्रतिवेदन उपस्थित करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे :)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

१९०८ का अधिनियम संख्या १६ में नयी धारा १८-क का बढ़ाया जाना

२--रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ में (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा १८ क पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

रजिस्ट्री के लिए दस्तावेजों के साथ उनकी एक सही प्रति संलग्न की जायगी।

"१८-क--(१) रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर रजिस्ट्रीकरण के लिए उप स्थापित किसी भी दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करेगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज की एक सही प्रति और धारा १९ में अभिदिष्ट कोई दस्तावेज होने की दशा में उसमें अभिदिष्ट अनुवाद की भी एक सही प्रति साथ न हो।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रति कारबन प्रति नहीं होगी, और कागज के केवल एक ओर स्वच्छ रूप से हस्तलिखित, मुद्रित या टंकित होगी, अथवा टंकित विषय की साइक्लोस्टाइल प्रति होगी और वह ऐसे नियमों के अनुसरण में, यदि कोई हो, तैयार की जायगी, जो तदर्थ बनाए जायं, और उसमें नियत रीति से ऐसी घोषणा निहित होगी कि उक्त प्रति, यथा स्थिति, दस्तावेज या अनुवाद की सही प्रति है।"

श्री अध्यक्ष--

इसमें खंड २ के बारे में श्री माता प्रसाद जी का संशोधन है। वे बोलें।

श्री माता प्रसाद--

मान्यवर, खंड २ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८-क की उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय:

"(३) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्त्ता व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी पास पोर्ट साइज फोटो की दो प्रमाणित प्रतियां एवं रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में एक हलफनामा (एफीडेविड) रजिस्ट्रीकरण के पूर्व ही रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर के समक्ष उपस्थित करेगा।"

मान्यवर, मैं बता चुका हूं कि अगर माननीय मंत्री जी किसी भी तरह से उसकी पास पोर्ट साइज की व्यवस्था करेंगे तो मैं अपने इस संशोधन प्रस्ताव को वापस लेता हूं अन्यथा नहीं लेता हूं।

श्री राम सिंह खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय सदस्य की इस बात को मानने से मजबूर हूं क्योंकि इसमें अब देर नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ में उल्लिखित मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा १८—क की उपधारा (२) के पश्चात निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में बढ़ा दिया जाय :

"(३) प्रत्येक रजिस्ट्रीकर्त्ता व्यक्ति के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपनी पास पोर्ट साइज की फोटो की दो प्रमाणित प्रतियां एवं रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में एक हलफनामा (एफीडेविड) रजिस्ट्रीकरण के पूर्व ही रजिस्ट्रीकर्त्ता आफिसर के समक्ष उपस्थित करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३—६

३—मूल अधिनियम की धारा ५२ में, उपधारा (१) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— धारा ५२ का संशोधन।

"स्पष्टीकरण—उक्त पुस्तक में दस्तावेज की नकल की जाने के अन्तर्गत उस पुस्तक में उसकी प्रति चिपकाना भी है।"

४—मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्— धारा ६२ का संशोधन।

"स्पष्टीकरण—उक्त रजिस्टर में अनुवाद के उतार लिये जने के अन्तर्गत उस रजिस्टर में ऐसे अनुवाद की प्रति चिपकाना भी है।"

५—मूल अधिनियम की धारा ६९ में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्— धारा ६९ का संशोधन।

"(जज) धारा १८-क और १९ के अधीन परिदत्त की जाने वाली प्रतियां और अनुवाद तैयार करने और उन्हें सही तथा विश्वस्त प्रतियां या अनुवाद घोषित करने की रीति का विनियमन करने वाले, (जजज) दस्तावेज लेखकों को लाइसेंस देने, ऐसे लाइसेंसों को निलम्बित या विखंडित करने, उन शर्तों, जिन पर और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसे लाइसेंस दिये जाएंगे जो निलम्बित या विखंडित किये जायेंगे, और सामान्यतया, रजिस्ट्रीकरण के लिये उपस्थापित किये जाने वाले दस्तावेजों को, ऐसे दस्तावेज लेखकों द्वारा प्रालेखन तथा लेखन से सम्बद्ध, सभी प्रयोजनों की व्यवस्था करने वाले, (जजजज) अनुक्रमणिकाओं और धारा ५१ के अधीन रखी गई पुस्तकों की पुनः नकल करने की रीति का विनियमन करने वाले।"

६—मूल अधिनियम की धारा ८२ में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्— धारा ८२ का संशोधन।

"(ख) रजिस्ट्रीकर्ता आफिसर को धारा १८-क, धारा १९ या धारा २१ के अधीन किसी कार्यवाही में किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति या अनुवाद

या किसी मानचित्र या रेखांक की मिथ्या प्रति साशय परिदत्त करेगा या इस प्रकार मिथ्या घोषणा करेगा, अथवा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३,४,५, और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार ।

१—(१) यह अधिनियम रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७० कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसिंह खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण, (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मन्नू पुत्र मंगल, निवासी गोरखपुर की पुलिस हिरासत में गोली मार कर हत्या के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह)—

मन्नू पुत्र मंगल मूल निवासी ग्राम जसवल, थाना पीपीगंज, जिला गोरखपुर अरसे से गोरखपुर शहर में बदमाशों का एक दल बनाकर अपराध किया करता था । उसके विरुद्ध सन् १९६५ से इस वर्ष तक अपराधों की अनेकों सूचनायें गोरखपुर पुलिस को प्राप्त हुईं जिनके आधार पर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे कायम हुए और कई मामलों में उसका चालान भी हुआ किन्तु उसकी सरकशी और गुंडागरदी के कारण न्यायालय में गवाहों के टूट जाने के कारण वह किसी अपराध में दंडित नहीं हो सका ।

सन् १९६७ में मन्नू तथा उसके ६,७ साथियों ने हरिशंकर तिवारी जो अवांछनीय प्रकार का व्यक्ति है तथा उसके साथियों पर आक्रमण किया जिससे हरिशंकर व उसके साथियों को कोई चोट नहीं आई परन्तु चार अन्य लड़के छूरों से जख्मी हो गये थे। इस घटना की सूचना हरिशंकर तिवारी द्वारा थाना कोतवाली में दी गयी और धारा १४७/३०७ भा० द० वि० का एक मुकदमा थाना कोतवाली में मन्नू तथा उसके ६,७ साथियों के विरुद्ध कायम किया गया। यह अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। तभी से हरिशंकर तथा मन्नू के साथियों में आपस में रंजिश चली आ रही थी। इस अभियोग में मन्नू हाजिर अदालत होकर जेल भेजा गया था और जमानत पर रिहा हुआ था।

मन्नू ने अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक १४-६-७० को एक हत्या की जिसके संबंध में उसके विरुद्ध धारा ३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिये मन्नू फरार हो गया। फरारी की हालत में ही दिनांक २०-६-७० को पुनः उसने हात्सीगंज बाजार में राहजनी का अपराध किया जिसके संबंध में उसके विरुद्ध धारा ३९२/३९७ भा० दं० वि० का एक मुकदमा थाना राजघाट में कायम हुआ। दोनों अभियोगों के संबंध में गिरफ्तारी से बचने के लिये मन्नू भागकर बस्ती चला गया और वहां पर दिनांक २७-६-७० को ए० डी० एम० (जे) बस्ती के न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र देकर हाजिर हो गया और जेल भेजा गया। प्रार्थना-पत्र में इस बात का कोई तजकरा नहीं है कि इसको हरिशंकर तिवारी या उसके किसी साथी से कोई खतरा है और उसको गोरखपुर जेल न भेजा जाय।

मन्नू अभियुक्त का उपरोक्त मूल प्रार्थना-पत्र गोरखपुर में प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष, राजघाट की प्रार्थना पर ए० डी० एम० (जे०) गोरखपुर ने दिनांक ६-९-७० को ए० डी० एम० (जे०) बस्ती को मन्नू अभियुक्त के गोरखपुर को स्थानान्तरण के संबंध में एक परिपत्र भेजा और साथ में वारंट भी भेजा। इसके आधार पर मन्नू अभियुक्त दिनांक ११-९-७० को बस्ती जेल से नियमानुसार दो कानिस्टेबिलों की हिरासत में वापरदा गोरखपुर जेल लाया जा रहा था। गोरखपुर शहर में गोलघर में साढ़े आठ बजे रात्रि को मन्नू के ऊपर गोली से प्राणघातक आक्रमण हुआ जिससे वह बुरी तरह जख्मी हुआ। मन्नू अस्पताल पहुंचते-पहुंचते चोटों के कारण मर गया। मन्नू अभियुक्त को बचाने के प्रयास में उसके साथ आने वाले कानिस्टेबिल दयालीराम को भी छूरे की चोटें आईं। बस्ती के दूसरे कांस्टेबिल की सूचना पर हरिशंकर तिवारी, राम केवल पंजाबी, व उसके दो अन्य साथियों के विरुद्ध धारा ३०२/३०७ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा थाना कैंट में अंकित किया गया जिसकी विवेचना तत्काल प्रारम्भ की गयी। दोनों नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास किया गया परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८७/८८ दं०प्र० सं० की कार्यवाही भी की गयी जिसके फलस्वरूप हरशंकर तिवारी भागकर जिला बलिया चला गया और उक्त न्यायालय में हाजिर हो गया तथा बलिया जेल भेजा गया और अभी तक वहीं बन्द है।

मन्नू की हत्या के संबंध में दूसरा नामांकित अपराधी रामकेवल पंजाबी मूल निवासी पुरानी बस्ती शहर का है। यह एक शातिर किस्म का डकैत व कातिल है जो छिपकर गोरखपुर शहर में भी जाकर धर्मशाला बाजार में रहा करता था। इसे थाना खजनी जिला गोरखपुर के सन् १९६५ के ३०७/३५३/२२४ के एक अभियोग में ५ वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिला था और वह गोरखपुर जेल में था। उसने उच्च न्यायालय में अपनी सजा के विरुद्ध अपील की थी और उसी न्यायालय के आदेश से वह दिनांक ३०-७-७० को जमानत पर रिहा हुआ। यह सही नहीं है कि हरिशंकर तिवारी ने रामकेवल पंजाबी को जमानत पर छुड़ाया। हरिशंकर तिवारी उसका जामीन भी नहीं है।

रामकेवल, पंजाबी, मन्नू की हत्या करके कलकत्ता भाग गया जहां पर वह जी० आर० पी० हावड़ा द्वारा एक विदेशी रिवाल्वर की बरामदगी के फलस्वरूप धारा २५/२७ आर्म्स ऐक्ट के

[श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह]

अन्तर्गत उसे दिनांक १६-९-७० को गिरफ्तार किया गया । जी० आर० पी०, हावड़ा द्वारा पूछताछ करने पर उसने मन्नू की हत्या का जुर्म पुलिस के समक्ष स्वीकार किया, जिसके आधार पर जी० आर० पी०, हावड़ा ने गोरखपुर पुलिस को उसकी गिरफ्तारी की सूचना दिनांक १८-९-७० को वायरलैस द्वारा भेजी । दिनांक १९-९-७० को जी०आर०पी०, हावड़ा को सूचित किया गया कि रामकेवल पंजाबी थाना कैंट के धारा ३०२/३०७ भा० दं० वि० के एक मुकदमे में मतलूब है और उसे इस अभियोग में हिरासत में रक्खा जाय ज्ञात हुआ है कि रामकेवल पंजाबी हावड़ा में जमानत पर छोड़ा जा चुका है । मन्नू की हत्या के मुकदमे के संबंध में उसे गोरखपुर लाये जाने के संबंध में लिखा-पढ़ी हो रही है ।

जहां तक मन्नू की हत्या होने की संभावना की पूर्व सूचना का प्रश्न है दिनांक ४-८-७० को श्री ठाकुर लाल श्रीवास्तव, सब इन्सपेक्टर, एस० आई० एस०, गोरखपुर ने एक प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस आशय का दिया था कि रामकेवल पंजाबी पर गोरखपुर और प्रतापगढ़ जिलों में डकैती के कई मुकदमे चले परन्तु वह केवल थाना खजनी के मुकदमा अपराध संख्या १३६ धारा ३०७/३५३/२२४ भा०दं०वि० तथा २५ आर्म्स ऐक्ट के मुकदमे में जिसमें उक्त सब इन्सपेक्टर ने मुठभेड़ के पश्चात् रामकेवल पंजाबी को गिरफ्तार किया था, ५ वर्ष का कठोर कारावास से वर्ष १९६८ में दंडित हुआ था । हरिशंकर तिवारी ने उसकी जमानत का प्रबन्ध इस उद्देश्य से कराया है कि वह अपने दुश्मन मन्नू की हत्या करने में उसकी मदद ले । सब इन्सपेक्टर ने यह संभावना व्यक्त की थी कि चूंकि उन्होंने रामकेवल पंजाबी को गिरफ्तार किया था और उनकी पैरवी के कारण ही उसे दंड मिला था वह उनसे शत्रुता रखता है और वह कहते हुए सुना गया था कि वह उनसे बदला लेगा । इस सूचना पर थानाध्यक्ष कोतवाली व शहर के अन्य थानाध्यक्षों को आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने तथा सब इन्सपेक्टर श्री ठाकुर लाल की सुरक्षा की भी व्यवस्था करने के संबंध में उचित आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा दे दिये गये थे । मन्नू हरिशंकर तिवारी तथा रामकेवल पंजाबी की गतिविधियों पर निगाह रखने का हर संभव प्रयास भी किया गया परन्तु यह तीनों बदमाश पुलिस की निगाहों से छिपकर विभिन्न स्थानों पर रहते रहे । मन्नू ने स्वयं १४-८-७० व ३०-८-७० को क्रमशः हत्या तथा राहजनी के अपराध शहर में ही किये जिसमें स्थानीय पुलिस उसकी बराबर तलाश करती रही किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन अपराधों को करने के बाद वह बस्ती जिले को भाग गया और वहां न्यायालय में २७-८-७० को आत्म-समर्पण किया ।

यह आरोप निर्मूल है कि स्थानीय पुलिस की सांठगांठ से मन्नू की हत्या हुई । रामकेवल पंजाबी के कलकत्ता जेल से जमानत पर छूटने के संबंध में भी स्थानीय पुलिस की कोई असावधानी नहीं रही है बल्कि स्थानीय पुलिस की ओर से उसको हिरासत में रखने और गोरखपुर स्थानान्तरित करवाने का पूर्ण वैधानिक प्रयत्न किया गया ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

जी० आर० पी० हावड़ा ने गोरखपुर पुलिस अधीक्षक को श्री रामकेवल की गिरफ्तारी की सूचना दिनांक १८-९-७० को वायरलेस द्वारा भेजी । उसके बाद एस०पी०, गोरखपुर ने किन-किन तारीखों में किन-किन साधनों से जी० आर० पी० हावड़ा को उसके ३०२ का मुल्जिम होने की सूचना भेजी ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

१८-९-७० को वायरलेस से जब सूचना मिली कलकत्ते से तो १९-९-७० को ही जी० आर० पी०, हावड़ा को कहा गया कि हत्या के अभियोग में उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है । आपके यहां बन्दी हो गया है इसलिये उसको यहां भेजा जाय ।

श्री सुखपाल पांडय---

वायरलेस से भेजी गयी या चिटठी लिखी गयी या किसी और साधन से सूचना भेजी गयी ?

श्री अध्यक्ष---

आप क्या यहां मुकदमा कर रहे हैं ? इसका मतलब क्या हुआ ?

श्री सुखपाल पांडेय---

जी०आर०पी०, हावड़ा ने एस०पी० गोरखपुर को वायरलेस किया कि रामकेवल पंजाबी गिरफ्तार हो गया है और मन्नू की हत्या के बारे में वह बता रहा है । वहां पर हरिशंकर भी मौजूद था और गोरखपुर की पुलिस भी वहां मौजूद थी । लेकिन हरिशंकर को छोड़ दिया गया और रामकेवल को गिरफ्तार किया गया और फिर वहां से वायरलेस आया । यहां से उसका जवाब न वायरलेस से भेजा गया न किसी विशेष आदमी को भेज कर ही सूचना भेजी गयी ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

वायरलेस से भेजी गयी या नहीं, इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन हावड़ा जी०आर०पी० को इत्तला दी गयी और यहां से एक सब-इन्सपेक्टर भी हावड़ा भेजा गया उसको लेने के लिये । लेकिन उसके पहले ही जमानत पर उसे छोड़ दिया गया था ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जब बस्ती जिला जेल से मन्नू का ट्रांसफर किया जा रहा था गोरखपुर के लिये तो उसने यह प्रार्थना की थी कि मेरे ऊपर खतरा है, मैं किसी तरीके से बच नहीं सकूंगा और मेरे ऊपर आघात होगा इसलिये मुझको वहां न भेजा जाय और यदि भेजा जाय तो ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि मैं सही सलामती से मुनासिब स्थान पर पहुंच सकूं ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

मन्नू अपराधी ने इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की थी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि मुन्नू ने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था और अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि श्री ठाकुर प्रसाद, एस०आई० ने यह रिपोर्ट की थी पुलिस कप्तान, गोरखपुर को कि हरिशंकर द्वारा रामकेवल पंजाबी की जमानत करवा दी गयी है और यह अपने दुश्मन मन्नू की हत्या में मदद लेना चाहता है और यह भी शिकायत की कि मैंने चूंकि पकड़वाया है इसलिये मुझे भी खतरा है । इस बात की सूचना पुलिस को पहले थी तो पुलिस ने क्या प्रबन्ध किया मन्नू की रक्षा के लिये और किस आधार पर मंत्री जी कहते हैं कि हरिशंकर द्वारा जमानत नहीं करवायी गयी ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

दरोगा ने केवल यह लिखा कि उसको खतरा है और उसकी रक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह---

इसके पृष्ठ ४ में यह है कि हरिशंकर तिवारी ने उसकी जमानत का प्रबन्ध इस उद्देश्य से कराया है कि वह अपने दुश्मन मन्नू की हत्या करने में उसकी मदद ले, तो उसको पकड़ने के लिये पुलिस ने क्या किया ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

हरिशंकर तिवारी ने कोई जमानत नहीं की रामकेवल की । पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मल्लू नाम लिखा है कि उसकी जान को स्वयं खतरा है । उसने एक मर्तबा इसको कैद करवाया था और उसके मुकदमे की पैरवी की थी जिसमें उसको सजा हुयी थी ।

श्री मैनेजर सिंह---

जब यह लिखा है कि मन्नू की हत्या करने में उसकी मदद ले और यह रिपोर्ट पुलिस कप्तान को की थी, उसको खतरे का पहले से ही अहसास था और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है मन्नू की हत्या के लिये, तो मंत्री जी कैसे कहते हैं कि पुलिस की साजिश नहीं थी ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

मन्नू को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने कोई दरख्वास्त इस तरह की नहीं दी थी और न जेल में ही कोई दरख्वास्त इस तरह की दी जब कि उसको वहां से बदला गया। वह स्वयं बड़ा अपराधी था इसलिये इसमें सन्देह नहीं किया कि उसके जीवन को खतरा है ।

श्री मैनेजर सिंह---

एस०आई० एस० ने दफ्तर में रिपोर्ट की थी कि मन्नू की हत्या करने के लिए उसने जमानत कराई तो पुलिस कप्तान ने क्या कार्यवाही की इसका उत्तर मंत्री जी से चाहता हूं ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

यह स्पष्ट नहीं है कि हरिशंकर तिवारी ने मन्नू की जमानत कराई ।

श्री रामकुमार शास्त्री---

मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इस विषय की उचित जानकारी नहीं कराई गयी है। इसमें स्थानीय लोगों को भी मालूम है । तो मंत्री जी को क्या यह जानकारी है कि जब मन्नू का गोरखपुर ट्रांसफर किया गया मामूली कांस्टेबिल लेकर जिसमें कांस्टेबिल को भी चोट आई और यह हत्या हो गई तो यह क्या खतरनाक हालत नहीं थी ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

सब इन्सपेक्टर की रिपोर्ट में जरूर इस बात का इशारा है लेकिन मन्नू की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया इसलिये उसको साधारण कैदी की तरह ले जाया गया और हिफाजत भी थी लेकिन घटना हो गई । इस संबंध में और कोई प्रीकाशन नहीं लिया जा सका ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस वजह से आशंका सब-इन्सपेक्टर की रिपोर्ट से थी। ऐडमिनिस्ट्रेशन की नुक्तेनिगाह से सब इन्सपेक्टर ने अधीक्षक को इस घटना की सूचना दी और उसके बाद मंत्री जी कहते हैं कि वह बापरदा लाया गया, वह तो शनाख्त की वजह से लाया गया लेकिन सुरक्षा की उसकी क्या व्यवस्था की गयी थी ? क्या मंत्री महोदय इस की जानकारी करायेंगे कि पुलिस का तो इसमें हाथ नहीं था कि मुन्नू का कत्ल हो ? दूसरे यह कि १८-९-७० को रामकेवल पंजाबी की सूचना गोरखपुर के एस०पी० को मिली कि गिरफ्तारी हुई है और १९ तारीख को लिखा गया कि वह कत्ल का मुलजिम है और वहां के लिये २ सिपाही रवाना हुये, अगर यह तथ्य सही है तो किसी मुलजिम को जमानत पर नहीं छोड़ सकते हैं इस संबंध में मंत्री जी को क्या जानकारी है ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

हावड़ा की जी०आर०पी० को सूचना भेजी गई और सब-इन्सपेक्टर भी रवाना किया गया लेकिन सब-इन्सपेक्टर के पहुंचने के पहले ही वहां उसको जमानत पर छोड़ दिया गया था। इसलिये अब उसको फिर पकड़ने की कोशिश की जा रही है और यहां लाने की कोशिश है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मन्नू को जेल से किस समय रिहा किया गया और वह रिहा होने और साढ़े ८ बजे के बीच में कहां रहा....

श्री अध्यक्ष---

यह तो आप क्रास एग्जामिन कर रहे हैं जैसे कोर्ट में होता है, इस तरह का प्रश्न यहां नहीं हो सकता, आप यह कह सकते हैं कि फिर से सूचना मंगाई जाय ।

श्री मैनेजर सिंह---

सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

कोरम तो इस वक्त रहता ही नहीं है, यह तो इस वक्त मिसलेनियस चीज चल रही है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या मंत्री जी इस मामले की सी०आई०डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह---

इस मामले में सी०आई०डी० की जांच की तो कोई आवश्यकता विशेष नहीं है, ऐसी कोई गुत्थी भी नहीं है और जो कार्यवाही पुलिस कर रही है वह संतोषजनक है । अगर ऐसी कोई बात पैदा होगी जिसमें इसकी जरूरत समझी गई तो वह जरूर की जायगी ।

(व्यवधान)

जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव में बरती गई कथित अवैधानिकता के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, जिला सहकारी बैंक, देवरिया के चुनाव में वर्ती गई अवैधानिकता के सम्बन्ध में जो उत्तर माननीय मंत्री द्वारा दिया गया था, उसके बारे में कुछ आग्रह करना चाहता हूं । मैं इस विवाद को नहीं बढ़ाऊंगा अगर माननीय ममंत्री जी दलगत राजनीति में न पड़ कर इस जिला सहकारी बैंक के चुनाव करायेंगे और तब तक किसी भी सूरत में संचालन मंडल का संचालन नहीं करेंगे । अगर माननीय मंत्री जी मुझे यह आश्वासन दे दें तो मैं इस सम्बन्ध में बहस नहीं बढ़ाना चाहूंगा । अगर उन्हें सारे तथ्यों की जानकारी ही होती तो कोई आदेश जिलाधीश को न दिया गया होता । श्रीमन् जिलाधीश को आर्बिट्रेशन लेने का कोई अधिकार नहीं है । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में दफा ७० को देखें । लेकिन चूंकि जिलाधीश के ऊपर सरकार का दबाव है, इसलिए कि जिलाधीश से इस सरकार के सारे मनसूबे पूरे हो सकते हैं जिनको सरकार चाहती है, यह उन्हें आर्बीटेशन के लिये दिया गया है । अब भी माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन दे दें कि दलगत राजनीति में आकर वे संचालन मंडल का मनोनयन नहीं करेंगे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजमंगल पांडेय]

और इस सम्बन्ध में फिर से चुनाव करायेंगे। वहां पर चुनाव न कराकर हमेशा के लिये चुनाव को टाल देंगे और फिर यह कोशिश करेंगे कि हम उनको यहां से नौमिनेट कर दें इसकी कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे यह आश्वासन दे दें कि राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव की तैयारी करायेंगे और जब तक किसी भी संचालन मंडल का मनोनयन नहीं करेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय पांडेय जी शायद यह समझते हैं कि दलगत राजनीति में पड़ कर देवरिया सहकारी बैंक के बारे में कुछ निर्णय लूंगा। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि केवल नियमों के अन्तर्गत जो कुछ उचित होगा और आवश्यकता पड़ेगी, वह ही निर्णय लिया जायगा। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं मेरी ओर से राजनीति में पड़ कर कोई निर्णय नहीं होगा लेकिन अगर नियमों के अन्तर्गत बाध्य किया जायगा तो मैं क्या आश्वासन दे सकता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय--

इस स्पष्टीकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने विचारों में साफ नहीं हैं। दफा ७० को देखें। इस दफा के जिस सेक्शन में आर्बिट्रेशन की पावर दी गयी है, उनमें जिलाधीश को आर्बिट्रेशन की कोई पावर ही नहीं है। जिसको खुद आर्बिट्रेशन का अधिकार नहीं है वह इसके अन्दर एस० डी० एम० से यह कार्य करा रहे हैं जो स्पष्टतया नियमों के बिल्कुल विपरीत है। जो अभी तक कार्य हुआ है वह नियमों के अनुसार नहीं हुआ तो कैसे वे सारे कार्य को नियमों के अनुसार कराने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि वे चुनाव कराने के लिये तैयार नहीं हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

पहले तो स्पष्टीकरण इस बात का होना चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने कोई हस्तक्षेप किया है या नहीं। दफा ७० के बारे में जो आप कह रहे हैं, यह उन्हें अधिकार है या अधिकार नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अनधिकृत कार्य कर रहे हैं तो उस पर वे इन्क्वायरी करायें।

श्री राजमंगल पांडेय--

श्रीमन्, एक तो तथ्य यह है कि ६ तारीख को चुनाव होने वाला है, दूसरा तथ्य यह है कि ५ तारीख को कोर्ट से इन्जेक्शन लेने का प्रयास किया गया और इन्जेक्शन नहीं मिला तो एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार बैंक गये और चेकिंग की लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कह सकते थे कि चुनाव शिड्यूल टाइम पर होंगे और सारे कागजात ठीक हैं। फिर जो चार तारीख को तीन चार मिल हैं वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रामकोला में बात करना, मंत्री जी इन्कार भी नहीं कर सकते हैं। वहां जाकर कलैक्टर का तीन घंटे बात करना। कलैक्टर का खुद कहना कि राइट टाइम पर चुनाव होगा। ६ तारीख को आर्बीट्रेशन लिया जाता है, उसका हमारी तरफ से प्रतिवाद होता है। १२ को चुनाव होने वाला है लेकिन ११ को स्थगित किया जाता है, ए० जी० एम० भी स्थगित किया जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस जिलाधीश को ६ तारीख तक खुद अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस जिलाधीश को खुद असिस्टैन्ट रजिस्ट्रार के पूछने के बाद आर्बिट्रेशन लेने का अधिकार नहीं है उस जिलाधीश से गलत काम जो कराया गया उस गलती को सुधारने का क्या सरकार को अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

आप कोर्ट की चीज यहां न लायें। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि उनको अमुक बातों की जानकारी भी है। ये फैक्ट्स जो आपने दिये हैं उनको वे मानते भी हैं।

श्री राजमंगल पांडेय--

अगर ये फैक्ट्स नहीं मानते हैं तो क्या जिलाधीश के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं? जब तक ये सारी चीज नहीं हो जातीं तब तक ये मानने को तैयार हैं कि संचालक मंडल का चुनाव करायेंगे?

श्री कृष्णानन्द राय--

शासन की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं हुये हैं। कोआपरेटिव ऐक्ट और रूल्स के अन्तर्गत जिलाधीश को यह चुनाव कराने का अधिकार है। उसको अधिकार है कि वह चुनाव का प्रबन्ध करे और नियम २२९/२ के अन्तर्गत वह रेफरेन्स भी लेने का अधिकारी है और उसे डेलीगेट करने का भी अधिकार है। श्रीमन्, ये जो कहते हैं कि रजिस्ट्रार को अधिकार है, मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट का एक जी० ओ० भी है जिसके अन्तर्गत यह पावर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दे दी हैं। पान्डेय जी इतने निपुण आदमी हैं लेकिन ये चैलेन्ज कर रहे हैं कि उसको अधिकार नहीं है। उसको अधिकार है। यदि वे चाहें तो सारे नियम हम रख देंगे। इन्होंने वक्तव्य मांगा था। हमने जिलाधीश से रिपोर्ट भी मांगी थी। उनका जो आर्डर पांच दिसम्बर का है वह हम सदन के सामने रख चुके हैं। अगर जुडिशियल काम में जिलाधिकारी आदेश देता है और वह रांग होता है तो उसे रेफरेन्स में चैलेन्ज कर सकते हैं। कोर्ट में भी चैलेन्ज कर सकते हैं। अगर ये समझते हैं दलगत राजनीति में हुआ है तो हम उसकी पूछताछ भी करा लेंगे लेकिन श्रीमन्, शासन ने इस प्रकार के आदेश नहीं दिये थे।

श्री राजमंगल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं भी नियमों का हवाला दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह कोर्ट थोड़े ही है।

श्री राजमंगल पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, वे नियम तो दिखा नहीं रहे हैं। जो नियम हम दिखा रहे हैं उस पर आप कहते हैं कि यह कोर्ट तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि आप लीगल बात पर कोर्ट में जा सकते हैं।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)--

अध्यक्ष महोदय, नियम २२९ (२) के भाग (ख) में यह लिखा है कि "किसी शीर्ष समिति से भिन्न किसी सहकारी समिति की दशा में उस जिले में जिसकी समिति हो जिला मैजिस्ट्रेट को किया जायेगा।"

श्री राजमंगल पांडेय--

दफा ७० ऐक्ट का देख लें। उसमें जिलाधीश को रेफरेन्स का है।

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्री को कह सकते हैं कि इसकी इन्क्वायरी करा लें।

श्री राजमंगल पांडेय--

मेरे सामने मंत्री जी ने कोई आदेश नहीं दिये। सरकार का जो अंग हो, वही इन्क्वायरी करे, वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आदेश दे चुनाव टालने का.....

श्री अध्यक्ष--

आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिये।

श्री राजमंगल पांडेय--

(व्यवधान)

मंत्री जी सरकार की नीयत के बारे में आश्वासन दें। मुझे मंत्री जी पर अविश्वास नहीं है .....

(व्यवधान)

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)--

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि माननीय सदस्य ७ वर्षों से उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं?

श्री राजमंगल पांडेय--

मैं ७ वर्ष से मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, यह सही है। चुनाव में कोई आया ही नहीं। आप चुनाव में जीत कर आ नहीं सकते थे। इसलिये आपने यह किया.... (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय--

मुझे श्रीमन्, इसकी जानकारी नहीं है कि कौन कितने दिनों से इसका मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायन सिंह--

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि इस बैंक का इलेक्शन ७ वर्षों से नहीं हुआ है?

(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर चर्चा समाप्त होती है।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

आगरा यूनिवर्सिटी के लिये कल १२ बजे से ४ बजे तक चुनाव होगा। अगर माननीय सदस्यों ने नाम वापस नहीं लिये तो।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

कितने नाम आये हैं?

श्री अध्यक्ष--

१४-१५ के करीब हैं। ५ चुने जाने हैं।

सहकारिता उप मंत्री (श्री महीलाल)—

नाम वापसी के लिये कल १२ बजे तक का समय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

वह समय नियत था आज शाम तक। कल १२ बजे से उसके लिये चुनाव होगा।

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२३ दिसम्बर, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५० पर)

सूची

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७० के लिये निर्धारित श्री राम गोपाल सण्ड के तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उत्तर की उल्लिखित सूची।

१-६-१९७० से १५-९-१९७० तक निलम्बित १२ अभियन्ताओं के विरुद्ध आरोपों सम्बन्धी सूचना।

(१) नौ अभियन्ताओं के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता अथवा अधिक भुगतान सम्बन्धी आरोप हैं।

(२) एक अभियन्ता के विरुद्ध फर्जी भुगतान मस्टर रोलों में गड़बड़ियां तथा अपने अधिकार सीमाओं के उल्लंघन सम्बन्धी आरोप हैं।

(३) एक अभियन्ता के विरुद्ध प्रशासनाधिकरण द्वारा जांच की जा रही है। इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता, नियमोल्लंघन और भारी धनराशि का सामान क्रय करने आदि के आरोप हैं।

(४) एक के विरुद्ध अपने दायित्व का उचित ढंग से निर्वाहन न कर सकने सम्बन्धी आरोप हैं।

बलवीर सिंह,
सिंचाई मंत्री।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५७ पर)

३१ मार्च, १९६८ तक बनी सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर) में

जिला मेरठ		कंक्रीट की सतह	डामर की सतह	योग
सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें	..	०.७९२	७५२.८३६	७५३.६२८
जिला परिषद् की सड़कें	..	शून्य	२८.०१	२८.०१
गन्ना और नियोजन विभाग की सड़कें	..	,,	२२९.१२५	२२९.१२५
योग	..	०.७९२	१००९.९७१	१०१०.७६३

जिला बुलन्दशहर				
सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें	..	०.५०१	३७०.११३	३७०.६१४
जिला परिषद् की सड़कें	..	शून्य	१.६०९	१.६०९
गन्ना और नियोजन विभाग की सड़कें	..	,,	२१.७०५	२१.७०५
योग	..	०.५०१	३९३.४२७	३९३.९२८

नोट—उपरोक्त सड़कों के सम्बन्ध में ३१–६–६८ के आगे आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

नोट—जिला मेरठ में उपरोक्त सतह के अतिरिक्त ४९.१४३ कि० मी० सीमेन्ट कंक्रीट ट्रैक्स की हैं।

नोट—३१–३–६५ तक कैन्टूनमेन्ट बोर्ड, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया तथा नगर-पालिका के अन्तर्गत निम्नलिखित लम्बाई में सड़कें थीं। आगे के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

			कंक्रीट की सतह	डामर की सतह	योग
जिला मेरठ	..	..	३०.०१६	१५६.८३२	१८६.४८८
जिला बुलन्दशहर	..	..	२१.८९	१९.६१	४१.५०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५८ पर)

सूची 'क'

फर्रुखाबाद जिले के उन इन्टर कालेजों के नाम—जिन्होंने वर्ष १९६९—७० में अनुपालन अनुदान बढ़ाने हेतु शिक्षा निदेशालय को प्रार्थना-पत्र दिये थे तथा जिनकी अनुदान बढ़ाई गई या जिनके प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये ।

क्रम संख्या	विद्यालयों के नाम	विवरण
१	स्वरूप नारायण इन्टर कालेज, कन्नौज	इन विद्यालयों को नियमानुसार कोई अनुपालन अनुदान देय नहीं था । अतः शिक्षा निदेशालय द्वारा इनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये ।
२	श्री कन्हैयालाल रामशरण रस्तोगी इन्टर कालेज ।	
३	जनता उ० मा० विद्यालय, रशीदाबाद, तिवारियाना ।	
४	महात्मा गांधी उ० मा० विद्यालय, मढ़पुरा ।	
५	प्रेमपुर विद्यापीठ, उ० मा० विद्यालय, प्रेमपुर ।	
६	भारतीय शिक्षा सदन उ० मा० विद्यालय, सिकन्दरपुर ।	
७	भारतीय विद्यालय, महेशनगर	इस विद्यालय को ५,१०० रु० का अतिरिक्त अनुदान देय पाया गया । अतः उसे स्वीकृत कर दिया गया ।

सूची 'ख'

फर्रुखाबाद जिले के उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम जिन्हें वर्ष १९६९—७० में प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किया गया ।

१—किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तिर्वा ।

२—वृज भूषण भारतीय उ० मा० विद्यालय, तालग्राम ।

३—श्री दयानन्द ऐंग्लो वैदिक उ० मा० विद्यालय, रजलामई ।

फर्रुखाबाद जिले के उस विद्यालय का नाम जिसे वर्ष १९६९—७० में प्रारम्भ अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका ।

१—बाबा चन्द्रसेन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	छात्र संख्या न्यून, परीक्षाफल शून्य तथा कुछ भवन कि राये का होने के कारण अनुदान स्वीकृत नहीं हुआ ।

सूची 'ग'

जिला फर्रुखाबाद में वर्ष १९६९–७० में उ० मा० वि० को दिये गये अनुदान की सूची।

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	आवर्तक अनुदान जो वर्ष १९६९–७० में स्वीकृत हुआ	अनावर्तक अनुदान जो वर्ष ६९–७० में स्वीकृत हुआ	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	सेठ वासुदेव सहाय कन्नौज ..	३८,६०८	—	
२	डी० एन० कालेज एण्ड ए० क० स्कूल, तिवी।	४५,२४०	—	
३	एस० ई० एन० कालेज, तेराजाकट ..	११,४२४	—	
४	ए० वी०, शमशाबाद ..	३५,९०४	—	
५	के० एस० आर०, कम्पिल ..	६,९००	—	
६	एस० एन०, कन्नौज ..	३५,६१६	..	
७	ऋषि भूमि, सौरिष ..	१६,६३२	..	
८	एम० एस०, कन्नौज ..	१५,१६८	..	
९	एस० एन० एम०, कायमगंज ..	५२,०३०	..	
१०	वी० पी०	५९,३०४	..	
११	आर० वी० एम०, अकबरपुर ..	१०,०६८	..	
१२	डी० पी० एस०, मूसासिरिया ..	७४५	..	
१३	आर० पी०, कमालगंज ..	४,२७२	..	
१४	जनता राजेन्द्रनगर, पखाना ..	२,२५७	..	
१५	सरदार पटेल, कवारीपुर ..	६,२८८	..	
१६	महात्मागांधी मढ़मपुरा ..	५,१२४	..	
१७	हीरा लाल वी० एन०, छिबरामऊ ..	४७,०६४	..	
१८	राम स्वरूप शहीद, मोरापुर ..	२९,४९६	..	
१९	भारतीय शिक्षा सदन, सिकन्दरपुर ..	२७,१२०	..	
२०	कर्नेल ब्रम्हानन्द, शुकरल्लापुर ..	६,६१२	..	
२१	स्वामी रामानन्द महाविद्यालय ..	८,२०८	..	
२२	क्रिश्चियन	३४,२९६	..	
२३	म्युनिसपल फतेहगढ़ ..	४४,४४८	..	
२४	सूर्य कुमारी, मझना ..	९,२६४	६,०००	विज्ञान के लिये
२५	भारतीय विद्यालय महेशनगर ..	३७,८४८	..	
२६	कन्हैयालाल राम शरन रस्तोगी ..	३५,८४०	..	
२७	पं० दुर्गा प्रसाद बद्री प्रसाद ..	३,९१२	..	
२८	जनता रशीदावाद तिवारियान ..	२,८८०	..	
२९	दयानन्द, अमृतपुर ..	१,६०८	..	
३०	ए० वी० एम०, ताहपुर ..	५,४६०	..	

१	२		३	४	५
३१	आदर्श जनता, छिबरामऊ	..	४,४६४	..	
३२	स्वामी शिवानन्द सरस्वती	..	४,५२४	..	
३३	मदन मोहन मालवीय, गुरसहायगंज	..	७४५	..	
३४	फिरोज गांधी जनता, कमालगंज	..	२,४००	..	
३५	श्री आदर्श, ठठिया	..	५,२३२	..	
३६	प्रेमपुर विद्यापीठ, प्रेमपुर	..	७,८९६	..	
		योग ..	६,४४,९६७	६,०००	
	हाई स्कूल				
१	किसान उ० मा० वि०	..	५,०००	..	
२	वृज भूषण भारतीय उ०मा० वि०, तालग्राम		५,०००	..	
३	श्री दयानन्द एंग्लो वैदिक उ० मा० वि०, रजलामई	.. ..	९,२४०	..	
		योग ..	१९,२४०		
		कुल योग ..	६,६४,२०७	६,०००	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६३ पर)

तालिका

१-१-१९६५ से नवम्बर, १९७० तक स्वामी नारायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपिया, गोण्डा को स्वीकृत अनुदान का विवरण।

वर्ष	अनुरक्षण अनुदान	मंहगाई तथा तदर्थ वृद्धि अनुदान	त्रिभाषा सूत्र अनुदान	अनावर्तक अनुदान	गन्ना सहकारी संघ बबनान द्वारा स्वीकृत अनुदान
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९६४-६५	—	—	१,५२०	—	३,०००
१९६५-६६	४,७१६	—	—	५०० पुस्तकालय अनुदान	२,०००
१९६६-६७	१	३,८४०	१,०५६	—	—
१९६७-६८	५,५९२	४,०८६	२४	५०० काष्ठोपकरण अनुदान	—
१९६८-६९	३,७७९	४,७१७	१,२४८	—	—
१९६९-७०	६,८९८	५,४८४	१,४५२	—	—
१९७०-७१ (नवम्बर, १९७० तक)।	४,१३१	४,११३	—	—	—
योग ..	२५,११७	२२,२४०	५,३००	१,०००	५,०००

पी० ए० यू० पी—ए० पी० २४५ एल० ए०—१९७१—८४५।